लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 20—सोमवार, 11 मार्च, 1968/ 21 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 20—Monday, March 11, 1968/ Phalguna 21, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

***ता० प्र० संख्या**

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
540.	वित्त तथा चिट फण्ड कम्पनियाँ	Finance and Chit Fund Companies	1213-1217
541.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector undertakings	1217-1218
543.	स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by State Bank Employees	1218-1222
545.	तालचेर औद्योगिक सार्थ समूह	Talcher Industrial Complex	1222-1223
546.	गुजरात में तेल और गैस की उपलब्धता	Availability of Oil and Gas in Gujarat	1223-1227
550.	फुटकर निकास केन्द्र समिति (रिटेल आउटलेट कमिटी)	Retail outlet Committee	1227-1228
553.	कोयला तथा नेफ्था आधारित उर्वरक कारखाने	Coal and Naphtha Based Fertilizer Plants	1228-1229
554.	आयकर सम्बन्धी मामले	Income-Tax cases	1229-1232

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

6.	मैक्सिको में ओलम्पिक खेल	Olympic Games in Mexico	1932-1236

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
542.	ब्रिटेन से सहायता	Aid from U. K.	1236-1237
544.	रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल	Hunger Strike by Reserve Bank Employees	1237
547.	सोने की तस्करी	Gold Smuggling	1237-1238
548.	बी० ओ० ए० सी० के विमान से पकड़ा गया सोना	Gold Seized from BOAC Plane	1238-1239
549.	डा० लोहिया के उपचार सम्बन्धी समिति	Committee on Dr. Lohia's Treatment	1239
551.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों का कार्मिक संघ	Trade Union by Central Health Service Officers	1239
552.	विदेशी मुद्रा का गोलमाल	Foreign Exchange Racket	1239-1240
555.	पटसन के बोरों के लिये अग्रिम क्रयादेश	Advance Order for Jute Bags	1240
556.	महाराष्ट में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Maharashtra	1240
557.	पंजाव नेशनल बैंक	Punjab National Bank	1240-1241
558.	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	1241
559.	भारतीय तेल निगम द्वारा इस्पात की चादरों का आयात	Import of Steel sheets by I. O.C.	1241-1242
560.	रेत जमा हो जाने के कारण बाढ़	Floods due to silting	1242
561.	अफीम एण्ड ऐलकालायड फैक्ट्री, गाजीपुर	Opium and Alkaloid Factory, Ghazipur	1242-1243
562.	मैसर्स राम नारायण एण्ड सन्स	M/s Ram Narain and Sons	1243

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
563.	पैरिस्टन-एन औषधि का तैयार किया जाना	Manufacture of Periston-N Drug	1243
564.	मंहगाई भत्ते का कीमतों पर प्रभाव	Impact of D. A. on Prices	1244
565.	आदिम जाति विकास खण्ड	Tribal Development Blocks	1244
566.	आय-व्ययक के उपस्थापना के समय मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices on the Eve of Presentation of Budget	1244-1245
567.	भारत के विदेशी दायित्व तथा आस्तियाँ	India's Foreign Liabilities and Assets	1245
568.	अल्कोहल की कमी	Shortage of Alcohol	1245-1246

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3401.	औषधि निर्माता कम्पनियाँ	Pharmaceutical Companies	1246
3402.	आन्ध्र प्रदेश का राजस्व	Revenue of Andhra Pradesh	1246-1247
3403.	सरकारी बस्तियों में सार्वजनिक सुविधायें	Public Conveniences in Government Colonies	1247
3404.	सड़क कूटने का इंजन	Road Rollers	1247-1248
3405.	फिल्म अभिनेता देवानन्द	Film Star Devanand	1248
3406.	मध्य प्रदेश में फर्मों की ओर बकाया आय-कर की राशि	I. T. Arrears due from Firms in Madhya Pradesh	1248-1249
3407.	फरक्का बाँध परियोजना	Farakka Barrage Project	1249
3408.	फरक्का बाँध के लिये विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts on Farakka Barrage	1249-1250
3409.	महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों को हटाने और सफाई सम्बन्धी योजना	Slum Clearance and Sanitation in Maharashtra	1250
3410.	दिल्ली कब्रिस्तान तथा श्मशान	Cemetries and Crematoriums in Delhi	1250
3411.	मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	M/s Mckanzies Ltd.	1251
3412.	मैसर्ज झूनझुनवाला एण्ड ब्रादर्स के बारे में जाँच	Enquiry into M/s Jhunjhunwala and Bros.	1251

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3413.	मेंसर्स ओरियण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Timber Trading Corporation	1251-1252
3414.	मैसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रादर्स के मामले की जाँच	Enquiry into M/s Jhunjhunwala and Bros.	1252
3415.	रामजीलाल झुझुनवाला की फर्में	Firms of Ramji Lal Jhunjhunwala	1252
3416.	व्यास-सतलज जल सम्पर्क परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी स्कूल	Technical School under Bias-Sutlej Link	1252-1253
3417.	व्यास-सतलज सम्पर्क परि-योजना के कर्मचारी	Workers in Bias-Sutlej Link	1253
3418.	मद्रास की बैगाई पुनः आधुनिकीकरण योजना	Viagai Re-Modernising Scheme of Madras	1253
3419.	हथकरघा बुनकर सहकारी समिति	Handloom Weavers Cooperative Society	1254
3420.	मद्रास में रामनाड में सहायता-कार्य	Relief Works in Ramnad of Madras	1254
3421.	अनुसूचित जातियों का सामाजिक बहिष्कार	Social Boycots for Scheduled Castes	1254-1255
3422.	नगरीय क्षेत्रों में भूमि का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of land in Urban Areas	1255
3423.	नगरीय भूमि के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिये प्रस्ताव	Proposal for controlling Urban Land values	1255-1256
3424.	पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Backward Classes	1256
3425.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जांच समिति -	Enquiry Committees for Schedule castes and Schedule Tribes	1256-1257
3426.	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सैक्शन अफसरों (सिविल) को पदोन्नति	Promotion of Section Officers (Civil) C.P.W.D.	1257

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3427.	सहायक इंजीनियरों (सिविल) की पदोन्नति	Demotion of Assistant Engineers (Civil)	1257-1258
3428.	तापड़ बाँध (गुजरात) का निर्माण	Construction of Tappar Dam (Gujarat)	1258
3429.	कर-दाताओं को वापिस की गई राशि का ब्याज	Interest charged on Income-tax refunded to Assessees	1258-1259
3430.	आय-कर अधिनियम के अधीन घाटे के विवरण	Loss Returns under Income-Tax Act	1259
3431.	देश में चिकित्सा स्नातक	Medical Graduates in the country	1259-1260
3432.	भिखारी	Beggars	1260-1261
3433.	राजस्थान के समाज-कल्याण विभाग को वित्तीय सहायता	Financial Assistant for Social Welfare Department, Rajasthan	1261-1262
3434.	लूप और नसबंदी आपरेशन	Loop and Vasectomy Operations	1262-1263
3435.	सैनिक समाचार	Sainik Samachar	1263
3436.	क्रय-योजनाएं	Purchasing Schemes	1263
3437.	सनलइट कालोनी, मोती बाग, नई दिल्ली	Sunlight Colony, Moti Bagh, New Delhi	1264
3438.	रेयन के कारखाने	Rayon Factories	1264
3440.	एक रेलवे यात्री से बरामद किया गया सोना	Gold Recovered from a Railway Passenger	1264-1265
3441.	रतलाम रेलवे स्टेशन पर बरामद किया गया सोना	Gold recovered at Ratlam Railway Station.	1265
3442.	श्रीलंका और मद्रास के बीच तस्कर व्यापार	Smuggling between Ceylon and Madras	1265
3443.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन	UNCTAD	1265-1266
3444.	त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्र	Tribal areas of Tripura	1266-1267
3445.	दस रुपये का चांदी का सिक्का	Ten Rupee Silver Coins	1267
3446.	विदेशी सहायता का उपयोग	Utilization of Foreign Aid	1267-1269

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3447.	उड़ीसा के बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए सहायता	Assistance for Flood affected areas of Orissa	1269-1270
3448.	थोक मूल्य देशनांक बढ़ना	Rise in Index of Wholesale Prices Index	1270
3449.	उर्वरक कारखाना, कोटा	Fertilizer Factory, Kota	1270-1271
3450.	सरकारी कर्मचारियों को पारी से बाहर क्वाटरों का आवंटन	Out of turn Allotment of Qurters to Government Employees	1271-1272
3451.	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	1272
3452.	मझली सिंचाई योजनाओं के लिये नियतन	Allotment for Medium Irrigation Schemes	1272
3453.	सब्जीमण्डी को हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाना	Shifting of Subzimandi	1272-1273
3454.	दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by D.E.S.U. Workers	1173-1274
3455.	झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों का फिर से बसाया जाना	Resettlement of Jhuggi-Jhopri Dwellers	1274
3456.	फिल्म जगत से सम्बन्धित लोगों द्वारा देय आय-कर	Income-tax due from Film People	1274-1275
3457.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास	Hostel for Scheduled Castes Students in Madhya Pradesh	1275
3458.	दिल्ली में स्त्रियों में अनैतिक पण्य	Immoral Traffic in Women in Delhi	1275-1276
3459.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली में कीमतें	Prices in Delhi on the Eve of UNCTAD	1276
3460.	पाकिस्तान तस्कर व्यापारी	Pakistani Smugglers	1276-1277
3461.	दिल्ली में पकड़े गये जाली सिक्के	Counterfelt coins seized in Delhi	1277

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3462.	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities in Rural Areas	1277
3463.	औषधि मूल्य नियन्त्रण	Drugs price control	1277-1278
3464.	क्षेत्रीय भाषाओं मे जीवन बीमा निगम का साहित्य	L. I. C. Literature in Regional Languages	1278
3465.	कोचीन पत्तन में निकासी एजेन्ट	Clearing Agents at Cochin Port	1278-1279
3466.	जम्मू में तेल	Oil in Jammu	1279-1280
3467.	विदेशी सहायता तथा आयोजन	Foreign Aid and Planning	1280
3468.	कोसी पन-बिजली परियोजना	Kosi Hydro Electric Project	1280
3469.	घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing	1280-1281
3470.	निर्माण-लागत पर विचार गोष्ठी	Symposium on construction costs	1281
3471.	उड़ीसा में आय-कर तथा सम्पत्ति-कर के बाकीदार	Income-tax and Wealth-tax Defaulters in Orissa	1281
3472.	केरल में मन्नारघाट मूपिल स्थानम एटेस्ट के सम्पदा शुल्क का निर्धारण	Assessment of Estate Duty of Mannraghat Mooppil Sthanom Estate, Kerala	1281-1282
3473.	सरकारी क्षेत्र में भर्ती	Recuritment in Public Sector	1282
3474.	उर्वरक कारखानों में संगठनात्मक परिवर्तन पर विचार करने के बारे में समिति	Committee to examine the organisational changes in Fertilizer Unit	1282-1283
3475.	डायमण्ड हार्बर में तेल और गैस	Oil and gas in Diamond Harbour	1283
3476.	कुपोषित व्यक्तियों की चिकित्सा	Treament of Mal nourished persons	1283-1284
3477.	संसद् सदस्यों के फ्लैट	M. P.s Flats	1284
3478.	भारतीय तेल निगम के लिये इंजीनियरी के स्नातक	Enginering Graduates for Indian Oil Corporation	1284-1285

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3479.	उड़ीसा में आदिवासी सलाहकार बोर्ड	Adivasi Advisory Board, Orissa	1285
3480.	उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में आदिवासी	Adivasis in Orissa, Madhya Pradesh and Bihar	1285
3481.	अखिल भारतीय सिंचाई आयोग	All India Irrigation Commission	1285-1286
3482.	महाराष्ट्र में बर्मा शैल का तेल-शोधक कारखाना	Burma Shell Refinery, Maharashtra	1286-1287
3483.	गुजरात को तारापुर बिजली घर से बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Gujrat from Tarapur	1287
3484.	धुवारन बिजली घर	Dhuvaram Power Station	1287-1288
3485.	अल्युमिनियम पर उत्पादन-शुल्क	Excise Duty on Aluminium	1288
3486.	पूंजीपतियों को दी गई बैंकिंग सुविधायें	Banking Faclitiees provided to capitalists	1288
3487.	पूंजीपतियों को दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज की दर	Rate of interest charged on loans to capitalists	1288-1289
3488.	बैंकों के डायरेक्टरों द्वारा पूंजी का उपयोग	Use of Capital by Directors of Banks	1289
3489.	आदिवासियों को शिक्षा की सुविधायें	Education Facilities to Adivasis	1289
3490.	गोरा में नर्मदा नदी पर बाँध	Dam on River Narmada at Gora	1289-1290
3491.	फिल्मों से सम्बन्धित लोगों के पास लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money with Film People	1290
3492.	फिल्म अभिनेता द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Film Star	1290
3493.	सामान्य बीमा पर प्रशुल्क	Tariff for General Insurance	1290-1291
3494.	मंहगाई-भत्ते को वेतन के साथ जोड़ना	Merger of Dearness Allowance with Pay	1291

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3495.	उर्वरक कारखाना, गोआ	Fertilizer Plant, Goa	1291-1292
3496.	फरक्का बाँध के लिये उपकरणों की खरीद	Purchase of Equipment for Farakka Barrage	1292
3497.	उर्वरक कारखाना, गोआ	Fertilizer Plant, Goa	1292
3498.	फरक्का बाँध में मशीनरी का प्रयोग	Use of Machinery at Farakka Barrage	1292-1293
3499.	आय-कर की वापसी के मामले	I. T. Refund Cases	1293-1294
3500.	करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	1294
3501.	ग्राम्य पेय-जल सम्भरण योजनाएं हिमाचल प्रदेश	Rural Drinking Water Suply Schemes, Himachal Pradesh	1294
3502.	पारादीप में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Paradeep	1294-1295
3503.	भारत में जहर मिली शराब पीने के मामले	Liquor Poisonings in India	1295
3504.	बड़ी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं	Major Irrigation and Power Projects	1295
3505.	धागे और कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Yarn and Cloth	1295-1296
3506.	मकानों को किराये पर देने को कानूनी बनाना	Legislation of renting of Houses	1296
3507.	मलेरिया उन्मूलन	Eradication of Malaria	1296
3508.	दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी	Shortage of Medical Staff in Delhi Hospitals	1296-1297
3509.	बिजली की दर तथा एकल ग्रिड प्रणाली	Electricity Rates and Single Grid System	1297
3510.	खाना-बदोश लोगों के लिये विकास कार्यक्रम	Development Programmes for Nomads	1297-1298
3511.	हवाई अड्डों पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Custom Officers at Airports	1298

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3512. नसबन्दी	Sterlization	1298
3513. दिल्ली में झुग्गीवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Jhuggi-Dwellers in Delhi	1298
3514. सामान्य बीमा	General Insurance	1299
3515. आय-कर भवन, कलकत्ता	Aykar Bhawan, Calcutta	1299-1300
3517. बम्बई में पकड़ी गई घड़ियाँ	Watches recovered in Bombay	1200
3518. पंजाब तथा हरियाना की फर्मों पर आय-कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears outstanding against Firms in Punjab and Haryana	1301
3520. फिल्मों से सम्बन्धित लोगों द्वारा दी जाने वाली कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film People	1301
3521. बिड़ला मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Birla Mills	1301-1302
3522. दिल्ली स्थित आय-कर कार्यालय	Income Tx Office in Delhi	1302
3523. बरौनी में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Barauni	1302-1303
3524. बरौनी में उर्वरक कारखाना	Fertilize Factory at Barauni	1303.
3525. कोयला तथा नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाने	Coal and Naphtha Based Fertilizer Plants	1303
3526. छपाई की मशीनें	Printing Machinery	1303-1304
3527. बीमारियों के कारण मृत्यु दर	Death Rate due to Diseases	1304-1305
3528. ऋषिकेश में कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने का कारखाना	Antibiotics Plant, Hrishikesh	1305-1306
3529. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के कर्मचारी	Staff of Lady Harding Medical College	1306

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3530.	दिल्ली में बिजली का गुल हो जाना	Electricity Failures in Delhi	1306
3531.	दिल्ली को बिजली की सप्लाई	Power Supply to Delhi	1306-1307
3532	लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money	1307
3533.	तेल और पैट्रोलियम की आवश्यकता	Oil and Petroleum Requirements	1307-1308
3534	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में रोगी शय्याओं की कमी	Shortage of Beds in all India Institute of Medical Sciences, New Delhi	1308
3535.	भारत सरकार के कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of Government of India Offices	1308
3536.	हिमाचल प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियरों के पद	Posts of Chief Engineers, Himachal Pradesh, P. W. D.	1308
3537.	दिल्ली के गांवों में अर्जित की गई भूमि	Frozen land in Delhi Rural Areas	1309
3538.	हल्दिया उर्वरक कारखाना	Haldia Fertilizer Plant	1390
3539.	राज्यों द्वारा ऋण की अदायगी की अवधि का पुनर्निधारण	Re-scheduling of Debt Repayments by States	1309-1310
3540.	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	Fertilizers Factory, Gorakhpur	1310-1311
3541.	दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का खोला जाना	Opening of C. G. H. S. Dispensaries in Delhi	1311
3542.	संसद् सदस्यों के फर्नीचर पर व्यय	Expenditure on Furniture for Members of Parliament	1312
3543.	राजस्थान में सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई	Power Supply in Rajasthan at Cheaper Rates	1312

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3545.	आदिवासी	Adivasis	1312-1313
3546.	पटरी पर पड़े रहने वाले व्यक्तियों को आवास देने की योजना	Scheme to Provide Accommodation to Pavement Dwellers	1313
3547.	अवैतनिक सर्जन रखने की प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of Hony. Surgeon System	1313
3548.	रामकृष्णपुरम में क्वार्टरों का आवेटन	Allotment of Quarters in R. K. Puram	1314
3549.	नसबंदी	Vasectomy Operations	1314
3550.	भारतीय तेल निगम द्वारा इस्पात चादरों का आयात	Import of Steel Sheets by I.O.C.	1314-1315
3551.	भारतीय तेल निगम के लिये बैरल	Barrels for I.O.C.	1315
3552.	मध्य प्रदेश में हरिजन तथा आदिम जाति के लोगों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें	Centrally sponsored Shemes for Harijans and Tribunals in M.P.	1316
3553.	भारतीय नेत्र-कोष द्वारा आँखों की खरीद	Purchase of Eyes by Indian Eyes Bank	1316
3554.	हथकरघा उद्योग	Handloom Industry	1316-1017
3555.	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Major Irrigation Projects	1317-1318
3556.	जलपूर्ति और सफाई कार्यक्रम के लिये बजट में धन की व्यवस्था	Budget Allocation for Water Supply and Sanitation Programmes	1318
3557.	पोंग बाँध की ऊँचाई का कम किया जाना	Lowering of Height of Pong Dam	1319
3558.	दिल्ली में भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी	Threat of Forcible occupation of land in Delhi	1319
3559.	उड़ीसा में सिंचाई परियोजना	Irrigation Projects in Orissa	1319-1320

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3560. उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa	1320
3561. अफीम तथा ऐलकालायड कारखाना, गाजीपुर	Opium and Alkaloid Factory, Ghazipur	1320-1321
3562. अफीम तथा ऐलकालायड कारखाना, गाजीपुर	Opium and Alkaloid Factory, Ghazipur	1321-1322
3563. चलचित्र उद्योग में लगे लोगों में आय-कर की बकाया राशि	Income Tax due from Film People	1322
3564. तुंगभद्रा परियोजना	Tungabhadra Project	1322-1323
3565. 1966-67 में प्राप्त हुई गैर परियोजना सहायता	Non-Project aid Received in 1966-67	1323-1324
3566. श्री आर० के० रुइया पर लगाया गया धन-कर	Wealth-Tax in respect of Shri R. K. Ruia	1324
3567. सौराष्ट्र केमिकल्स	Saurasthra Chemicals	1324-1325
3568. सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक	Director of Saurashtra Chemicals Ltd.	1325
3569. विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulation	1325-1326
3570. कुल राष्ट्रीय उत्पादन	Gross National Product	1326
3571. समयोपरी भत्ते के भुगतान की दर	Rate of payment of late duty allowance	1327
3572. बादली और अलीपुर खण्डों का औद्योगीकरण	Industrialisation of Badli and Alipur Blocks	1327
3573. तेल समवायों द्वारा पूंजी विनियोजन	Investment by Oil Companies	1327-1328
3574. जवाहर ज्योति	Jawahar-Joyti	1328
3575. कोचीन सीमा शुल्क हाउस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Class IV Employees of Cochin Customs House.	1328
3576. सीमा-शुल्क विभाग, कोचीन	Cochin Customs House	1328-1329
3577. केरल में ताप बिजली-घर	Thermal Plant, Kerala	1329

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3578.	सीमा-शुल्क अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Customs study Team Report	1329-1330
3579.	मूल्य	Prices	1330
3580.	बैंकों के अध्यक्ष	Chairman of Banks	1330-1331
3581.	जनजाति विकास खण्ड	Tribal Development Blocks	1331
3582.	राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सेवा में शिक्षकों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Central Government Teachers in States	1331
3583.	दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के सदस्य	Members, Delhi Stock Exchange	1331-1332
3584.	जोधपुर में बरामद की गई अफीम	Opium Recovered in Jodhpur	1332-1333
3585.	एलकोहल में बनने वाले पेय पदार्थ	Alcoholic Drinks	1333
3586.	संसद् सदस्यों की सिफारिश पर क्वाटरों का 'आउट आफ टर्न' अलाटमेंट	Out of turn allotment of Quarters on the Recommendation of Members of Parliament	1333-1334
3587.	राना प्रताप सागर परियोजना	Rana Pratap Sagar Project	1334
3588.	कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत बाँध-निर्माण	Construction of Barrage under Kosi canal Project	1334-1335
3589.	रूसी तेल विशेषज्ञ	Russian Oil Experts	1335
3590.	धूप-चश्मों की बिक्री के सम्बन्ध में विधान	Legislation for sale of sun-glasses	1335
3591.	कोयना भूकम्प	Koyana Earthquake	1336
3592.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff quarters for State Employees of Insurance Corporation	1336
3593.	पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली स्थित अन्धों की संस्था	Institution for the Blind, Punchkui Road, New Delhi	1336-1337
3594.	आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Supply of electricity to Andhra Pradesh	1337-1338

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
3595.	आंध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Andhra Pradesh	1338-1339
3596.	आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Electric Supply to Andhra Pradesh	1339
3597.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	Rural Electrification Programme	1339
3598.	आदिम जातीय क्षेत्र	Tribal Areas	1339-1340
3599.	सरकारी पेंशन भोगियों का अभ्यावेदन	Representation from Government Pensioners	1340
3600.	अनुसूचित जातियों की देखभाल के लिये केन्द्रीय समिति	Central Committee to look after the Welfare of Scheduled Castes	1340
3601.	पारादीप पत्तन के लिये दिया गया ऋण	Loan given for Paradeep Port	1340-1341
3602.	राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम	National Building Construction Corporation	1341
3603.	कल्याण योजनायें	Welfare Schemes	1341-1342
3604.	बिहार सरकार को अनुदान	Grant to Bihar Goverament	1342
3605.	इंडिया इर्रीगेशन एण्ड पावर प्रोजैक्ट नामक पुस्तिका	Booklet etitled India Irrigation and Power Project	1342
3606.	भारत में खेती वाली और सिंचाई वाली भूमि	Cultivated and Irrigated area in India	1342-1343
3607.	दिल्ली के उच्च न्यायालय की इमारत	Delhi High Court Premises	1343
3608.	उत्तर प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	Major Irrigation Projects of U.P.	1344
3609.	उड़ीसा के लिये पृथक आय-कर आयुक्त	Separate Commissioner of Income-tax, Orissa	1344
3610.	राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम	National Building Construction corporation	1344-1345
3611.	भूमिगत केबल्स	Underground Cables	1345
3614.	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित चिकित्सा लाइसेंसधारी	Displaced Medical Licentiates from East Pakistan	1345

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
3615.	दिल्ली में सिनेमा मालिकों पर कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Cinema Owners in Delhi	1346
3616.	नई दिल्ला के डी० आई० जेड० तथा मिन्टो रोड क्षेत्रों में नये क्वार्टरों का पुनःनिर्माण	Reconstruction of new quarters in DIZ and Minto Road areas in New Delhi	1346-1347
3617.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद	Posts vacant in Public undertakings	1347-1348
3618.	शुद्ध पेय-जल की व्यवस्था	Provision of pure drinking water	1348-1349
3619.	मनीपुर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उच्च शिक्षा	Higher Education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Manipur	1349
3620.	मनीपुर में आय-कर की बकाया राशि	Income tax arrears in Manipur	1349
3621.	केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास निगम को दी जाने वाली बकाया राशि	Central arrears due to Madras Corporation	1349-1350
3622.	जापान की जनसंख्या में कमी के सन्दर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन	Study of Family Planning Programme in the context of the decline in Japanese population	1350
3623.	जबरन नसबन्दी आपरेशन	Forced vasecutorny operation	1350-1351
3624.	बम्बई में हृदय प्रतिरोपण आपरेशन	Heart Transplantation operation in Bombay	1351
3625.	जिन कर्मचारियों के अपने मकान हैं उनको टर दिया जाना	Allotment of quarters to employees who own their houses	1351-1352
3626.	वर्ष 1967-68 में राज्यों में नगरीय तथा ग्रामीण भवन-निर्माण योजनाओं के लिये राशि का नियतन	Allocation of funds for urban and rural house building schemes in States during 1967-68.	1352
3627.	दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं को रहने के लिये मकान	Accommodation for working girls in Delhi	1352-1373

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
3628.	तेल की खोज	Exploration of Oil	1353
3629.	दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिये मकानों की व्यवस्था	Accomodation f/r working girls in Delhi	1353-1354
3630.	हल्दिया तेल शोधनशाला का मुख्य कार्यालय	Head office of the Haldia Refinery	1354
3631.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarship to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1354-1355
3632.	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	1355-1356
3633.	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Pants	1356
3634.	राजस्थान की माही सिंचाई परियोजना	Mahi Irrigation Project Rajasthan	1356-1357
3635.	मनीपुर के कर्मचारियों को भत्ता	Allowances to Manipur Employees	1357
3636.	दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण मृत्यु	Deaths due to Floods in Delhi and U.P.	1557-1358
	अविलम्बनीय लोक-महत्व विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1358-1360
	पंजाब में संवैधानिक संकट	Constitutional Crisis in Punjab	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1360-1362
	लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit	1362
	दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	
	दक्षिण-मध्य रेलवे रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re: Railway Accident in the South Central Railway	1362-1263
	श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	
	सामान्य आय व्ययक-सामान्य चर्चा	General Budget—General Discussion—	1363-179
	श्री काशी नाथ पाण्डेय	Sri K. N. Pandey	
	श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
	श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	
श्री न० कु० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	
श्री हुमायून कबीर	Shri Humayun Kabir	
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sharma	
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री राणे	Shri Rane	
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Y. S. Kushwah	
तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q.No. 111 Re. Study of Hindi in Schools in Madras	1379-1382
मद्रास के स्कूलों में हिन्दी के अध्ययन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. study of Hindi in Schools in Madras	
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 11 मार्च, 1968/ 21 फाल्गुन, 1889 (शक)
Monday, March 11, 1968/ Phalguna 21, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वित्त तथा चिट-फण्ड कम्पनियां

*540. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त कम्पनियों, चिट-फण्ड कम्पनियों और हाउसिंग कोलोनाइजरों द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये गोलमाल की और सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले की जाँच की है; और

(ग) इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

(क) जमा रकमों और इसी तरह की देनदारियों की रकमों की वापसी न किये जाने की कुछ शिकायतें, ज्यादातर दिल्ली क्षेत्र से ही मिली हैं।

(ख) इनका सम्बन्ध, मुख्य रूप से उन मामलों से है, जो करारों की किस्म के हैं, और प्रभावित पक्षों के लिए इनका सामान्य उपाय दीवानी कार्यवाही करना है। लेकिन, जब कभी आवश्यकता हुई है, समुचित सांविधिक प्राधिकारियों ने इस मामले में जाँच-पड़ताल और आवश्यक कार्यवाही की है।

(ग) जहां तक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनके कारबार को विनियमित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का सारांश नीचे दिया गया है। इनसे अन्ततः इन कम्पनियों के कारबार के सुधर जाने की संभावना है जहां तक चिट फंडों का सम्बन्ध है, केरल, मद्रास और दिल्ली में, जहां वे अपेक्षाकृत ज्यादा लोकप्रिय हैं, कुछ खास कानून लागू हैं।

(1) यह निदेश सभी, वित्तीय कम्पनियों अर्थात् ऋण- सम्बन्धी कम्पनियों, किराया खरीद वित्त कम्पनियों, आवासन वित्त कम्पनियों, निवेश-सम्बन्धी कम्पनियों, विविध वित्त कम्पनियों, चिट-फंड कम्पनियों, निधियों और पारस्परिक लाभ सम्बन्धी वित्तीय कम्पनियों, पर लागू है, चाहे वे लोगों से जमा के रूप में रकमें स्वीकार करती हों या न करती हों। (बीमा कम्पनियों और शेयर-बाजार तथा दलाली या स्टाक की आढ़त का काम करने वाली कम्पनियां इसमें शामिल नहीं हैं)

(2) किराया - खरीद वित्त कम्पनी या आवासन वित्त कम्पनी को (क) नकद रकम के रूप में अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में अभारग्रस्त या दूसरी न्यासी प्रतिभूतियों के रूप में बकाया जमा रकमों के 10 प्रतिशत भाग के बराबर की रकम रखनी होगी और (ख) अपने ऋणों की वसूली इस प्रकार करनी होगी कि दो छमाहियों में से हर छमाही में, किराया-खरीद करारों के अन्तर्गत कम्पनियों को अदा की जाने वाली किस्तों के रूप में प्राप्त होने वाली कुल रकमें, पहले के वित्तीय वर्ष के कामकाज के अंतिम दिन को कारबार बंद होने के समय ऐसे करारों के अन्तर्गत बकाया पड़ी हुई रकम के 25 प्रतिशत भाग से कम न हो।

(3) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी, जमा के रूप में ऐसी रकमें स्वीकार न करेगी, जिनकी अदायगी मांग करने पर या पूर्व सूचना देने पर या 12 महीने (किराया खरीद वित्त कम्पनी और आवासन वित्त कम्पनी के लिए छ महीने) से कम अवधि के बाद करनी पड़े।

(4) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (किराया खरीद वित्त कम्पनी और आवासन वित्त कम्पनी से भिन्न) अपनी चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधि की रकम के 24 प्रतिशत भाग से ज्यादा रकम की जमा स्वीकार नहीं करेगी।

(5) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी, जमा के रूप में रकमें प्राप्त करने के लिए तब तक विज्ञापन जारी न करेगी, जब तक इस प्रकार के विज्ञापन में उस कम्पनी के सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरा जैसे उस कम्पनी के स्वरूप, कारबार, पिछले वित्तीय वर्षों के लाभों, चुकता पूंजी, प्रारक्षित निधि और उसी तरह की अन्य बातों के सम्बन्ध में ब्योरा प्रस्तुत न किया गया हो।

(6) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी हर जमा कर्ता को ऐसी हर रकम के लिए एक रसीद देगी, जो कम्पनी ने प्राप्त की हो और वह कम्पनी ऐसे रजिस्टर रखेगी, जिनमें हर जमा रकम का पूरा-पूरा ब्यौरा दिया गया हो।

(7) कम्पनी के निदेशक-मंडल की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन बातों से सम्बन्धित सूचना का ब्यौरा भी होना चाहिए – (क) कम्पनी के उन जमाकर्ताओं की संख्या जिन्होंने अपनी जमा रकमें न मांगी हों या जिनकी जमा रकमों की अदायगी कम्पनी ने उनके नवीकरण का समय आ जाने के बाद न की हो और (ख) वे रकमें जो निर्धारित तारीखों के बाद मांगी न गयी हो या अदा न की गयी हों।

(8) समय से पहले वापस की गयी जमा रकमों का ब्याज रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार होगा।

श्री उमानाथ : जैसा कि माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के विभिन्न राज्यों में लागू होने के बावजूद भी बहुत से नागरिकों को इन चिट-फंड संस्थाओं द्वारा धोखा दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ वे एक वित्त कम्पनी से 20,000 रुपये का ऋण मांगते हैं और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं रहता। इन मामलों में जिन व्यक्तियों को धोखा दिया गया है वे अधिकतर माध्यमिक और गरीब वर्ग के लोग है जो मकान बनवाने तथा अन्य बातों के लिये ऋण लेते हैं। क्या सरकार ने इन विभिन्न संस्थाओं के कार्य की ओर ध्यान दिया है। इन संस्थाओं द्वारा कितने व्यक्तियों को धोखा दिया गया और क्या वर्तमान कानून अथवा अधिनियम उन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार इस ओर निरन्तर ध्यान दे रही है। जहाँ तक कि जो व्यक्ति इन कम्पनियों के शिकार हुए हैं मेरे विचार से इतनी कम्पनियों का फेल हो जाना और लोगों को धोखा देना उनके लिए एक चेतावनी है। इस तथ्य से उन्हें सचेत हो जाना चाहिये। जहाँ तक उससे सम्बद्ध कानून का सम्बन्ध है उसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है और अब भी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री उमानाथ : क्या सरकार का विचार कोई नया कानून बनाने का है ताकि इन धोखा दिये गये व्यक्तियों का कोई बचाव किया जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस दिशा में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्यों कि अभी मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

डा० रानेन सेन : जनता की गरीबी का नाजायज लाभ उठाने के उद्देश्य से इन चिट फन्ड कम्पनियों और मकान के निर्माण के लिये वित्त सहायता देने वाली कम्पनियों की देश में बहुज वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद कि रिजर्व बैंक ने सब सावधानियाँ बरती हैं, जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, इन कम्पनियों की लगातार वृद्धि हो रही है और अधिक से अधिक लोग इनके जाल में फंस रहे हैं। इन कम्पनियों के विरुद्ध कितने मामले चलाये गये हैं और वर्तमान निदेशों और कानूनों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि उन निदेशों के अतिरिक्त मद्रास चिट-फन्ड अधिनियम को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत इन कम्पनियों पर नियंत्रण करने के विभिन्न उपबन्धों की व्यवस्था की

गई है। इनमें से मैं एक या दो उपबन्धों का उल्लेख कर सकता हूँ। किसी चिट-फन्ड कम्पनी के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक चिट-फन्ड कम्पनी को चिट-फन्ड रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर न किया गया हो। दूसरे, फर्मों को रजिस्ट्रार आफ ट्रस्ट के पक्ष में एक किश्त में दी गई धन राशि के बराबर कीमत का एक पत्र देना होगा। तब फोरमेन का देय राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा और इस पर चिट की कीमत पर 5 प्रतिशत से अधिक कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यदि जिला न्यायालय के आदेशानुसार संतोषजनक रूप से चिट के सम्बन्ध में कार्य नहीं किया गया तो चिट समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में कुछ और विनियमन इस प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त 15 दिसम्बर, 1967 को एक विस्तृत सूची सभा-पटल पर रखी गई है जिसमें उन कम्पनियों के नाम दिये गये हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें पुलिस और रजिस्ट्रार द्वारा उनके सम्बन्ध में की गई कार्य के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon. Minister has stated that many of the Financial and Chit Fund companies have gone into liquidation.Their aim is to collect money from lower class people and then to transfer their funds in the names of their relatives. As they are limited companies, no civil suit can be filed against them. They start their companies with another name. They have taken the money of several widows and armed personnel.

According to my information these Finance and Chit Fund companies have misappropriated the money of the people to the extent of Rs.5 crores. Whether some legislation will be made against it so that criminal action may be takem against them even after transferring the money in some other's name.?

The number of such type of cases in Delhi and the amount involved in them ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि पुलिस को यह पता लगा कि कोई मामला गबन का है तो वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी। इन सब मामलों में कम्पनी विधि प्रशासन और रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्टें पुलिस को भेजते हैं। यदि पुलिस यह समझती है कि इन मामलों में कोई रुपये के गबन का मामला भी है तो वह कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करती है। धोखे के मामले में दीवानी कार्यवाही की जाती है। लेकिन और मामले पुलिस कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही उचित समझती है करती है।

Shri Kunwar Lal Gupta : The civil cases go on for year. Whether some legislation can be made so that criminal suit may be filed against them.

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस मामले में आपराधिक मामलों को बांटा नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में पहले ही विचार किया जा चुका है। सिविल मामले को 'क्रिमनल' कैसे बनाया जा सकता है, जब लोग जानबूझकर इन कम्पनियों में पैसा लगाते हैं तो हम उन लोगों की कैसे सहायता कर सकते हैं ? वे अधिक व्याज के लालच में रुपया न केवल उन कम्पनियों में जमा करते हैं बल्कि व्यक्तिगत लोगों के पास भी जमा करते हैं। वास्तव में यह लालच ही इसका मुख्य कारण है।

श्री लोबो प्रभु : चिट-फन्डों, हायर परचेज और देश में स्थित महाजनों के जो रुपये के लेन-देन का व्यापार करते हैं, से यह सिद्ध होता है कि देश में ऋण की बहुत आवश्यकता है और वर्तमान संस्थाएँ उसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। चूँकि सरकार विशिष्ट बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्था पर विचार कर रही है क्या यह उचित नहीं है कि हायर-परचेज को भी विशिष्ट बैंकंग प्रणाली में शामिल कर लिया जाए? क्या सरकार के लिए यह सम्भव है कि वह स्टेट बैंक से यह कहे कि कार्य कर रहो इन कुछ कम्पनियों का कार्य अपने हाथ में ले?

श्री मोरारजी देसाई : स्टेट बैंक इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

श्री लोबो प्रभु : तब इस ऋण की म ांग को कैसे पूरा किया जायेगा?

श्री मोरारजी देसाई : ये कम्पनियाँ जिन लोगों के हाथ में हैं उन्हीं के हाथ में रहेंगी।

श्री सूर्य नारायण : क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रकार की चिट फंड कम्पनियाँ खोलने की मांग की है?

श्री मोरारजी देसाई : अभी तक नहीं।

श्री सूर्य नारायण : क्या केरल सरकार ने कोई ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित की है जिसके अनुसार इन सोसाइटियों को बन्द करने के उद्देश्य से उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार है?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे कुछ चिट फंड कम्पनियों से यह ज्ञात हुआ है कि केरल सरकार का ऐसा करने का विचार है।

Shri O. P. Tyagi Whether Government has tried to investigate the number of persons decieved by these firms and the amount thereof?

Shri Morarji Desai : It is very difficult to do so, particularly in Delhi?

Shri K. N. Tiwari : Whether the Government has found out some means so that the public money invested in these companies may be detected?

Shri K. C. Pant : Central Bureau of investigation has conducted a survey regarding the operations of these companies.

Shri K. N. Tiwari : Whether the survey regarding the amount deposited has also been conducted?

Shri Morarji Desai : How can it be done?

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*541. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए किन-किन विशेषज्ञ निकायों ने अपना परामर्श दिया है ;

(ख) क्या इस विशेष उद्देश्य से इन विशेषज्ञ निकायों का गठन सरकार द्वारा किया गया था अथवा कुछ निजी संगठनों ने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए स्वतः परामर्श दिया था ;

(ग) क्या इन निकायों के परामर्श को संसद् को उपलब्ध किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसको सभा-पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले पाँच वर्षों में केवल एक ही विशेषज्ञ संस्था अर्थात् प्रशासनिक सुधार आयोग ने सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कार्य में सुधार करने के लिए परामर्श दिया है ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जिसकी स्थापना सरकार ने की थी, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बारे में अक्टूबर 1967 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दे दी हैं ।

(ग) यह रिपोर्ट 20 दिसम्बर, 1967 को सभा की मेज पर रख दी गई थी ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Shri Hardayal Devgun : Some suggestions have also been given by the Public Undertaking Committee in this regard. I want to know the extent to which these suggestions have been implemented and the suggestions on which no action has been taken.

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri K.C. Pant): The Public Undertaking Committee have submitted a report on Township and Factory Building, Management and Administration of Public Undertakings, Materials, Management Public enterprises etc. At present it cannot be disclosed the extent to which the action has been taken in this respect. But generally the action is being taken on all the reports of the Public undertaking Committee. Pubic undertaking Committee has been told the extent to which the action has been taken.

श्री बेदव्रत बरुआ : पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने यह सुझाव दिया था कि अधिकारियों को यदा-कदा क्रय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि निर्माण के लिए क्रय की आवश्यकता हो भी तो अधिकारियों के अलावा और कौन क्रय करेगा ? इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए ।

श्री कृष्ण मूर्ति : ऐसा पता लगा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रबन्धक के ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए । नीति निर्धारण तथा निर्णय लिये जाने सम्बन्धी अधिकार सब केन्द्र सरकार स्तर पर जमा नहीं हो जाने चाहिए वे यूनिट स्तर होने चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*543. †**श्री उमानाथ**:
श्री वि० कु० मोडक :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अब्राहम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, अहमदाबाद, सौराष्ट्र के कुछ नगरों तथा अन्य केन्द्रों में भारत के स्टेट बैंक के कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने 28 फरवरी, 1968 को काम भी नहीं किया था ;

(ख) यदि हाँ तो उनकी क्या मांगें हैं ; और

(ग) विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क), (ख) और (ग) राज्य बैंक कर्मचारी संगठन (स्टेट बैंक वर्क्सस आर्गनाइजेशन) के कुछ सदस्यों ने सामान्य रूप से किए गए अपने तबादलों के विरोध में बम्बई में 6 से 13 फरवरी, 1968 तक भूख हड़ताल की। यह आन्दोलन बाद में वापस ले लिया गया।

28 फरवरी को की गई हड़ताल 23 दिसम्बर, 1967 को लोक-सभा में पेश किए गये बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक 1967 के कुछ उपबन्धों के विरोध में थी। चूंकि यह मामला पहले से ही संसद् के सामने है, इसलिए इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री उमानाथ: 28 फरवरी को हड़ताल करने वाले देश के सब बैंक-कर्मचारियों, जिनमें स्टेट बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे, की एक मुख्य मांग बैंकों के तथा कथित सामाजिकरण हेतु रखे गये विधेयक के उस उपलब्ध के संबंध में थी जो कि कार्मिक-संघों के उन अधिकारों का दमन करती है जो कि सारे देश में उन्हें पहले से ही प्राप्त हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कार्मिक-संघों के अधिकारों का दमन करने के लिए ऐसे विधेयक में उस उपबन्ध को लाने का क्या अभिप्राय था जबकि तथाकथित बैंकों के सामाजिकरण के संदर्भ में कार्मिक संघों के कार्य-कलापों पर प्रभाव डालने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जैसे दूसरे अधिनियम पहले से ही विद्यमान हैं ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह इसलिए किया गया है कि बैंक वालों ने सरकार से अनुरोध किया कि इन कार्मिक-संघों के कार्य-कलापों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, अथवा फिर इसलिए किया है कि सरकार बैंक वालों को कुछ रियायतें देना चाहती है क्यों कि उन्होंने इस विधेयक के अन्तर्गत कुछ प्रतिबन्धों को स्वीकार कर लिया है ?

श्री मोरारजी देसाई: मेरे विचार से इस पर विचार करने के लिए वही समय उपयुक्त होगा जब कि वह विधेयक वाद-विवाद के लिए सभा में आएगा। मेरी दृष्टि में विधेयक का यह वैध भाग है।

श्री उमानाथ: कैसे ?

श्री मोरारजी देसाई: इस पर उस दिन को वाद-विवाद किया जाएगा जिस दिन वह विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत होगा। आज नहीं।

श्री उमानाथ: महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर...

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं, आप जानकारी देने के लिए कह रहे हैं।

श्री उमानाथ : व्यवस्था-सम्बन्धी मेरे प्रश्न का अभिप्राय है कि इसमें सार्वजनिक हित की कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल की अवधि में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय उत्तर देने से इन्कार करते हैं । उस दिन घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रश्न पर इन्होंने कहा 'आपको आय-व्ययक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।' आय-व्ययक एक गुप्त चीज होती है तथा देश को तभी पता लगता है जबकि इसे प्रस्तुत किया जाता है । परन्तु यह विधेयक तो रखा जा चुका है तथा अब यह सार्वजनिक सम्पत्ति है, तथा इस सभा की सम्पत्ति पर ही मैं प्रश्न कर रहा हूँ । जब इस उपबन्ध पर समस्त बैंक-कर्मचारियों द्वारा आपत्ति की गई है, तो यह कहते हैं किसी भी कारण से इसे रख दिया गया है । मैं इसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो यह पूछा है कि क्या बैंक वालों ने मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि इस विधि के साथ (कार्मिक संघों) के ये अधिकार भी प्रतिबन्धित किए जाने चाहिए ?

श्री मोरारजी देसाई : बैंक वाले तो अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में समय-समय पर अभ्यावेदन देते ही हैं । परन्तु यह उपबन्ध बैंक वालों के कहने से नहीं रखी गयी है । सरकार इसका अवश्य खयाल रखती है कि बैंक कर्मचारियों के कार्मिक-संघों के अधिकारों की भी सदा रक्षा हो । परन्तु जो कार्मिक-संघ के अधिकार नहीं हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने तो यह कहा है कि प्रश्न-काल की अवधि में विधेयक पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता । इस पर वाद-विवाद तो किया जा सकता है पर जब सभा में इसे इसके लिए प्रस्तुत किया जाए ।

श्री उमानाथ: जब समस्त बैंक-उद्योग ने अपनी इस मांग को लेकर सारे देश में एक दिन की हड़ताल की है कि उसके इन अधिकारों का दमन न किया जाए तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके इस अभ्यावेदन पर सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

श्री मोरारजी देसाई : समय आने पर इस पर सभा में वाद-विवाद किया जा सकता है ।

श्री उमानाथ : उन्होंने अभ्यावेदन भेजा है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार बैंक-कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उनसे बातचीत करने का विचार रखती है ?

श्री मोरारजी देसाई : विधान बनाते समय उनसे कभी बातचीत नहीं की जाती ।

श्री अब्राहम : सरकार ने कई बार कहा है कि पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन ने कुछ निर्णयों को कार्य रूप देना स्वीकार कर लिया है । "निर्णयों" से अभिप्राय है यदि युक्तिकरण होना है तो इस पर संघ-प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा । स्टेट बैंक के कर्मचारियों के मामले में, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या स्टेट बैंक अधिकारियों ने संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह बात यहाँ नहीं उठती ।

श्री उमानाथ : उठती है । 28 फरवरी की उनकी हड़ताल का एक कारण स्व-चालित मशीनों को अपनाने से भी सम्बन्धित है । वह उस प्रश्न का उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा !... यहाँ नहीं हैं... श्री रमानी !

श्री रमानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि पढ़े-लिखे लोगों की इस बड़ी बेकारी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पर विचार करेगी....।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रश्न है ।

श्री रमानी : पन्द्रहवें श्रम-सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार, सरकार की जिम्मेवारी है कि कम्प्यूटर या युक्तिकरण योजना का प्रयोग करने से पूर्व बातचीत कर लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने बैंक-कर्मचारी संस्था अथवा इसके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था ?

श्री मोरारजी देसाई : क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यह इस प्रश्न का भाग ही नहीं है ?

श्री उमानाथ : यह इस प्रश्न का एक भाग है और इसीलिए मैं उठा हूँ । यह प्रश्न यहाँ उठता है । 28 फरवरी हड़ताल से उनकी दो मांगों का सम्बन्ध था : एक तो सामाजीकरण विधेयक के उस उपबन्ध से सम्बन्धित था तथा दूसरा बैंकों में स्व-चालित मशीनों के प्रयोग के बारे में था । मेरे माननीय मित्र ने स्व-संचालन तथा बेरोजगारी विषय की दूसरी मांग के बारे में प्रश्न किया है । अतः यह यथासंगत है । वह उत्तर दें ।

श्री मोरारजी देसाई : उनकी बैंक से बातचीत होनी चाहिए न कि सरकार से ।

श्री उमानाथ : स्टेट बैंक सरकार के नियंत्रण में है ।

श्री मोरारजी देसाई : यह एक स्वायत-शासी निकाय है तथा हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते ।

श्री शान्ति लाल शाह : क्या सरकार को ज्ञात है कि काफी बैंक-कर्मचारियों ने इस हड़ताल का विरोध किया था तथा बहुत सारे कर्मचारी बाधाओं तथा धमकियों के कारण अपने काम पर न जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है ।

श्री द० रा० परमार : क्या यह सत्य है कि स्टेट बैंक कर्मचारियों के दो (कार्मिक) संघ हैं । 28 फरवरी को हड़ताल में भाग लेना वाला संघ हड़ताल में भाग न लेने वाले नए संघ के सदस्यों को तंग करता है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में नए संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को नए संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार इनमें से किसी भी संघ का प्रशासन नहीं चला रही है। यह काम बैंक का है।

श्री दामानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक कर्मचारियों में अनुशासन और प्रतिभा काफी घट गई है ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा ही कुछ आभास होता है।

तालचेर औद्योगिक सार्थ समूह

*545. **श्री रवि राय :** **श्री क० प्र० सिंह देव**

श्री जुगल मन्डल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को जब वे तालचेर औद्योगिक सार्थ समूह का उद्घाटन करने इस मास तालचेर गई थीं, इस औद्योगिक सार्थ-समूह का विकास करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) Yes, Sir.

(b) The memorandum seeks to obtain early approval and the assistance of Government of India to the inplementation of the Talcher Industrial Complex.

(c) The proposal is under examination.

Shri Rabi Ray : I want to know from the hon. Minister that as the demand for opening fertilizer factory is from Government of Orissa the hon. Minister stipulated some time within which he will inform the Government of Orissa as to when this fertilizer factory will be opened there ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इस ग्रन्थि की प्रगति के बारे में ब्यौरे का जहाँ तक सम्बन्ध है, यह उस सारी ग्रन्थि का एक भाग है और यदि इस ग्रंथि के प्रथम चरण को भी ले लें तो भी यथेष्ट सीमा तक उर्वरक का उत्पादन नहीं होगा।

Shri Rabi Ray : Firstly, I want to know as to how much amount has been asked for by the Government of Orissa ; secondly, what is the Government doing in response to the demand made by the people and Government of Orissa in regard to installation of railway lines between Talchber and Rourkela with a view to industrialising Orissa ?

श्री प्र० चं० सेठी : रेलवे लाइन के सम्बन्ध में उत्तर देना मेरे लिए कठिन है। परन्तु जहाँ तक सारी की सारी ग्रन्थि का सम्बन्ध में, प्रथम चरण में इस पर प्राय: 10-89 करोड़ रुपये लागत आयेगी, तथा यदि सारी ग्रन्थि के कार्य को हाथ में लिया गया तो लगभग 46 करोड़ रुपये लागत आएगी।

श्री क० प्र० सिंह देव : इस तथ्य की दृष्टि से कि तालचर ही एक ऐसी विशाल

औद्योगिक-विकास ग्रन्थि है, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित किया गया था, क्या सरकार इसके काम को चौथी योजना के दौरान ले रही है ? और क्यों कि इससे भारी संख्या में बेकार इन्जीनियरों को काम मिलेगा तथा उर्वरक का भी उत्पादन होगा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इसको कितनी जल्दी कार्य-रूप दिया जाएगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस ग्रन्थि के सम्बन्ध में कई अन्य मंत्रालयों के भी विचार लेने पड़ेंगे, अतः आयोजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के सलाहकारों द्वारा इसकी जाँच की जा रही तथा इस पर मत-भेद है । अतः हम सारे ही मामले की जाँच कर रहे हैं।

श्री रंगा : वह पूछ रहे हैं कि क्या आप इसे, पूर्ण अथवा कम से कम एक भाग के रूप में, चौथी योजना में शामिल कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जब तक इसकी पूरी जाँच नहीं हो जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु इसके उपरान्त तथा विचार मिलने पर हम निश्चय ही इसे आरम्भ करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सत्य नहीं है कि इस तालचर उद्योग-ग्रन्थि की सारी निर्माण-योजना का ब्यौरा भारतीय इन्जीनियरों ने तैयार किया है तथा आयोजना-आयोग तथा वित्त-मंत्रालय ने कई बार इस पर विचार किया है, तथा योजना के सम्बन्ध में वित्त-मंत्रालय ने उसे ठीक भी बताया है, और यदि नहीं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि और आगे क्या विचार-विमर्श हो रहा है तथा इसको चौथी योजना में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा ?

श्री प्र० चं० सेठी : निर्माण-योजना के प्रतिवेदन को तैयार करने का काम उड़ीसा खान निगम तथा सी० एफ० आर० आई० डिजाइन ब्यूरों ने किया था और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के डिजाइन ब्यौरा से भी सलाह ली गई थी जिसका कि निर्माण-योजना का प्रतिवेदन लिखने निकटतम् सहयोग था । एन० एम० एल० से भी सलाह ली गई थी । वित्त मंत्रालय का मत है कि यदि इसे चलाना भी है तो इसका प्रथम चरण ही लेना चाहिए, परन्तु आयोजना-आयोग का मत है कि यदि यह निर्माण-योजना उठानी ही है तो पूरे रूप में उठाई जानी चाहिए। अतः इन सब विस्तृत मामलों की जाँच करनी होगी ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : जब प्रधान मंत्री वहाँ गईं तो उन्हें एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया गया था । तो यह कैसे हुआ कि सम्बन्धित मंत्रालयों ने इस मामले को नहीं लिया ? क्या मैं जान सकता हूँ क्या पूर्व निर्णय के अनुसार इसे आरम्भ किया जाएगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : दूसरे मंत्रालय तो पहले से ही मामले पर विचार कर रहे हैं। जब प्रधान मंत्री वहाँ गईं तो उन्हें एक स्मरण-पत्र दिया गया था तथा उन्होंने भी सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रेषित कर दिया है ।

गुजरात में तेल और गैस की उपलब्धता

*546. †**श्री द० रा० परमार** :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० कि० अमीन :
श्री रामचंद्र ज० अमीन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि गुजरात राज्य में तेल और गैस मिलने का इस समय अनुमान लगभग दो अथवा तीन वर्ष पहले लगाए गए अनुमान से बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस राज्य में तेल शोधन की क्षमता को या तो वर्तमान तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ा कर अथवा एक अतिरिक्त कारखाना स्थापित करके, बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि एक अतिरिक्त कारखाना खोलने का विचार है तो कहाँ पर खोले जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) अब परिकलित किए गए प्राप्य संचय तीन वर्ष पहले की तुलना में कुछ अधिक हैं ।

(ख) गुजरात शोधनशाला को प्रति वर्ष 3 मिलियन मीटरी टन तक अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है ; जो उपलब्ध तेल की अतिरिक्त मात्राओं की खपत करेगा ।

(ग) कोई अतिरिक्त शोधनशाला आवश्यक नहीं समझी गई है ।

श्री दा० रा० परमार : गुजरात तेल क्षेत्रों से इस समय उस राज्य से बाहर के तेल शोधक कारखानों को तेल की कितनी मात्रा भेजी जा रही है ?

श्री रघुरामैया : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री द० रा० परमार : क्या यह सच है कि बर्मा शेल ने अपने तेल-शोधक कारखाने का विस्तार कर लिया है क्यों कि उसे गुजरात के तेल क्षेत्रों से कुछ तेल मिल रहा है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : उस प्रयोजन के लिये ।

श्री रा० कि० अमीन : क्या सरकार को पता है कि गुजरात तेल क्षेत्रों की गैस को सामूहिक सार्वजनिक कार्य में न लगाकर कलोल और अंकलेश्वर में जला दिया जाता है ?

श्री रघुरामैया: जिसे तुरन्त उपयोग नहीं किया जा सकता केवल उसे ही जलाया जा रहा है। किन्तु यथासंभव अधिक मात्रा प्रयोग में लाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री राणा: क्या सरकार को पता है कि भड़ौंच जिले में लगभग एक लाख एकड़ खार भूमि उपलब्ध है जिसे अतिरिक्त तेल-शोधक कारखाने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है ?

श्री रघुरामैया : अतिरिक्त कारखाना स्थापित करने का प्रश्न अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । प्रत्याशित संसाधनों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है।

श्री रंगा : गैस का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये क्या विशिष्ट प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री रघुरामैया : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य खाना पकाने वाली गैस से है, तो हम अब सिलैंडरों की उपलब्धता को बढ़ा रहे हैं। सिलैंडरों का वितरण नगरवार और राज्यवार किया जा रहा है। अनेक मामलों में अलबत्ता सिलैंडरों की समस्या है।

श्री मनुभाई पटेल : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बताये गये कतिपय उपकरणों के अधिष्ठापन के बावजूद भी बड़ौदा की इन्डस्ट्रीज कहती है कि वे गैस सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कहता है हम सप्लाई करने के लिये तैयार हैं किन्तु वे गैस लेने को तैयार नहीं हैं। सही स्थिति क्या है?

श्री रघुरामैया : मैं समझता हूँ उपलब्धि के अधीन रहते हुए उद्योगों को यथासंभव अधिक मात्रा देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैस को रोका जा रहा है। वे जितनी मात्रा ले सकते हैं हम उतनी मात्रा देने के लिये तैयार हैं।

श्री दायाभाई पटेल : गुजरात में तेल की बढ़ती हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एक पैट्रो-रसायन कांम्पलेक्स स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं?

श्री रघुरामैया : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं उसे शीघ्र किया जा रहा है।

श्री बलराज मधोक : क्या कच्छ के रण में तेल की खोज की गई है, यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला?

अभी माननीय मंत्री ने कहा कि उनके पास सिलैंडर नहीं हैं। क्या सरकार इसी तरह कार्य करती हैं? क्या सरकार की इस गलती को क्षमा किया जा सकता है जबकि गैस नष्ट जा रही है? इस अपव्यय को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

श्री अशोक मेहता : गुजरात के विभिन्न भागों में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और उनके पूरा होने तक मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

जहाँ तक सिलैंडरों का सम्बन्ध है, मुख्य कठिनाई इस्पात की है। इसके लिये विशेष प्रकार के इस्पात की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से उस प्रकार के इस्पात की जरुरत एक ऐसे प्रयोजन के लिये भी थी जिसकी अधिक प्राथमिकता है और इस प्रकार भारतीय तेल निगम को आवंटित मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। हम कुछ इस्पात प्राप्त कर रहे हैं और उसे अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि अधिक सिलैंडर बनाये जा सकें। जहाँ तक प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है, इस समय उपलब्ध गैस की पूर्ण मात्रा विशिष्ट उपयोगों के लिये आवंटित की गई है। इसमें से अधिकांश गैस बिजली-घरों द्वारा उपयोग में लाई जायेगी, किन्तु कुछ बिजलीघरों की अपनी कठिनाइयां हैं और इसलिए वे इसे नहीं ले सक रहे हैं। आवंटित मात्रा के अतिरिक्त कोई मात्रा नहीं हैं किन्तु आवंटित मात्रा के उपयोग में कुछ समय अवश्य लगता है।

Shrimati Jayaben Shah : What are the reasons for not giving gas to the industries of Baroda when they have asked for it and made all the necessary preparations?

श्री अशोक मेहता : में इस मामले की जांच करके बताऊंगा।

श्री हेम बरुआ : जब कैम्बे में तथा काथित तेल क्षेत्र का पता लगा तो मुझे याद है तत्कालीन मंत्री श्री के० डी० मालवीय ने घोषणा की थी कि गुजरात में बहुत तेल है, किन्तु अन्त में पता लगा कि यह मुख्य रूप से एक तेल क्षेत्र नहीं है, अपितु एक गैस क्षेत्र है। क्या ऐसी घोषण करने से पहले सरकार ने कोई भूतलीय सर्वेक्षण किया है और क्या गुजरात क्षेत्रों में सुर्द गैस उपलन्ध होगी ?

श्री अशोक मेहता : कुछ क्षेत्रों में तेल निकाला जा रहा हैं और दूसरों में हमें तेल मिलने की आशा है। कुछ क्षेत्रों में गैस का उत्पादन किया जा रहा है और दूसरे क्षेत्रों में हमें गैस मिलने की आशा है। तेल उद्योग में भविष्य की सम्भावनाओं के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता

श्री हेम बरुआ : श्री अशोक मेहता के पूर्वाधिकारी को तेल क्षेत्रों से इतना प्यार था कि उन्होंने 'लिंक' में एक लेख में कहा कि गुजरात कैम्बे में तेल बड़ी मात्रा में है और उनका यह कथन सच नहीं निकला। मैं नहीं चाहता कि यह मंत्री भी इस जाल में फंसें।

श्री अशोक मेहता : तेल एक अजीब उद्योग है। कुछ स्थानों मे यदि 50,000 बैरल एक कुंए से निकलते हैं तो सम्भावना होती है, दूसरे स्थानों में प्रति दिन 20,000 से 30,000 बैरल निकलने पर उत्पादन नहीं बढ़ता। प्रत्येक स्थान पर एक ही मापदण्ड नहीं लागू होता।

श्री कंडप्पन : निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है और सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों के स्थान की इसमें एक बड़ा कारण हैं। क्या सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों का विस्तार करते समय या नये कारखाने स्थापित करते समय उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : यदि किसी विशिष्ट मामले में उत्पादन लागत अधिक है तो इसका कारण यह है कि वह कारखाना 10 वर्ष बाद स्थापित किया गया था और उसमें अधिक विनियोजन करने की वजह से पुराने कारखाने की अपेक्षा उत्पादन लागत कुछ अधिक है। इस बढ़ी हुई पूंजी लागत के अतिरिक्त में समझता हूँ हमारे तेल-शोधक कारखाने उतने ही कार्यकुशल हैं जितने कि अन्य कारखाने।

गैर-सरकारी क्षेत्रों को विस्तार की अनुमति देने का इस समय कोई सुझाव नहीं है किन्तु इन कारखानों में कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनमें कुछ बेकार क्षमता है और वे कहते हैं कि बिना किसी विनियोजन के इस क्षमता के प्रयोग की अनुमति दे दी जाये। बढ़ी हुई परिशोधन क्षमता के उपयोग के प्रश्न पर जब भी विचार किया जायेगा तब ही इस मामले पर भी गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

मैं नहीं समझता कि कारखानों के स्थान का चुनाव गलत हुआ है क्यों कि स्थानों का चुनाव मुख्य रूप से दो बातों को दृष्टिगत रख कर किया जाता है, पहली तो यह कि क्या कारखाना उत्पादन केन्द्रों के निकट है; दूसरी यह कि क्या वह बन्दरगाहों के निकट है जहां

पर कि अशोधित तेल बड़ी सरलता से आयात किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य हमारे तेल उत्पादों के वितरण मानचित्र को देखें तो उन्हे पता चलेगा कि हमारे तेल-शोधक कारखानों के स्थान बहुत ध्यानपूर्वक चुने गये हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि लोक उपक्रक सीमति ने 1965 में यह सिफारिश की थी कि व्ययगत गैस को घरेलू उपभोग के लिये स्थानीय लोगों को उपलबध कराया जाना चाहिये ? क्या सरकार ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण कराया है ?

श्री रघुरामैया : वितरण के लिये मण्डी निश्चित करते समय सभी बातों पर विचार किया जाता है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि गुजरात के तट पर रूसी तेल विशेषज्ञों ने खोज की थी और वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि तटदूर क्षेत्र में भारी मात्रा में तेल का पता लगाया जा सकता है और वे इस मामले में सहायता देने के लिये तैयार थे ? क्या यह भी सच है कि इस पेशकश के बावजूद पैट्रोलियम मंत्रालय किसी अमरीकी कम्पनी से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ?

श्री अशोक मेहता : रूसी विशेषज्ञों की सहायता से कैम्बे क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे। यह सच है कि कुछ क्षेत्रों के बारे में कहा गया है कि उनमें तेल है। मुख्य रूप से क्षेत्रों को तीन भागों में बाटा जा सकता है। पहला भाग वह है जिसका कुछ हिस्सा समुद्र में और कुछ खुश्की में है। दूसरा भाग पूर्ण रूप से पानी में है। तीसरा भाग गहरे जल मे है। जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इसके काम को स्वयं करने की स्थिति में है। दूसरा क्षेत्र 20 फुट पानी के नीचे है। हाल ही में रूसी विशेषज्ञ यहां आये थे और उनके सहयोग से हम महसूस करते हैं कि दूसरे भाग का भी कार्य आरम्भ किया जा सकता है। तीसरे क्षेत्र के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञ कोई मंत्रणा या सहायता देने की सहायता में नहीं हैं। क्या इस कार्य को फिलहाल स्थगित करना चाहिये या कुछ पश्चिमी देशों को सहायता प्राप्त करनी चाहिये ये सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं ?

फुटकर निकास-केन्द्र समिति (रिटेल आउटलेट कमेटी)

* 550. †**श्री उमानाथ** : **श्री एस्थोस** :
श्री नायनार : **श्री पी० राममूर्ति** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फुटकर निकास-केन्द्र समिति के प्रतिवेदन पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां।

(ख) सरकार ने खुदरा बिक्री--पम्प समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करने तथा अपनाने का निर्णय कर लिया है ।

श्री उमानाथ : समिति द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री रघुरामैया: समिति का प्रतिवेदन संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

श्री उमानाथ: विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध एक आरोप यह है कि चूंकि उन्हें तेल की कुछ मात्रा रिटेल में बेचने की अनुमति है इसलिये वे उसका मूल्य इतना कम रखते हैं कि हमारे उपक्रमों को लाभ न हो सके । क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है । यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रघुरामैया: मूल्य निश्चित हैं और उनके लिये विशेष मूल्य होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

कोयला तथा नेफ्था-आधारित उर्वरक कारखाने

*553. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयला-आधारित तथा नेफ्था-आधारित उर्वरक कारखानों के लाभ तथा अलाभों का सरकार ने कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) और (ख) प्रारम्भिक अध्ययन से मालूम हुआ है कि नेफ्था-आधारित तथा कोयला-आधारित उर्वरक कारखानों की तुलनात्मक अर्थिक-व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रारम्भिक निवेश, संयन्त्र का आकार, इसके स्थल के साथ-साथ मार्किट, कच्चे माल की लागत एंव प्रयोग, सम्मिश्र उत्पाद तथा विक्रय मूल्य जैसे विभिन्न मदों पर निर्भर है। तदनुसार विशेष स्थानों के बारे में अधिक विस्तृत अध्ययन किया गया है । यह प्रगति में है।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether the proposed furtiliser Plant in Mirzapur, U. P. will be Naptha-based or coal-based and whether it will be in Public Sector or Private Sector, if in Private Sector, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Ashok Melta) : That plant will be naptha-based and in private sector. The reason for this is that for the next two years we have already heavy programmes in hand for the Public Sector. The hon. Member might be knowing that four new plants are being set up by F.C.I. and F.A.C.T. We are setting up the fifth plant in Madras Fertilisers. Apart from thus there is a big expansion programme in Trombay.

The fertiliser plant at Mirzapur is being set up by M/s Hindustan Aluminium.

Shri Y. S. Kushwah : At what stage is the work relating to the setting up of coal-based fertiliser plant at Korba and has the Madhya Pradesh Government agreed to provide necessary facilities for this and by what time a final decision is likely to be taken in this regard ?

Shri Ashok Mehta : At some site surveys are under way and Korba is one of them.

Shri Y. S. Kushwah : Has the Madhya Pradesh Government given facilities ?....

Shri Ashok Mehta : While conducting the survey the facilities exteded by the Madhya Pradesh Government are also taken into consideration.

Shri Niti Raj Singh Chowdhry : May I know whether the Economic Study Committee appointed by the Fertiliser Corporation had stated in its report that coal-based fertiliser will cost Rs.308 per ton while naptha-based fertiliser will cost Rs.375 per ton and if so, the reasons for not setting up coal-based fertiliser plants?

Shri Ashok Mehta : That is not true. There are very few places in the world where coal-based fertilisers plants are being set up. Ofcourse, there are certain cases where due to the proximity of coal mines it may be advantageus to set up coal-based fertiliser plants there. But in the present economic conditions it is not feasible to do so.

Shri Rabi Ray : While replying to Shri Jha's question, the hon. Minister, in a low tone said that that had been given over to Hindustan Aluminium Factory ; so I want to ask as who are the gentlemen running this factory ?

Shri Ashok Mehta : It might have many share-holders but you well know that Birla Co. runs it.

श्री विश्वम्भरम : महोदय, कोचीन में नफथा-आधारित पैट्रो-रसायन ग्रन्थि आरम्भ करने के कुछ सुझाव हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या अब हम सारे भारत के बारे में विचार करेंगे ?

श्री विश्वम्भरम : मंत्री महोदय ने कितनी ही निर्माण-योजनाओं के बारे में कहा हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किसी स्थान-विशेष के बारे में नहीं है। हमें अब अगला प्रश्न लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोथागुडियम के विषय में पूछना चाहते हैं ? इस प्रश्न में हम सारे भारत के बारे में विचार नहीं कर सकते। वह भी अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री विश्वम्भरम : मंत्री महोदय ने अन्य निर्माण- योजनाओं के बारे में कहा है। उन्होंने इसका वर्णन क्यों नहीं किया ? कोचीन में प्रस्तावित नफथा-आधारित पैट्रो-रसायन ग्रन्थि की क्या स्थिति हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी, हम राज्यों के क्रम के अनुसार यहां विचार नहीं कर सकते।

आयकर सम्बन्धी मामले

*554 **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः वर्षों से आय-कर निर्धारण संबंधी मामलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1961 में कितने मामलों का निर्धारण किया जाना शेष था और 1967 के अन्त तक ऐसे मामलों की संख्या क्या थी ; और

(ग) आय-कर निर्धारण संबंधी मामलों को निपटाने और बकाया राशि को वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही के फलस्वरूप समूचे निलम्बित कार्य को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

(क) जी, हां ।

(ख) कर-निर्धारण के 31 मार्च, 1961 और 31 मार्च, 1967 को बाकी पड़े मामलों की संख्या क्रमशः 6, 19, 117 और 23, 47, 513 थी।

(ग) कर-निर्धारण के लिये बाकी पड़े रहे मामलों को निपटाने में तथा कर की बकाया रकमों की वसूली करने में लगने वाले समय का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, यद्यपि यथासम्भव शीघ्र ही ऐसा करने के सभी यथार्थ उपाय किये जा रहे हैं ।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, as he has stated that more than six lakh cases of 1961 and twenty-three of 1967 are yet to be assessed, I wan to know from the hon. Minister whether it is a fact that whetever the number of cases reassessed by the Income Tax Officers in March forms one-fourth of the total cases they assess during the whole year, and that one-fourth also is assessed in such a hurry that a fifty per cent. of them is appealed against as a result of which crores of rupees of the Goverment is not recovered, neith er they want it to be recovered ; then is the Government aware that this whole mischief is donc in collusion with the rich men ?

Shri K. C. Pant : Sir, this haste is done only when we reach up the required extent of assessment. We hurry up lest any one should escape.

Shri Prem Chand Verma: Mr. Speaker, the hon. Minister has not replied to what I had asked. In this connection, I put another question whether it is a fact that 50% of the arrears of income tax which amount to crores of rupees belong to a handful of big business houses. May I know what steps have been taken to recover the arrears from them ?

Shri K. C. Pant : I do not know whether these arrears form 50 percent of the total arrears, however, a substantial portion of arrears belong to big business houses. Therefore, we have constituted separate circles which will concentrate on recoveries of these amounts.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी: वर्ष 1968-69 के चालू आय-व्ययक में कर-निर्धारिण अवधि को 4 वर्ष की सीमा को घटाकर 2 वर्ष करने की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ यह एक प्रशंसनीय कदम है । क्या मंत्रालय इस हेतु आय-कर अधिकारियों तथा आय–निर्धारण आयुक्तों आदि की संख्या में वृद्धि करेंगे ताकि कर-निर्धारण पूरा करने का कार्य 2 वर्ष की नव-निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: स्वाभाविक ही है कि मंत्रालय स्थिति-अनुसार उपाय करेगा तथा यदि कर्मचारी- वृन्द को बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो यह भी किया जायेगा । वास्तव में कई कदम तो हाल ही में उठाये गये हैं ।

Shrimati Luxmi Bai : I want to know whether Government is aware that the income-Tax Inspectors who recover the income tax, undertake part-time accounts work under the big business men and that is why they do not recover money from them? If so, what is the Government doing in this regard ? My second question is that those who fall under arrears, declare themselves as bankrupt and consequently get rid of payments. What is the Government doing for it ?

Shri K. C. Pant : As regards part-time working, the Government is not aware that the Income Tax Officers undertaken part-time work ; and if they become bankrupt what can the Government do ?

Shri Prakashvir Shastri : The Hon. Minister has just now indicated the number o cases in lakhs. What does it total to, and in view of the report of the Boothalingham Committeej will they find some easy measures to recover maximum amount ?

Shri K. C. Pant : Yes Sir. I do not have the latest figures for all the 23 lakh cases but there are arrears of Rs.400—500 crores and the recommendations of Boothalingham Committee are under consideration. If there are some helpful recommendations, those will be adopted.

Shri Sheo Narain : Every year there is a compliant that they hurry up only in the month of March, so, may I know from the Hon' Minister whether the Government will make adequate arrangements so that quarterly, half-yearly or nine-monthly checks are undertaken and the due arrears are recovered ? As stated by the state Finance Minister just now that there are arrears of Rs.500 cores, then will the Government have some compromise with them that they may pay only $\frac{3}{4}$ of the total arrears to Government.

Shri K. C. Pant : Both of these suggestion are for action.

Shri Mohammad Ismail : In connection with these outstanding arrears, is there any offer of paying the amount in instalments, if the Government agrees ? Secondly, it is known that the Bird and Companies have given notice to their employees stating that the Government is not agreeable to accept arrears in instalments and that is why they are closing down the factory. Has there been any such approach from someone that they want to pay the arrears in instalments and what does the Government want to do in this behalf ? The Bird and Company, in particular, is desirous of paying in instalments but the Government is not agreeable as a result of which the Company is closing down the factory.

Shri K. C. Pant : I cannot say about a particular company, but ordinarily if someone comes forward to pay the arrears in instalments and if the Department feels that there might be loss in the tax-payment if they do not accept it in instalments, the request is acceed to.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि 541.71 करोड़ रुपये की-राशि प्रायः 15 व्यक्तियों और 15 कम्पनियों की ओर बकाया है तथा क्या यह भी सत्य है कि भारत में व्यापार कर रही विदेशी तेल कम्पनी बर्मा-शैल रिफाईन्रीज़ लिमिटेड ने सरकार को 286 लाख रुपये की कर-राशि देनी है परन्तु उसने दी नहीं है ; यदि हां, तो इन व्यक्तियों तथा कम्पनियों से शीघ्र ही बकाया कर- राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक प्रश्न के उत्तर में अभी हाल ही में उसकी जानकारी दी गई थी । इन आंकड़ों के बारे में मैं दृढ़ता से तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु बर्मा शैल के

बारे में बताये गये आंकड़े कुछ ठीक जान पड़ते हैं। 540 करोड़ रुपये की राशि केवल 10-15 व्यक्तियों अथवा कम्पनियों पर नहीं बल्कि कुल बकाया कर-राशि है। इसमें से काफी बकाया कर-राशि तो कानूनी कारवाहियों के कारणों से रुकी पड़ी हैं। जहां तक हम वसूल कर पाते हैं : हम कर लेते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr.Speaker, lakhs of such cases have hanging fire since long ; so, is the Government taking some special steps to expedite their settlement and will the Government find out some ways so that the arrears are collected promptly and the tax-payers too might not have to wander about in courts for long ?

Shri K. C. Pant : Several steps are being taken. There have been discussions on it a number of times in the House and I have submitted the details. If you so desire, and if there is an occasion ; I shall again submit the details.

श्री कृष्ण मूर्ति : मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चहता हूँ कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि सबसे अधिक कर-राशि छिपाने वालों को भारत-रत्न अथवा पद्म-विभूषण उपाधि दी जाये ? यदि हां, तो उस सूची में कौन-कौन से नाम हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

मैक्सिको में ओलम्पिक खेल

6. †**श्री चन्द्रजीत यादव** : **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** :
श्री ही० नां० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य को मैक्सिको में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भाग लेने कि अनुमति दी है और इस निर्णय के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों ने ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी हाँ, ।

(ख) जब कि खेलों के क्षेत्र में परिव्याप्त दक्षिण अफ्रीका सरकार की घातक रंगभेद नीति के कारण श्रेणी विभाजन भेदभाव बढ़ता जाएगा तब तक भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के विरुद्ध है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि दक्षिणी अफ्रीका का मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में पुनः प्रविष्ट होना ओलम्पिक

इन्टरनेशनल चार्टर के ही विरुद्ध है और इसीलिये आज तक विश्व के 50 से अधिक देशों ने मैक्सिको ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार करने का निश्चय किया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संस्था को सलाह दी है कि वह खुलेआम घोषित कर दें कि जब तक दक्षिणी अफ्रीका को मैक्सिको ओलम्पिक खेलों से बहिष्कृत नहीं किया जाता भारतीय ओलम्पिक संस्था इन खेलों में भाग नहीं लेगी ।

डा० त्रिगुण सेन : ओलम्पिक खेलों सम्बन्धी नियमों की धारा 25 के अनुसार राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति पूर्णतया स्वतंत्र तथा स्वायत्त है तथा यह किसी भी प्रकार के राजनयिक, धार्मिक और व्यापारिक दबावों का सामना करने में समर्थ है । अतः भारत सरकार भारतीय ओलम्पिक संस्था के निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती । फिर भी मई, 1967 से सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संस्था के प्रधान को सूचित कर दिया था कि जब तक उस सरकार की दुष्ट व उदासीन नाति का बहुशाखन खेल कूद के क्षेत्र का भी पारगमन करता है, भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक सम्मेलनों में दक्षिणी अफ्रीकियों के भाग लेने का विरोध करती है । इसके उत्तर में भारतीय आलम्पिक संस्था के प्रधान ने सरकार को विश्वास दिया कि वह संस्था भी सरकार के दृष्टिकोण से सहमत है, तथा मुझे बताया गया है कि उस निर्णय में सुधार करने के लिये वे लोग अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी बैठक कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रजोत यादव : इस बात को देखते हुये कि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय भारतीय ओलम्पिक संस्था को बहुत बड़ी सीमा तक वित्तीय सहायता देती है, और कि जब तक वित्त-यंत्रालय इस संस्था को विदेशी मुद्रा नहीं देती वह संस्था अपने दलों को विदेशों मे नहीं भेज सकती ; तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यदि यह संस्था भी भारत की सलाह का उल्लंघन करती है तो क्या सरकार उस को वित्तीय सहायता तथा विदेशी मुद्रा की सहायता देना रोकने के उपाय करेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य को इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अभी हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने दक्षिण अफ्रीका की वर्णवादी ओलम्पिक समिति को मैक्सिको खेलों में पुनः प्रवेश देने के निर्णय की घोषणा की है जिसके परिणाम स्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय शोरगुल हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा विशेष कर उसके प्रधान श्री ब्रुनडाग के इस एक-पक्षीय रवैयों को दृष्टि में रखते हुआ, सरकार यह पूर्णतया स्पष्ट कर देगी कि यदि दक्षिणा-अफ्रीका को किसी भी शर्त पर मैक्सिको खेलों मे प्रवेश दिया गया तो यह देश उनमें भाग नहीं लेगा, क्योंकि मुझे डर है कि भारतीय ओलम्पिक संस्था जैसी कई व्यवसायिक संस्थायें कई बार ऐसे विचारों से प्रभावित होती हैं जिन में उदासीनता के प्रश्न पर देश की राष्ट्रीय नीति का ध्यान नहीं रखा जाता ? दक्षिण-रोडेशिया तथा अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं के फलस्वरूप उदासीनता सम्बन्धी इस मामले के बढ़ जाने

को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भारतीय ओलम्पिक समिति तथा अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् को यह स्पष्ट कर देगी कि सरकार की नीति दृढ़ है तथा वह इससे नहीं हटेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है तथा मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसपर जमें रहेंगे और यदि भारतीय ओलम्पिक संस्था सरकार की नीति के विरुद्ध भी सोचती है तो सरकार उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगी ।

श्री चेंगलराया नायडू : जब हमने स्वंय दक्षिण-अफ्रीका के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन में प्रवेश दिया है तो फिर किस मुंह से हम कहते हैं कि हम अपने दलों को मैक्सिको खेलों में नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ दक्षिण-अफ्रीकियों को प्रवेश दिया गया है ?

डा० त्रिगुण सेन : संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : संसार में कहीं भी जातिवाद की वृत्ति की हम निन्दा करते है, तो भी मैं आशा करता हूँ कि सरकार चाहती है कि संसार में ओलम्पिक आन्दोलन जारी रहे और ओलम्पिक आन्दोलन में सांस्कृतिक तथा अन्य बातों का ध्यान रखते हुए मैक्सिकन खेलों का बहिष्कार करने के बारे में निर्णय लेने के लिये सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी ।

डा० त्रिगुण सेन : जैसा मैंने कहा है ; भारतीय ओलम्पिक संस्था को हमने अपनी राय दे दी है कि यदि दक्षिण-अफ्रीकी सरकार भाग लेगे तो हम नहीं लेंगे । यदि भारतीय ओलम्पिक संस्था इसका अनुमोदन करती है तो हम दुर रहेंगे ही, परन्तु यदि वह निर्णय लेती है की दक्षिण-अफ्रीकियों के होते हुए भी वह शामिल होंगे तो निश्चय ही सरकार हस्तक्षेप करेगी ।

श्री बलराज मधोक : इन तथ्यों की दृष्टि से कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघों की भांति अन्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ; तथा अन्य राष्ट्रीय संघों की भांति हमारी राष्ट्रीय ओलम्पिक संस्था भी राजनयिक शक्तियों से प्रभावित हैं तथा जब कि इससे वास्तविक खिलाड़ियों तथा राष्ट्र के सम्मान को ही हानि होती है ; तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस बात का ध्यान करेंगे कि हम अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संस्था से पूर्णतया अलग न हों और हमें अपने ओलम्पिक संघों से राजनीति दूर करके तथा खिलाड़ियों को राजनीति नहीं बल्कि केवल योग्यता के आधार पर चुन कर, अपने खिलाड़ियों की खेल-कूद प्रतिभा को बनाने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस पर सहमत नहीं कि हमें स अन्तर्राष्ट्रीय संघ से निकल जाना चाहिये, परन्तु हम राजनीति की बजाय खेल-कूद सम्बन्धी हितों पर पहले ध्यान देंगे ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, South Rhodesia is again going to hang the leaders of the freedom fight and the Government of Rhodesia has also agreed to it ; then I want to ask the

Hon' Minister that in these circumstances, if the Indian Olympic Association does not comply with your advice then as Shri Chandrajit Yadav said, will the Government of India stop giving its assistance to that association so that it may not be able to participate with South Africa in Mexico Olympics ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिकों से दूर रहने का हमारा कोई विचार नहीं है। परन्तु हम तभी शामिल होंगे जब कि दक्षिण अफ्रीका को निकाल दिया जायेगा ।

Shri Bhogendra Jha: Mr. speaker, last time when Reita Feria was selected a Miss World, Government of India had advised her not to go to Vietnam but she went there and joined in Ball-room dance with the American killers. Similarly, if there is once again a violation of India Government's advice and they go there even when the south African, murderas of human rights are there, then will the Government take some legal steps or go upto the extent of advising only ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ ।

श्री क० प्र० सिंह देव : उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया कि यदि दक्षिण अफ्रीको सरकार भाग लेगी तो हम नहीं भाग लेंगे। खिलाड़ी तो अब तक देश भर में राजनीति से दूर रहे हैं। यह कह कर, कि दक्षिण-अफ्रीकी सरकार भाग लेगी तो हम नहीं लेंगे, क्या सरकार खेल-कूद में भी राजनीति भरने का प्रयत्न कर रही है ? दक्षिण-अफ्रीकी सरकार तो भाग नहीं ले रही है, वहाँ के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जब हमारे भी केवल खिलाड़ी ही जा रहे हैं तो फिर भी हम ऐसा निश्चय क्यों करते हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : क्षमा करें, यह सरकार की नीति है। यदि वह इसे राजनीति कहते हैं तो वह कहें परन्तु यह सरकार की निश्चत नीति है कि जब तक दक्षिण-अफ्रीका की रंग-भेद की कलुषित नीति का प्रभाव खेल-कूद के क्षेत्र पर भी पड़ता है तो हमें उनके साथ सम्मिलित नहीं होना चाहिये ।

श्री श्रीधरन : यथापूर्व, इस मामले में भी सरकार की वृत्ति नकारात्मक तथा विगुटीय है। कई अफ्रीकी-एशियाई देश भी दृढ़ता से जातिवाद के विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं। क्या सरकार भारतीय ओलम्पिक समिति को सलाह देगी कि वह अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों की ओलम्पिक समितियों से सम्पर्क स्थापित करके ओलम्पिक खेलों में दक्षिण-अफ्रीका को शमिल किये जाने का विरोध करे ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूँ कि जब भारतीय ओलम्पिक संस्था के प्रधान को लिखा गया तो उन्होंने अपने उत्तर में यह विश्वास दिलाया कि भारतीय ओलम्पिक संस्था के विचार भी इस नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों से मिलते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मई, 1967 में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की बैठक में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे। सरकार का अनुमोदन लेकर, भारतीय ओलम्पिक संस्था के प्रधान ने अगस्त, 1967 में समस्त राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों को

अपनी संस्था द्वारा परित एक प्रस्ताव भी प्रचारित किया जिसमें मैक्सिको-खेलों में दक्षिण-अफ्रीका को शमिल करने के किसी भी प्रयत्न का विरोध प्रकट किया गया था।

श्री बैरो : क्या यह सत्य नहीं है कि हमने डेविस-कप प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें दक्षिण-अफ्रीका ने भी भाग लिया था।

डा० त्रिगुण सेन : क्षमा करें, मैं डेविस-कप के बारे में नहीं जानता।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने काफी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय ओलम्पिक संस्था द्वारा मैक्सिको में हो रहे ओलम्पिक खेलों में दल भेजने के सिलसिले में वह अवश्य बीच में आयेंगे। मैं यह जानना चाहूँगा कि उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या सरकार उन सब अन्तर्राष्ट्रीय निकायों का बहिष्कार करेगी जिनका दक्षिण-अफ्रीका सदस्य होगा ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं समझता हूँ कि हर मामले में पात्रता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्यों कि दक्षिण-अफ्रीका की नीति के कारण विश्व के अधिकाधिक देशों ने मैक्सिको के अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार कर दिया है, तो क्या सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संस्था को यह खूब स्पष्ट कर दिया है कि यदि वह संस्था सरकार की सलाह का उल्लंघन करती है तो सरकार का यह दुखद कर्त्तव्य होगा कि वह उन्हें विदेशी मुद्रा नहीं प्रदान करे ?

डा० त्रिगुण सेन : ठीक मंत्री महोदय की ही शब्दावली में हमने उस संस्था को सलाह नहीं दी है परन्तु हमने सरकार की विचार धारा बता दी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन से सहायता

*542. **श्री चित्तरंजन राय :** **श्री न० कु० साल्वे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश सरकार नें घोषणा की है कि विकास-शील देशों को ब्रिटिश सहायता इस वर्ष की दर पर ही निश्चित की जायेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, हाँ।

(ख) 1968-69 के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। इसलिए, माननीय सदस्य ने ब्रिटिश सरकार

को जिस घोषणा का उल्लेख किया है उसके भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले किसी प्रभाव का अन्दाजा इस समय लगाना सम्भव नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

*544. **श्री चक्रपाणि :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री नायनार :**
श्री रामजी राम : **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों का जिन्होंने कम्प्यूटरों के लगाये जाने के विरुद्ध देश भर में 6 फरवरी, 1968 से एक सप्ताह की भूख हड़ताल की थी, विवाद हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही आश्वासन दिये जा चुके हैं कि संगणकों की स्थापना से न तो किसी की नौकरी जायगी और न मौजूदा कर्मचारियों की तरक्की के रास्ते बन्द होंगें । इसलिए, सरकार इस मामले में दखल देना जरूरी नहीं समझती ।

सोने की तस्करी

***547. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1965 की तुलना में सोने की तस्करी बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत में तस्करी ढंग से आयात किये गये सोने की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है । सरकार के सामने ऐसी भी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता लग सके कि सोने का तस्करी-आयात 1965 के मुकाबले में बढ़ गया है ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) सोने के चोरी-छिपे रूप में आयात-निर्यात को रोकने के लिए किये महत्वपूर्ण उपायों का एक विवरण पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

तस्करी-आयात को रोकने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं –:

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसके आधार पर काम करते रहना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार

करने योग्य भागों की गश्त करना और विधान न्याय-निर्णय के अलावा उपयुक्त मामलों में मुकदमे चलाना। विधि-विमान के क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे अब न्यायालय द्वारा कारावास की अधिक भारी सजा दी जा सके। सोने, हीरे तथा घड़ियों के पकड़े जाने के मामले में सीमा-शुल्क अधिनियम में यह व्यवस्था भी कर दी गयी है कि माल, तस्करी-आयात का नहीं होने की सबूत देने की जिम्मेवारी उन व्यक्तियों की होगी जिनके पास से माल पकड़ा गया हो। जो महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये गये हैं उनमें से दो ये हैं:—

(1) फारस की खाड़ी क्षेत्र में प्रचलित भारतीय करेन्सी नोट अवैध सोने के लेन-देन का भुगतान करने के लिए सुलभ साधन होने से 1959 में उन नोटों के बदले विशेष करेन्सी नोट जारी करना;

(11) स्वर्ण-नियंत्रण लागू करना।

बी० ओ० सी० के विमान से पकड़ा गया सोना

*548. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नई दिल्ली के कलक्टर ने बी० ओ० ए० सी० के विमान को, जो सोना ले जाते हुए पाया गया, जब्त करने के आदेश दिये हैं और कई आधारों पर भारी जुर्माने किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानों द्वारा सोना ले जाना कोई असामान्य बात नहीं है और अन्य कई विमान ऐसी क्रियाशीलता में लगे हुए थे;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को इंग्लैंड की सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन और इसके बाद में दिये गये उत्तर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस मामले में बी० ओ० ए० सी० ने सरकार को कोई पृथक अभ्यावेदन किया है और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बी० ओ० ए० सी० का जो जहाज 15 सितम्बर, 1967 को माल सूची पर आवश्यक घोषणा किये बिना सोना ले जाता हुआ पाया गया था, उसको दिल्ली के सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ता ने जब्त कर लिया और जब्ती के बदले 10,00,000 रुपये के जुर्माने पर माल छुड़ाने की अनुमति भी दी है। समाहर्ता ने सोना भी जब्त कर लिया है और जब्ती के बदले में 25,25,000 रुपये के जुर्माने पर माल छुड़ाने की व्यवस्था दी है तथा बी० ओ० ए० सी० पर 5,00,000 रुपये का वैयक्तिक दण्ड लगाया है।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन सोने को भारत से हो कर ले जाना यदि उसे उचित प्रकार से घोषित किया गया हो तो, अवैध नहीं है।

(ग) भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन ने जांच-पड़ताल के समय भारत सरकार से

अनौपचारिक तौर पर यह कहा था कि जहाँ तक ब्रिटेन के विनियमों का सवाल है, सोने का जहाज द्वारा ले जाया जाना पूर्णतः वैध था और यदि सोने को नहीं छोड़ा गया तो ब्रिटिश प्रारक्षित निधियों से उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। उनको कहा गया था कि जाँच-पड़ताल करने की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसलिये जो भी दस्तावेज सूचना आवश्यक समझें जाँय वे गुप्त सूचना निदेशक, नई दिल्ली के पास भेजने की कार्यवाही की जाय क्यों कि वे इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

डा० लोहिया के उपचार सम्बन्धी समिति

*549. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जो स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की मृत्युपूर्व बीमारी के उपचार की जांच करने के लिये बनाई गई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति की जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) जो समिति नियुक्त की गई थी उसका काम नई दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का सवेक्षण करना तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव देना था। उसके निर्देश पदों में स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के किये गये इलाज की जांच करने की बात सम्मिलत नहीं थी। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों का कार्मिक संघ

*551. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों ने कार्मिक संघ बनाने का संकल्प किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार इस निर्णय से खुश नहीं है।

विदेशी मुद्रा का गोलमाल

*552. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, पांडिचेरी, नागपुर तथा अन्य स्थानों के मेंगनीज निर्यातकों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा का गोलमाल किया गया है;

(ख) कौन-कौन से व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और किन फर्मों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये हैं तथा इस बारे में प्रत्येक ने कितने रुपये की धोखाधड़ी की है ;

(ग) कम बीजक बना कर प्रत्येक फर्म द्वारा कितनी राशि की धोखाधड़ी की गई है और प्रत्येक ने अमरीकी बैंकों में कितनी राशि जमा की है ;

(घ) क्या यह सच है कि गोलमाल करने वाले कुछ व्यक्तियों ने गोआ तथा पांडिचेरी से कई मिलियन डालर की विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से व्यवहार किया; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

पटसन के बोरों के लिए अग्रिम क्रयादेश

***555 श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही सरकार ने पटसन के बोरों के बड़े अग्रिम क्रयादेश दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्रयादेश कितने मूल्य के हैं तथा उनके मिलने का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) भारतीय पटसन मिल संस्था के अधीन पटसन मिल कम्पनियों को इससे कितना लाभ होगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाना

***556. श्री न० कु० साल्वे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने एक विदेशी कम्पनी के सहयोग से महाराष्ट्र में उर्वरक का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की अनुमति दे दी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : जी हाँ । सरकार ने महाराष्ट्र में एक विदेशी फर्म के सहयोग से एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये मैसर्स धरामसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी लि० के प्रास्ताव को सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित कर दिया है ।

पंजाब नेशनल बैंक

***557. श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त मंत्री** 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के बारे में की जा रही जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यदि कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जांच अभी चल रही है और अन्तिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है ।

(ग) जांच के काम के दौरान बहुत से दस्तावेजों की जांच की जानी है और उसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

Rajasthan Canal Project

†*558. **Shri Onkar Lal Bohra** : **Shri Ram Avtar Sharma:**
Dr. Surya Prakash Puri: **Shri Prakash Vir Shastri** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to reconsider their decision not to take over the Rajasthan Canal Scheme which is of national importance ; and

(b) if so, when ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) and (b) The question of taking over of the Rajasthan Canal Project by the Centre and the setting up of Rajasthan Canal Authority has been deferred and final decision in the matter is yet to be taken.

भारतीय तेल निगम द्वारा इस्पात की चादरों का आयात

* 559. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने बिटुमैन ड्रम,, बनाने के लिये इस्पात की चादरें आयात करने के अपने 45 लाख रुपये के लाइसेंस को तेल के बैरल बनाने के लिये चादरों के आयात के रूप में परिवर्तित कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस परिवर्तन के लिये सहमत हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी अनुमति दिये जाने से दिल्ली उच्च न्यायालय के रोक-आदेश का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) क्या तेल के बैरल और बिटुमैन ड्रम बनाने के लिये इस्पात की चादरें आयात करने के हेतु कम्पनियों को और लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) भारतीय तेल निगम के लगभग 50 लाख रुपये के 24-गेज इस्पात के चार लाइसेन्सों को 18-गेज इस्पात के आयात के लिये परिवर्तित किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा बर्मा-शैल शोधनशालाएँ लि० और एस्सो शोधनशालाएँ लि० के लिये क्रमशः 170 लाख रुपये और 60 लाख रुपये के बिटुमैन ड्रम की चादरों के आयात की सिफारिश की गई थी ।

Floods due to silting

† *560. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the silting of dams and rivers causes floods in the country; and

(b) if so, the steps taken by Government for desilting them ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) Silting of reservoirs and rivers is one of the causes for flooding.

(b) Desilting of large reservoirs is not practicable. To reduce silt effects on the reservoir capacity, while planning reservoir projects, adequate "dead storage" is provided. Also in order to increase the life of the reservoirs by reducing the silt load from catchments, a Centrally sponsored programme of Soil Conservation in the catchments of 13 major river valley projects was taken up by the Ministry of Food and Agriculture during the Third Plan. The scheme is being continued.

Large scale-dredging of rivers to reduce the flood heights, is also not an economical proposition. Sometimes it is resorted to in limited reaches in special cases like the outfall channel from the Wular lake in Jhelum River. Selective dredging, as a part of river training measures, is also under consideration for the Kosi and the Brahmaputra.

आफीम एण्ड ऐलकालायड फैक्ट्री, गाजीपुर

* 561 **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अफीम एण्ड ऐलकालायड फैक्ट्री, गाजीपुर में पिछले छः महीनों अथवा इससे भी अधिक समय से प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच अनेक औद्योगिक विवाद अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अफीम फैक्ट्री श्रम संघ ने जिसके प्रबन्धकों द्वारा मायन्ता दी हुई हैं, गत वर्ष अक्तूबर में एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था।

(ग) यदि हां, तो उनकी माँगे क्या हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उनकी न्यायोचित तथा वैध माँगे पूरी हो जायें और मजदूरों में असंतोष का कोई कारण न रहे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। गाजीपुर अफीम कारखाना श्रमिक संघ ने प्रादेशिक श्रम आयोग, कानपुर के सामने औद्योगिक विवादों के रूप में कुछ माँगें पेश की हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) माँगे अनुबन्ध 1 में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 413/-68]

(घ) मजदूरों की न्यायोचित तथा वैध मांगों पर सरकार सदा सहानुभूति से विचार करती है और समुचित कार्यवाही करती है। संघ द्वारा पेश की गयी विभिन्न माँगों पर कई बार विचार किया गया है तथा विगतकाल में स्वयं मजदूरों ने, नारकोटिक्स विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद अथवा प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर, के द्वारा चलायी गयी सम्मिलित चर्चा समझौते की कार्यवाही में जिन माँगों को खत्म-शुदा मानना स्वीकार कर लिया था, उन माँगों को फिर से प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स राम नारायण एण्ड सन्स

* 562 **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद् सदस्य द्वारा भेजे गये अपने पत्र में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेसर्स राम नारायण एण्ड सन्स के आय-कर निर्धारण के मामले पर पुनः विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) लगाये गये आरोपों तथा सुझाव पर विचार किया गया तथा माननीय सदस्य को सूचित किया गया कि सुझावों पर कोई कार्यवाही आवश्यक भी नहीं है और सम्भव भी नहीं है।

Manufacture of Periston-N Drug

*563. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 777 on the 16th November, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that M/s. Bayer (India) Ltd., Bombay had placed before Government someproposals for the manufacture of Periston-N drug in India in collaboration with some foreign firm but Government did not permit the said firm to manufacture the drug due to its high price ;

(b) whether some other firms have also submitted some proposals to Government in regard to the manufacture of this drug at a lower cost ;

(c) if so, the names of those firms and other details in regard thereto ; and

(d) if not, th reasons for not according permission to M/s. Bayer (India) Ltd., Bombay for manufacturing the drug ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah): (a) M/s. Bayer (India) Ltd., are licensed for the manufacture of Periston-N in India. They however required approval of Government for the selling prices of the drug before it is marketed. The approval has since been given.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

महंगाई–भत्ते का कीमतों पर प्रभाव

*564. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सांख्यकीय सर्वेक्षण किया गया है कि महंगाई–भत्ते में की गई प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ कीमतों में वृद्धि क्यों होती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने का है जो इस बात का पता लगायेगा कि महंगाई-भत्ते में होने वाली वृद्धि का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

Tribal Development Blocks

*565. **Shri G. C. Dixit :** **Shri A. S. Saigal :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner had a recommendation that a large part of tribal population should be brought under intensive development programmes through the medium of Tribal Development Blocks and in case the above programme is not possible, then the boundaries of the scheduled areas should be extended; and

(b) if so, the part of the tribal population of Madhya Pradesh which has so far benefited from the tribal development block programmes ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenue Guha) :

(a) The reference to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduld Tribes appears to be incorrect. The relevant recommendations are contained in pages 66-70 of the Report of the Scheduled Areas and scheduled Tribes Commission, copies of which are available in the Library of the House.

(b) All areas where the concentration of the tribal population is $66\frac{2}{3}\%$ or above have been covered by Tribal Development Blocks.

Rise in prices on the eve of Presentation of Budget

*566. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance be** pleased to state :

(a) whether Government have studied the tendency in trade that articles of daily use become scarce or are available only in black market a few days before and after the presentation of the Budget ;

(b) if so, the action taken by Government to check this tendency ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri K. C. Pant) :

(a), (b) and (c) Government is aware of this tendency but this is generally a temporary phenomenon with prices tending to readjust themselves in due course. However, in the case of essential commodities covered by the Essential Commodities Act, 1955 powers have been delegated to State Governments and Union Territories and they have been requested to keep a watch over the supply and distribution of essential commodities and regulate their prices before and after the presentation of the budget.

भारत के विदेशी दायित्व तथा आस्तियां

*567. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक द्वारा 1955 के पश्चात् भारत के विदेशी दायित्वों तथा आस्तियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अब तक की स्थिति का पता लगाने के लिये सरकार का कोई और सर्वेक्षण करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1961 में भारत के विदेशी दायित्वों और परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया था और उसकी रिपोर्ट 1964 में प्रकाशित की गयी थी। रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन के जनवरी 1967 के अंक में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय निवेश की 1963-64 और 1964-65 की स्थिति के सम्बन्ध में भी एक लेख प्रकाशित किया था।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) बाद के वर्षों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

अल्कोहल की कमी

*568. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्कोहल की बहुत अधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप अल्कोहल पर आधारित विभिन्न उद्योग क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो अल्कोहल का उत्पादन अथवा आयात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार शराब बनाने में अल्कोहल के प्रयोग की बजाय उनका अल्कोहल पर आधारित उद्योगों में प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) इन उद्योगों को अर्थात् कृत्रिम रबड़ पोलिसटिरेन, पोलिथिलीन और पी० वी० सी० उद्योगों को, जो पैट्रो-ब्यूटैडीन तथा पैट्रोएथलिन प्रयोग कर सकती हैं, वैकल्पिक पैट्रो आधारित सामान देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हां।

(ख) अल्कोहल का उत्पादन शीरे की प्राप्ति पर निर्भर है और शीरे की उपलब्धि चीनी के उत्पादन पर निर्भर है। चीनी के आंशिक अपनियन्त्रण से कुछ समय के बाद स्थिति में सुधार होने की आशा है। इसी बीच में देश में अल्कोहल पर आधारित मूल्य उद्योगों के लिये अल्कोहल की पर्याप्त मात्राओं के आयात के बारे में व्यवस्था की गई है।

(ग) राज्य सरकारें इस विचार से सहमत नहीं हैं क्यों कि इससे उनके आबकारी शुल्क आय में कमी हो जायेगी।

(घ) देश में दो पौलस्टयरीन कारखानों के लिये स्टयरीन के आयात की व्यवस्था दी गई है। चालू वर्ष में एक कारखाने ने अल्कोहल के स्थान पर बम्बई पैट्रो-रसायन उद्योग समूह से उपलब्ध एथेलीन के इस्तेमाल की योजना बनाई है। बरेली में कृत्रिम रबड़ कारखाने के लिये ब्यूटैडीन के आयात से सम्बन्धित प्रबन्ध बिचाराधीन है। यह प्राप्त होने से देश में अल्कोहल की प्राप्य स्थिति में काफी सुधार होने की आशा है।

औषधि निर्माता कम्पनियां

3401. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि-निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की शुद्धता और उनका स्तर सुनिश्चित करने के लिये जनता को उनकी बिक्री से पहले सरकार द्वारा क्या जाँच की जाती है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने और कौन से उत्पाद अशुद्ध तथा घाटिया किस्म के पाये गये और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री नू० सू० मूर्ति): (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 414/68]**

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

आन्ध्र प्रदेश का राजस्व

3402. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में बिके हुए पैट्रोल तथा डीजल तेल पर लगाये गये कर के अंश के रूप में इस राज्य की वर्ष 1956 से लेकर मार्च, 1967 के अन्त तक की अवधि में वर्ष-वार, कुल कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) उक्त अवधि में आंध्र प्रदेश में बिके पैट्रोल तथा डीजल तेल आदि पर केन्द्रीय सरकार को कर की कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस अवधि में आंध्र प्रदेश में प्रति वर्ष पैट्रोल तथा अन्य ईंधनों की बिक्री पर एकत्रित कर की राशि का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार उक्त राजस्व में से वाहन करती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बेचे गये पैट्रोल और डीजल इत्यादि पर वसूल किए गये कर की कुल रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1956 से मार्च 1967 के अन्त तक प्राप्त राजस्व में से आन्ध्र प्रदेश को (केन्द्रीय सड़क-निधि के अन्तर्गत) पैट्रोल पर लगाए गये कर के भाग के रूप में दिये गए कुल वार्षिक अनुदान, और आंध्र प्रदेश में स्थित तेल परिषोधन कारखानों तथा बिक्री संस्थापनों से उसी अवधि में निकास किये गये पैट्रोल तथा डीजल आदि (सभी पैट्रोलियम उत्पादों) पर वसूल किये गए केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की रकम का एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4-15-68]**

(ग) आन्ध्र प्रदेश में पैट्रोल तथा अन्य ईंधनों की बिक्री पर प्रतिवर्ष वसूल किए गये कर के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं होने से अनुपात निकालना सम्भव नहीं है।

सरकारी बस्तियों में सार्वजनिक सुविधायें

3403. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में बनायें गये कुछ बाजारों में सार्वजनिक सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं ; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों की रिहायश वाले क्षेत्रों में बाजारों के लिये स्नान-गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री, (सरदार इकबाल सिंह): (क) और (ख) सिवाय बाबू मार्केट के जिसके निकट सरोजनी नगर मार्केट में स्नान-गृह मौजूद हैं, अन्य विभिन्न सरकारी बस्तियों में बनाए गए बाजारों में स्नान-गृह आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है अथवा की जा रही है।

सड़क कूटने के इंजन

3404. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 अतारांकित प्रश्न संख्या 4175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्राविंशियल कमर्शियल कारपोरेशन के चेयरमैन के बारे में जिन्हें सड़क कूटने के इंजनों के बारे में सरकार को 2,16,64,800 रुपये का धोखा देने के लिये गिरफ्तार किया गया था तथा कलकत्ता की चीफ प्रेसीडेंसी द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था, जांच इस बीच पूरी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला और उक्त फर्म के चेयरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिल्म-अभिनेता देवानन्द

3405. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म अभिनेता देवानन्द के कर अपवंचन के बारें में पूछी गई सूचना प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना आंशिक रूप से इकट्ठी कर ली गई है।

(ख) (i) 1964-65 से 1966-67 तक के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण की कार्यवाही चल रही है। इन कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में घोषित आमदनी/हानि का और स्वयं - निर्धारण द्वारा इन कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में अदा किए गये अग्रिम-कर/कर का ब्यौरा इस प्रकार हैं :–

कर-निर्धारण वर्ष	विवरणी में दिखाई गई आमदनी/हानि	अदा की गई रकम
1964-65	85,574 रुपये	1,62,379 रुपये
1965-66	2,13,417	90,063
1966-67	3,13,670 (हानि)	--

(ii) कर-निर्धारिती द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग के साथ किये फिल्म-करारों की संख्या तथा प्रत्येक फिल्म-करार की रकम के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

मध्य प्रदेश में फर्मों की ओर बकाया आय-कर की राशि

3406. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5311 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में फर्मों से बकाया आय-कर की राशि के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन फर्मों से आय-कर बकाया है तथा कितनी राशि बकाया हैं तथा क्या सरकार का विचार आय-कर वसूल करते समय उस पर ब्याज भी वसूल करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1967 को 1706 फर्मों की तरफ आय-कर की रकमें बकाया थीं। परन्तु इस प्रकार की फर्मों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। 31 मार्च, 1967

को आयकर की कुल 89.74 लाख रुपये की रकम बकाया थी। जहां तक ब्याज लगाने का प्रश्न हैं, कानून में पहले से ही व्यवस्था है कि देर से की गई अदायगियों पर ब्याज लगाया जाय, और ब्याज को कर की बकाया रकम के साथ वसूल किया जाय।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फरक्का बांध परियोजना

3407 **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरक्का परियोजना के बारे में फरक्का बांध के लिये बने चार 'खानादार निर्माण कार्य' हाल में बह गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव): (क) और (ख) 1967 की बाढ़ों के दौरान वराज क्षेत्र के बाहर और आजमायश के तौर पर नदी तल के अन्दर प्रकोष्ठक आधार की कुछ संरचनाओं को लगाया गया था ताकि पानी में उनकी कार्यशीलता का पता लगाया जा सके। प्रयोगात्मक आधार पर लगाई गई संरचनाएँ बाढ़ों के दौरान विस्थापित हो गईं।

(ग) चूंकि प्रकोष्ठक आकार की ये संरचनाएँ नियमित दराज का भाग नहीं थीं और केवल प्रयोगात्मक ही थीं, इसलिये क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बांध के लिये विदेशी विशेषज्ञ

3408. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का परियोजना की निगरानी के लिये अब तक कितने विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और योग्यतायें क्या हैं तथा उनको कितना पारिश्रमिक दिया गया है ;

(ग) क्या इस परियोजना के बारे में हमारा मार्ग-दर्शन करने के लिये और अधिक विदेशी विशेषज्ञों के भारत आने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव): (क) और (ख) परियोजना के कार्य की देखभाल करने के लिए अभी तक कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं बुलाया गया है, किन्तु काफर बांध के अभिकल्प बनाने में सहायता करने के लिए दो रूसी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई थीं। उनके वेतन, यात्रा-भत्तों तथा आवास-स्थान आदि के लिए 1,43,900 रुपये व्यय किए गए।

(ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Slum Clearance and Sanitation in Maharashtra

3409. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government has submitted any scheme to the Central Government for slum clearance and improving the existing sanitary conditions in the State ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(d) Does not rise.

दिल्ली में कब्रिस्तान तथा शमशान

3410. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में विभिन्न कब्रिस्तानों तथा शमशानों में स्थिति काफी असन्तोषजनक है;

(ख) क्या निगम के पास दूर स्थित कब्रिस्तानों तथा शमशानों को शव ले जाने के लिये जो तीन गाड़ियां हैं, वे सुविधापूर्वक उपलब्ध नहीं होती हैं और आमतौर पर खराब ही बताई जाती है;

(ग) क्या लकड़ी आमतौर पर स्टाक में नहीं रहती है अथवा अच्छी हालत में नहीं मिलती और काफी महंगी मिलती है ; और

(घ) क्या इन महत्त्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिये सरकार का विचार एक आयोग नियुक्त करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति):

(क) जी, नहीं ।

(ख) निगमबोध घाट पर तीन गाड़ियां शव-वाहन किराये पर उपलब्ध रहती हैं । उन्हें टेलीफोन करके भी बुलाया जा सकता है । इनमें से एक बिलकुल नई है । दिल्ली नगर निगम की यह कोशिश रहती है, कि तीनों गाड़ियाँ काम करती रहें । तथापि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई गाड़ी उपलब्ध न हो क्यों कि हो सकता है कि वह यांत्रिक खराबी के कारण मरम्मत के लिये म्युनिसिपल वर्कशाप में पड़ी हो ।

(ग) जी नहीं । प्रमुख शमशान-घाटों पर दिल्ली नगर निगम के अपने स्टाल हैं और वहां लकड़ी हमेशा काफी मात्रा और अच्छी हालत में मिल जाती है । इन स्टालों में लकड़ी न लाभ-न हानि आधार पर बेची जाती हैं और सामान्यतः बाजार भाव से सस्ती होती है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

M/s. Mackanzies Ltd.

3411. **Shri Suraj Bhan**: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3277 on the 7th December, 1967 and state :

(a) the number of railway wagons manufactured by M/S. Mckanzies Limited during the last ten years, the number of contracts in regard to the engineering works undertaken by this firm during the last five years, the amount of each contract, the names of the places where work under these contracts was undertaken ;

(b) the profit earned by the firm in each contract for engineering works and the manufacture of the railway wagons each year; and

(c) the number of workers engaged in connection with these contracts each year and the total amount of wages paid to them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a), (b) and (c). The information is not readily available.

Enquiry into M/S. Jhunjhunwala and Bros.

3412. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4292 on the 14th December, 1967 and state :

(a) the date on which the inquiry in respect of M/s. Jhunjhunwala and Bros. was started and the number of persons conducting inquiry and the number of the gazetted and the non-gazetted officers among them, separately ;

(b) the extent to which the inqiury has been completed and the work yet to be done ;

(c) whether it is a fact that beside mutual transactions, M/s. Jhunjhunwala and Bros. have dealings with other firms which are still to be enquired into and in respect of which the inquiry has not so far been started ;

(d) whether it is a fact that the investigating officers have been transferred in the middle of the inquiry and if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government would instruct the investigating officers to complete the inquiry within a stipulated period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The enquiries were started in July, 1967, and are being conducted by the Income-tax Officer who is a gazetted Officer. In the interest of investigations, it is not desirable to disclose further details.

(b) The investigations are in progress and it is not desirable to disclose the state at which the matter stands now.

(c) In the interests of investigation, it is not possible to give this information.

(d) The cases were centralised with a single officer in July, 1967 to facilitate investigation and have not been transferred from that officer ever since July, 1967.

(e) Investigations regarding income-tax matters, take some time. Every effort is being made to complete the enquiries as early as possible but it is not possible to stipulate a time for completing the investigation.

M/s Oriental Timber Trading Corporation

3413. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2414 on the 30th November, 1967 and state :

(a) whether the inquiry in respect of M/S. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is a fact that the persons conducting the inquiry have been transferred in the middle of the inquiry ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise,

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Enquiry into M/S Jhunjhunwala and Bros.

3414. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 2415 on the 30th November, 1967 and state :

(a) whether the inquiry in respect of the loan taken by M/s Jhunjhunwala and Bros. of Bombay has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is a fact that the Investigating Officers have been transferred in the middle of the inquiry ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Firms of Ramji Lal Jhunjhunwala

3415. **Shri Suraj Bhan**: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3278 on the 7th December, 1967 and state :

(a) whether the inquiry in respect of the firms of Ramji Lal Jhunjhunwala has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether the inquiry is being conducted by the same set of persons right from the beginning or the investigating officials have been changed in the middle of the inqiury ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Ever since the centralisation of this group of cases in July, 1967, the enquiries are being conducted by the same set of officers.

व्यास-सतलज जल-सम्पर्क परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी स्कूल

3416. **श्री ललित सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्ष पहले व्यास-सतलज जल-सम्पर्क परियोजना के अन्तर्गत सुन्दर नगर में एक तकनीकी स्कूल स्थापित करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल में अब तक कितने विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ग) इस संस्था को अब उन्नत करने के लिये सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव०): (क) जी, हाँ ।

(ख) 159

(ग) इस समय स्कूल में प्रशिक्षणार्थी काफी विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियों की संख्या काफी हो जायगी तभी इसमें सुधार लाया जा सकेगा ।

व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के कर्मचारी

3417. **श्री ललित सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) इस परियोजना के कारण निष्कासित व्यक्तियों में से कितने कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) इस परियोजना में नियुक्त हिमाचल प्रदेश के कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव०) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :–

	कुशल	अकुशल
(क)	6541	7089
(ख)	95	182
(ग)	2747	5157

मद्रास की बैगाई पुनः आधुनिकीकरण योजना

3418. **श्री किरुतनन** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थामिभागा आरूस (मद्रास सरकार) को वैगाई पुनः आधुनिकीकरण योजना, जिस पर हाल में स्वीकृति दी गई थी, क्रियान्वित करने के लिये कोई राशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि और क्या यह राशि ऋण के रूप में मंजूर की गई है अथवा पूर्ण अनुदान के रूप में ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) वैगाई पुनाराधुनिकीकरण योजना के लिये कोई निर्धारित सहायता नहीं दी जा रही है । बहरहाल, मद्रास सरकार को योजना में सम्मिलित अपनी स्कीमों पर धन लगाने के लिये 'फुटकर विकास ऋण' दिये जा रहे हैं । इस सहायता से सिंचाई-स्कीमों की कार्यन्विति करने में, जिनमें वैगाई स्कीम भी शामिल है, मदद मिलती है।

हथकरघा बुनकर सहकारी समिति

3419. **श्री किरुतिनन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा हथकरघा-बुनकर समितियों को दिये जाने वाले ऋणों को भारत के रिजर्व बैंक के 'कवरेज सिस्टम' के अन्तर्गत सीमित कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रणाली का मद्रास राज्य की हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत के रिजर्व बैंक के नियमों को उदार बनाने का है ताकि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां बिना अधिक कठिनाई के ऋण प्राप्त कर सकें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायगी।

मद्रास में रामनाड में सहायता-कार्य

3420. **श्री किरुतिनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में रामनाड तथा अन्य जिलों में बाढ़ तथा तूफान के कारण हुई क्षति के लिये सहायता कार्यों के हेतु मद्रास सरकार ने कितनी राशि मांगी है;

(ख) क्या अपेक्षित राशि मंजूर कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य सरकार ने अनुमान लगाया था कि राज्य के कुछ भागों में हाल में आये तूफान और बाढ़ों से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति की मरम्मत के लिए और सहायता कार्यों के लिए 196.48 लाख रुपये की आवश्यकता होगी और अनुरोध किया था कि इस सारी रकम की व्यवस्था केन्द्रीय सहायता के रूप में की जाय।

(ख) 1966 के तूफान और दिसम्बर, 1967 के तूफान और बाढ़ों से जिस सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा था, उसकी मरम्मत पर आने वाले खर्च के लिए 2.50 करोड़ रुपये के ऋण की पहले से मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों का सामाजिक बहिष्कार

3421. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज-कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट कुछ गांवों में खुले रूप से छुआछूत जारी है तथा अनुसूचित जातियों का सामाजिक बहिष्कार संगठित रूप से किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो जो मामले सरकार की दृष्टि में आये हैं, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इस संबंध में हाल ही में कुछ मामले न्यायालयों में गये हैं?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) देश के कुछ भागों में इस प्रकार की घटनाएं कभी-कभी हुई हैं।

(ख) इस प्रकार के अभी के कुछ मामले निर्णयाधीन हैं ; अभी उनका ब्यौरा देना सम्भव नहीं। पहले के जिन गम्भीर मामलों की छानबीन की गई उनका ब्यौरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों में मिलता है।

(ग) जब भी छानबीन द्वारा प्रथम दृष्ट्या किसी मामले का पता चलता है तो दोषी व्यक्तियों पर अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की व्यवस्था के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) हाँ।

नगरीय क्षेत्रों में भूमि का राष्ट्रीयकरण

3422. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गृह-निर्माण कार्यों के लिए नगरीय क्षेत्रों में भूमि के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई सुझाव–सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) न तो इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न मेरे मंत्रालय के विचाराधीन है।

नगरीय भूमि के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए प्रस्ताव

3423. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमि आयोग संबंधी ब्रिटिश सरकार के श्वेत-पत्र में जो सितम्बर, 1965 में जारी किया गया था सम्मिलित प्रस्तावों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या ब्रिटेन के लिये ब्रिटिश भूमि आयोग द्वारा सुझायी गयी रीति के अनुरूप ही नगरीय भूमि के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) देश की शहरी-भूमि संबन्धी समस्याओं की जाँच करने के लिए सरकार ने 1963 में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट को फरवरी, 1965 मे

प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में शहरी-भूमि नीति संबंधी अनेक उपयोगी सुझाव दिए गए हैं जिनमें भूमि संबंधी सट्टे के नियंत्रण के उपाय भी सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों के विचारार्थ तथा यथोचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

3424. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा तथा अधिकरणों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति बहुत धीमी रही है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अमरीका में फेडरल ब्यूरो आफ इंडियन अफेयर्स की भांति काम करने के लिए एक केन्द्रीय विभाग बनाने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए विकल्प प्रस्ताव क्या हैं ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) इस पर विभिन्न मत हो सकते हैं।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार संविधान द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किए गए कार्यकारी प्राधिकार का अधिरोहण नहीं कर सकती।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जाँच समिति

3425. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारणों की जाँच करने के लिए किन-किन राज्य सरकारों ने अब तक जाँच समितियाँ नियुक्त की हैं ;

(ख) इन समितियों के प्रतिवेदन किस-किस तिथि को प्रकाशित हुए थे अथवा प्रकाशित होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि उनकी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी समितियाँ नियुक्त की जानी चाहिए जिनमें यह इस समय नहीं हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या अब तक प्रकाशित प्रतिवेदनों की प्रतियाँ संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएँगी ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क), (ख), (ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 309 की व्यवस्था के अनुसार राज्य सम्बन्धी सेवाओं और पदों के सम्बन्धित आरक्षण उस राज्य का अपना विषय है ; भारत सरकार का इस मामले में कोई स्थिति-स्थल नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा उनके (राज्य सेवाओं के) विषय में जो सिफारिशें की गई उन पर विचार करना तथा यदि आवश्यक हो तो ऐसी समितियाँ नियुक्त करना राज्य सरकारों का काम है। जहाँ तक भारत सरकार की सेवाओं का सम्बन्ध है, उन्होंने (भारत सरकार ने) एक समिति नियुक्त की है और एक अध्ययन दल भी स्थापित कर दिया है। समिति के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है; अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और निरीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) 16 फरवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 835 का जो उत्तर दिया गया उसमें भारत सरकार के अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशें सदन को प्राप्त कर दी गई थीं।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सैक्शन अफसरों (सिविल) की पदोन्नति

3426. **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में ऐसे लगभग कितने सेक्शन अफसरों (सिविल) हैं, जिनकी सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति की जा सकती है;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के जरिए कितने सहायक इंजीनियरों की सीधे गत छः महीनों में नियुक्ति की गई है तथा आगामी छः महीनों में कितने इंजीनियरों की नियुक्ति की जाने की संभावना है; और

(ग) सीधी भर्ती की नीति पर पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है, ताकि सीधी भर्ती बिल्कुल बन्द कर दी जाए अथवा न्यूनतम की जा सके ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) 530।

(ख) (i) अभी तक नियुक्त की गयी संख्या–49।

(ii) संभावित नियुक्ति की संख्या–81।

(ग) असिस्टेंट इंजीनियरों के अस्थाई खाली स्थानों पर सीधी भर्ती को रोकने का प्रस्ताव पहिले ही से विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर निर्णय होने के बाद, असिस्टेंट इंजीनियरों के स्थाई खाली स्थानों पर सीधी भर्ती की पुनरीक्षा की जाएगी।

सहायक इंजीनियरों (सिविल) की पदोन्नति

3427. **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कितने सहायक इंजीनियरों (सिविल) की पदावनति की गई है और आगामी छः महीनों में कितने इंजीनियरों की पदावनति किए जाने की संभावना है और उनकी पदावनति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके कारण सैक्शन अफसरों (सिविल) में असन्तोष व्याप्त है; और

(ग) यदि हाँ, तो सैक्शन अफसरों को आश्वस्त करने तथा उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) पिछले छः महीनों में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में परावर्तित हुए सहायक इंजीनियरों (सिविल) की संख्या 17 है । आने वाले छः महीनों में परावर्तित होने वालों की संख्या इस समय नहीं दी जा सकती, यदि कोई हुआ तो वह विभाग के कार्यभार पर निर्भर करेगा । 17 सहायक इंजीनियरों के परावर्तित होने के आदेश, कुछ तो कार्यभार में कमी होने तथा कुछ सीधी भर्ती के कोटे में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनियुक्तियों के आ जाने (पद संभाल लेने) के कारण, दिए गए।

(ख) इन परावर्तनों से कोई वैध शिकायत नहीं होनी चाहिए क्यों कि अनुभाग अधिकारी (सिविल) के रूप में परावर्तित हुए सभी सहायक इंजीनियरों को संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनियुक्तियों के न आने तक, पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है। सीधी भर्ती के कोटे में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनियुक्तियों की अस्थाई अनुपलब्धता के कारण इन अधिकारियों की पदोन्नति आकस्मिक थी तथा सभी को यह पता था कि उन्हें किसी भी समय परावर्तित किया जा सकता है ।

(ग) किसी इंजीनियरिंग संगठन में जहाँ स्थापना कार्यभार पर निर्भर करती है, अस्थाई पदोन्नति तथा परावर्तन अवश्यंभावी है । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के अस्थाई रिक्त स्थानों पर सीधी भर्ती समाप्त कर देने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यदि यह स्वीकार हो गया तो अनुभाग अधिकारियों की अस्थाई पदोन्नति की संभावना में सुधार हो जाएगा ।

तापड़ बाँध (गुजरात) का निर्माण

3428. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने तापड़ बाँध के निर्माण के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उसे नामंजूर कर दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस परियोजना की, कार्यान्विति के लिए 1968-69 की योजना में या चौथी पंचवर्षीय योजना में पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कर दाताओं को वापिस की गई राशि का ब्याज

3429. **श्री न० कु० सोंधी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर दाताओं को वापिस दी जाने वाली राशि पर आय-कर अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत स्वत: ब्याज भी दिया जाता है ; और

(ख) कर-निर्धारण वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में राजस्थान में पृथक-पृथक आय कर विभाग द्वारा कितनी राशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आय-कर अधिनियम की धारा 212 में किसी कर-निर्धारिती को किसी प्रकार का ब्याज देने की व्यवस्था नहीं है । कर-निर्धारितियों द्वारा धारा 212 के अन्तर्गत स्व-निर्धारण के अनुसार की गई कर की अग्रिम अधिअदायगी पर आय-कर विभाग द्वारा ब्याज दिए जाने की व्यवस्था आय-कर अधिनियम की धारा 214 में है । धारा 214 के अन्तर्गत ब्याज की रकम जिन मामलों में देय होती है, उनमें आय-कर विभाग द्वारा अपने आप ही दे दिया जाता है ;

(ख) उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए धारा 214 के अन्तर्गत दिए गए ब्याज के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

आय-कर अधिनियम के अधीन घाटे के विवरण

3430. **श्री न० कु० सांघी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारण-वर्ष 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली केन्द्र में आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत घाटे के कितने विवरण दायर किए गए थे ;

(ख) इन तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार इनमें से कितने अन्तिम रूप दिए जाने के लिए लम्बित हैं; और

(ग) घाटे के मामलों को शीघ्र निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, आयकर-आयुक्तों के इन तीन कार्यक्षेत्रों में कर निर्धारण वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 के लिए निर्धारितियों की संख्या क्रमश: 2,85,405, 3,59,200 तथा 3,77,638 थी । निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत घाटे की विवरणियों की संख्या निश्चित करने के लिए, विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक विवरणी की जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी । 10 लाख से अधिक विवरणियों की वास्तविक जाँच-पड़ताल से आय-कर अधिकारियों पर बहुत भारी अतिरिक्त कार्यभार पड़ जायगा तथा सामान्य कर-निर्धारण और वसूली के कार्य की हानि होगी तदपि यहाँ यह भी कह दिया जाय ऐसी हिदायतें पहले से मौजूद हैं कि घाटे के मामलों में कर-निर्धारण की कार्यवाही को पूरा करने में देर न की जाय ।

देश में चिकित्सा स्नातक

3431. **श्री भि० सू० मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में, वर्षवार, उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसी अवधि में, वर्षवार, उनमें से कुल कितने स्नातक विदेशी चिकित्सा स्नातक संबंधी शिक्षा परिषद् परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए ;

(ग) उक्त अवधि में उनमें से कितने स्नातक विदेशी चिकित्सा स्नातक संबंधी शिक्षा परिषद् परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और कितने स्नातक विदेशों में गए ; और

(घ) कुल कितने स्नातक विदेश गए और कितने स्नातक देश वापस आए ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बू० सू० मूर्ति) : (क) दूसरी और तीसरी योजना अवधि में देश में प्रतिवर्ष बने चिकित्सा स्नातकों की संख्या इस प्रकार है :—

दूसरी योजना		
1957	—	2802
1958	—	2859
1959	—	3119
1960	—	3389
1961	—	3900
तीसरी योजना		
1962	—	3946
1963	—	4289
1964	—	4452
1965	—	5387
1966	—	7078 (अनुमानित)

(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा उपलब्ध हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भिखारी

3432. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने भिखारी हैं ?

(ख) देश में भिक्षावृत्ति का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ग) क्या भिखारियों के पुनर्वास के लिए बनाये गये स्वयंसेवी संगठनों को कोई अनुदान दिए गए है ; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्यवार उन संगठनों के नाम क्या हैं तथा 1967-68 में उन्हें कितनी राशि दी गई ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) यर्थाथतया जानकारी प्राप्य नहीं क्यों कि अभी तक इस विषय में सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ख) भिक्षा-वृत्ति का उन्मूलन मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है; तो भी, भारत सरकार राज्यों को भिक्षावृत्ति-विरोधी उपाय करते रहने के लिए वित्तीय सहायता देती रही है ।

(ग) समाज-कल्याण विभाग ने इस प्रकार के कोई अनुदान नहीं दिए हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Financial Assistance For Social Welfare Department, Rajasthan

3433. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance proposed to be given by the Central Government to the Social Welfare Department of Rajasthan in 1968-69; and

(b) the particulars of the schemes for which the same would be spent and the respective amount to be spent on each scheme ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) Rs.62.50 lakhs (tentative).

(b) I. **Welfare of Backward classes**

(i) **State Sector**

Broadly, the amount will be spent on :—

(1) Education	Rs.18,65 lakhs
(2) Economic Development	Rs.8.10 lakhs
(3) Health, housing and other schemes ..	Rs.3.25 lakhs
Total ..	30,00 lakhs

The details of individual schemes will, however, be worked out by the State Government.

(ii) **Central Sector**

The allocation for 1968-69 for the Centrally Sponsored Schemes for the Welfare of Backward classes as recommended by the Working Group is Rs.29.75 lakhs tentatively. The actual allocation will, however, depend on the budget estimates approved by the Parliament for the Department of Social Welfare.

The Schemes included in this Sector and tentative allocation are :—

	Rs. in lakhs
(1) Post-Matric Scholarships	3,10
(2) Girls' Hostels	2.00
(3) Career Planning	0,65
(4) Tribal Development Blocks	15.20

(5) Co-operation ..	..	.. 4.30
(6) Tribal Research and Training	..	.. 1.50
(7) Housing of Sweepers and Scavengers		.. 2.00
(8) Denotified and Nomadic tribes		.. 1.00
	Total	.. 29.75

II. **Social Welfare Programmes**

1.	Establishment of new orphanage and strengthening of the existing ones.	0.10
2.	Stipends for training in various trades and skill to women	0.10
3.	Maintenance of destitute displaced persons from Pakistan staying Homes or Infirmaries or outside these institutions on payment of cash doles.	1.10
4.	Probation services (including financial assistance to porbationers) ..	0.40
5.	Assistance to voluntary agencies working for moral and social Hygiene.	0.10
6.	Pilot project for beggars and initial survey	0.50
7.	Diognostic study cell	0.10
8.	Extesion in existing aftercare home provision for training-cum-production centre and assistance to ex-prisoners for rehabilitation.	0.20
9.	Conversion of District Shelter, Ajmer in Probation Home ..	0.15
	Total ..	Rs.2.75 lakhs
	Grand total ..	Rs.62.50 lakhs

लूप और नसबन्दी आपरेशन

3434. **श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में लूप और नसबंदी के कितने आपरेशन किए गए और उनमें से कितने आपरेशन, राज्यवार, असफल रहे; और

(ख) भारतीय समाज के उन वर्गों ने, जो बहुविवाह में विश्वास रखते हैं, इसे कितना अपनाया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) 2-3-1968 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 1967 में पहनाए गए लूप और किए गए नसबंदी आपरेशनों की संख्या क्रमश: 7 लाख 23 हजार और 15 लाख 30 हजार थी ।

लूप प्रयोग करने वाली लगभग एक लाख महिलाओं पर किए गए अध्ययनों से यह पता चला कि लगभग 50 प्रतिशत स्वीकर्त्ताओं को इस सम्बन्ध में कुछ भी शिकायत नहीं थी। 24.5 प्रतिशत शिकायतें रक्त स्राव की थी जिसके साथ-साथ लगभग 16 प्रतिशत मनोवैज्ञानिक शिकायतें थीं। वेसेक्टामी आपरेशन के परिणाम-स्वरूप किसी भी गम्भीर शिकायत की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) लूप के प्रयोग और नसबंदी आपरेशन से सम्बन्धित आँकड़ों का समुदाय-वार हिसाब नहीं रखा जाता है।

सैनिक समाचार

3435. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री मंगलायुमाडोम :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'सैनिक समाचारे' साप्ताहिक पत्रिका का मुद्रण किस मुद्रणालय में हो रहा है :

(ख) उस मुद्रणालय को मुद्रण का काम किन शर्तों पर दिया गया है; और

(ग) 'सैनिक समाचार' पत्रिका का किसी सरकारी मुद्रणालय में मुद्रण न कराने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) सर्वश्री यूनियन प्रिन्टर्स कोअपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ख) ठेके की शर्तें संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 416/68]**

(ग) जिन नौ भाषाओं में यह पत्रिका (जर्नल) एक साथ प्रकाशित होते हैं, उसका मुद्रण करने के लिए फिलहाल भारत सरकार के मुद्रणालयों में समुचित उपकरण नहीं हैं।

क्रय योजनाएं

3436. **श्री दमानी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को मन्दी से मूक्ति दिलाने के लिये सरकार ने मशीन-औज़ारों, बिजली की मशीनरी, हौज़री, जूते, कपड़े, खाद्य पदार्थ तथा कागज़ के लिये कोई क्रय योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) इनमें से अधिकांश उद्योगों के सम्बन्ध में सामान्यतया कोई मंदी नहीं है। फिर भी, इंजीनियरी उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्य इंडैंटकर्त्ता विभागों को यह परामर्श दिया है कि वे इंजीनियरी वस्तुओं की अपनी ज़रूरतों के बारे में योजना बनाएं और थोक इंडैंट भेजा करें, ताकि उद्योग की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए आर्डर दिए जा सकें।

सनलाइट कॉलोनी, मोती बाग, नई दिल्ली

3437. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री सनलाइट कॉलोनी, मोती बाग, नई दिल्ली के बारे में 7 दिसम्बर, 1967 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3465–छ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी गई है :

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह काल-बाधित (टाइम बार्ड) हो गई है ; और

(ग) क्या प्लाटों के मालिकों को अनुमति दे दी गई है कि वह मकान बनाने की अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Rayon Factories

3438. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of rayon factories in the country ;

(b) whether inquiry instituted in 1966 into the irregularties committed by some of them in the payment of income-tax and sales-tax has been completed ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the number of rayon factories against which Government have taken action and the nature of the action taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House. As regards sales-tax, this is a State subject and Government have no informtion in the matter.

Gold recovered from a Railway Passenger

3440. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Officers of the Central Excise Department recovered foreign gold weighing 120 tolas from a passenger travelling in Janta Express in the first week of February, 1968 :

(b) if so, the value of gold recovered ;

(c) the name of the country to which the gold belonged ; and

(d) the action taken against the person arrested in this connection ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes Sir. On 6th February, 1968 Central Excise Officers seied 120 tolas of gold bearing foreign markings from a passenger travelling in the Bombay-Madras Janta Express at Poona Railway station.

(b) Rs.11,813 at the inernational rate.

(c) The markings on the slabs of gold indicate that the gold is of United Kingdom origin;

(d) The person was arrested and subsequently released on bail. The case is under adjudication.

Gold recovered at Ratlam Railway Station

3441. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in February, 1968 ten biscuits of gold were recovered by Officials of the Central Excise Department at Ratlam Railway Station from a passenger travelling in Dehra Dun Express ;

(b) if so, the value of the gold recovered ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken by Government in this connection and the nature of action taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Yes, Sir. On 6th February, 1968 Central Excise Officers recovered ten gold slabs each weighing 10 tolas and bearing foreign markings in all valued at Rs. 9,844 at the interational rate at Ratlam Railway Station from a passenger travelling in Dehra Dun Express.

(c) The passenger (one person) from whom the gold was recovered was arrested and subsequently released on bail. The case is under investigation.

श्रीलंका और मद्रास के बीच तस्कर व्यापार

3442. **श्री रवि राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 फरवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक पूर्णतया संगठित एजेंसी, जिसमें तस्कर व्यापार के प्रयोजन हेतु 500 महिलायें नियुक्त हैं, एक गिरोह का नियमित रूप से दक्षतापूर्ण प्रबन्ध कर रही हैं : और

(ख) यदि हाँ, तो ब्यौरे सहित उस गिरोह का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जहाँ तक सरकार को पता है भारत और श्रीलंका के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा न तो भारत से श्रीलंका को साड़ियों कि और न श्रीलंका से भारत को रत्नों की संगठित तौर पर कोई तस्करी होती है । तथापि, सीमा-शुल्क अधिकारी इस बारे में सतर्क हैं ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन

3443. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के प्रधान श्री जार्ज बुड्स ने संयुक्त राष्ट्र

व्यापार और विकास सम्मेलन में अपने भाषण में विकासशील देशों की सामान्य रूप से और भारत की विशेष रूप से आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारतीय शिष्टमंडल की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री जार्ज बुड्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में किये गये भाषण विशेषत : भारत के आर्थिक विकास की प्रगति के सम्बन्ध मे कुछ टिप्पणी की गयी थी । जब उनका ध्यान भारत द्वारा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में की गयी काफी प्रगति की ओर दिलाया गया तो उन्होंने उस टिप्पणी को संयुक्त-राष्ट्र-व्यापार और विकास सम्मेलन के नियमित रिकार्ड में शामिल किये जाने के लिए संशोधित कर दिया। मूल टिप्पणी और संशोधित टिप्पणी नीचे दी गयी है ।

मूल अंश :

"हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि विश्व के कई भागों में स्थिति निराशाजनक ही नहीं, क्षोभजनक भी है। यहाँ हमारे मैजबान देश में, जहाँ सारी मानवजाति का सातवां भाग रहता है, स्वतंत्रता मिलने के बीस वर्ष बाद भी लाखों आदमियों को अभी तक प्रगति की क्षीणतम अभिव्यक्ति से अधिक अभिव्यक्ति का अनुभव प्राप्त करना है। जिन लोगों का मेरी तरह यह विश्वास हैं कि भारत ऐसे कार्य में संलग्न है जो समस्त विकास-शील देशों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हें भारत के राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त अनिश्चितता की स्थिति से गम्भीर चिंता होना अनिवार्य है । भारत का मामला, उसके आकार और बाधाग्रस्त एशिया महाद्वीप में उसकी स्थिति के कारण आसाधारण रूप से नाटकीय है; लेकिन केवल यही देश ऐसा नहीं है जहां आशा निराशा में परिणत हो गयी है।"

संशोधित अंश :

"हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि विश्व के कई भागों में स्थिति निराशाजनक ही नहीं, क्षोभजनक भी है । यहां हमारे मैजबान देश में, जहां सारी मानव जाति का सातवां भाग रहता है, स्वतंत्रता मिलने के बाद 20 वर्ष में निरक्षरता, भूख बीमारी और अभाव को कम करने में काफी प्रगति की गयी है । लेकिन जो काम किये जाने बाकी हैं उनका आकार और जटिलताएं चिंता उत्पन्न करनेवाली हैं। जिन लोगों का मेरी तरह यह विश्वास है कि भारत ऐसे कार्य में संलग्न है, जो समस्त विकासशील देशों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें भारत के राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त अनिश्चितता की स्थिति से गम्भीर चिंता होना अनिवार्य है । भारत का मामला उसके आकार और बाधाग्रस्त एशिया महाद्वीप में उसकी स्थिति के कारण आसाधारण रूप से नाटकीय है, लेकिन केवल यही देश ऐसा नहीं है जहां आशा निराशा में परिणत हो गयी है ।

त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्र

3444. **श्री नायनार** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत त्रिपुरा के उन क्षेत्रों को जिन में अधिकांशतः आदिय जाति के लोग रहते हैं "अदिम जातीय क्षेत्र" घोषित करने का है ;

(ख) यदि है, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) किसी भी संघ-शासित-क्षेत्र का कोई भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया । विकल्प नीति (आदिवासी विकास खण्ड), जिसकी सिफारिश ढेवर अयोग ने की थी, को स्वीकार कर लिया गया है ।

दस रुपये का चांदी का सिक्का

3445. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य कृषि संगठन के समारोह दिवस पर 10 रुपये के चांदी के सिक्के जारी करने के सरकार के निर्णय को देखते हुए क्या सरकार ने इसमें प्रयोग होने वाली धातुओं के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक धातु कितनी-कितनी लगेगी ;

(ग) क्या इसमें पूर्णतया भारतीय धातुओं का प्रयोग होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) चूंकि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है कि कितने सिक्के ढाले जाने हैं, इसलिये इस समय इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि धातुओं की वास्तविक आवश्यकता कितनी होगी । लेकिन, इरादा यह है कि 80 प्रतिशत चांदी और 20 प्रतिशत तांबे की मिश्रधातु के बने ऐसे सिक्के जारी किये जायं जिनका वजन लगभग 16-16 ग्राम हो ।

(ग) अनुमान है कि इन सिक्कों के लिये आवश्यक धातु सरकारी स्टाक से दी जायगी ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Utilization of Foreign Aid

3446. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the loans received by India from foreign countries from 1962 to 1967 could not be utilised by India :

(b) if so, the details regarding the departments or works for which loans were received and the works which could not be completed and details regarding the amount which could not be utilized ;

(c) whether it is a fact that only small amount against the loans received during the past 5 years by India from Interntional Development Orgnaisation has been paid back ; and

(d) if so, the details regarding the amount of loan received by India and the amount paid back ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Some balances out of the amounts of foreign loans authorised during the calendar years 1962 to 1967 for utilisation by the Government of India are available for drawals as on 1-1-1968 as under :—

(In crores of rupees)

	Value of agreements signed (i.e. loans authorised)	Value of orders placed	Drawals upto 31-12-1967	Balance available for drawal as on 1-1-1968
Project Loans ..	1748.52	1,174.86	826.49	922.03
Non-Project Loans ..	2,133.69	1925.77	1642.21	491,48
Total ..	3,882.21	3,100.63	2,468.70	1,413.51

The progress of drawals of foreign loans depends upon several factors. Whereas commitments against loans can be made as soon as the various conditions precedent are satisfied, actual drawals can take place only as and when imports materialise. The pace of drawals naturally depend not only on the fulfilment of various conditions precedent prescribed by the lending countris, but also on the time taken for finalisation of specifications, invitation of tenders, conclusion of contracts, delivery schedules and phasing of payment under the individual contracts. The time taken in the drawal of project loans is much more than in the case of non-project loans as the pace is related to the construction schedules of the various projects. The terminal dates for completion of drawals under the various types of loans are, therefore, fixed with reference to the requirements of each programme.

(b) Since amounts from non-project loans are allocated to both the private and public sectors and in the public sector to a large number of departments and institutions, work-wise or department-wise allocation and drawals are not available. Out of the total authorisations and drawals of Rs. 3882.21 crores and Rs. 2468.70 crores the Non-project portion amounted to Rs. 2,133.69 crores and Rs.1,642.21 crores respectively, leaving a balance of Rs.491.48 crores to be drawn as on 1-1-1968. Of this balance, Rs.443.13 crores pertained to loan agreements signed on various dates during 1966 and 1967 drawals in respect of which could not be expected to be completed by 31-12-1967.

Regarding project loans details regarding amounts allocated, utilised and balance remaining to to be drawn, broadly classified Ministry or Department-wise are furnished below :

(In crores of Rupees)

Serial no.	Name of Ministry/Department	Value	Drawals	Balance
1.	Iron and Steel (Steel Projects) ..	292.39	113.42	178.97

2.	Mines (Coal Washeries and Operation Hard Rock).	51.37	16.84	34.53
3.	Industrial Development (various Projects)	235.00	121.40	113.60
4.	Irrigation and Power (Power Projects)	376.96	205.48	171.48
5.	Railways ..	250.64	223.12	27.52
6.	Transport (Ports)	20.34	13.67	6.67
7.	Communications (P & T) ..	63.24	63.24	—
8.	Atomic Energy ..	118.25	67.22	51.03
9.	Petroleum and Chemicals ..	2.70	2.10	0.60
10.	Education (Higher Education)	9.00	—	9.00
11.	Unallocated (East European Credits)	3,28.63	—	328.63
	Total	1748.52	826.49	922.03

(c) Repayments in respect of laons received by the Government of India from International Development Organisation (presumably the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association) during, 1962-67 have not commenced as they are not due in terms of the agreements. In terms of the agreements with I.B.R.D. repayments are to be made according the amortisation schemes appended to the agreements which contain an initial grace period. In the case of the loans contracted for during the period covered by the question repayments commence in 1971 and end in 1991.

According to the agreements with the I. D. A. the loans are repayable over a period of 50 years inclusive of an initial grace period of ten years.

(d) Details of the loans received from the two International Organisations are as under :

(In crores of rupees)

	Value of agreements signed	Drawals upto 31-12-1967	Balance to be drawn as on 1-1-1968	Repayment due
I.B.R.D. Project	58.50	18.23	40.27	Nil
I.D.A. Project	297.97	256.26	41.71	Nil
Non-Project ..	303.75	253.58	50.17	Nil
Total	660.22	528.07	132.15	Nil

उड़ीसा के बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिये सहायता

3447. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1967 से आज तक उड़ीसा के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अन्य धन संबंधी सहायता दी गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये अब तक उड़ीसा सरकार को कितना ऋण तथा सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) तूफान सम्बन्धी सहायता कार्यों और अन्य सहायता कार्यों पर अब तक किये गये कथित खर्च के लिये राज्य-सरकार को 200 लाख रूपये के ऋण और 50 लाख रुपये के अनुदान किये गये हैं ।

थोक मूल्य देशनांक का बढ़ना

3448. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में थोक मूल्य देशनांक कितने बढ़े है ;

(ख) 1965 तथा 1966 में थोक मूल्य देशनांक कितने बढ़े हैं तथा कम हुए हैं ; और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) 1967 में थोक मूल्यों के सूचक अंक में (1952-53=100) 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1965 और 1966 में, थोक मूल्यों के सूचक अंक में क्रमश: 6.0 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

(ग) सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कई उपाय किये हैं । इनमें वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए किये गये उपाय भी शमिल हैं ; इन में आयात द्वारा और उत्पादन में वृद्धि कर के अन्न की पूर्ति में वृद्धि करने के उपाय भी शामिल हैं । नयी कृषि नीति का उद्देश्य कृषि के काम आने वाली वस्तुओं और संस्थात्मक ऋण की पर्याप्त व्यवस्था कर के कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है । उदारता से ऋण दे कर, औद्योगिक लाइसेंस देने की शर्तों को नरम बना कर और प्राथमिकताप्राप्त उद्योगों के लिए आयात की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं । हाल मे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबन्धों को और कड़ा बनाने के लिए, उस अधिनियम को संशोधित किया गया था । हाल के महीनों में, मूल्यों में सामान्य रूप से उल्लेखनीय कमी हुई है ।

उर्वरक कारखाना, कोटा

3449. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा, राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने की स्थापना के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कितना-कितना अनुदान तथा क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कारखाने के मालिक को यूरिया उर्वरक का कोटा भी दिया गया है ;

(घ) यूरिया उर्वरकों की एजेंसी के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) उक्त फर्म को कोटा दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया)

(क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने कारखाने के लिये भूमि, बिजली और पानी की व्यवस्था की है । केन्द्रीय सरकार ने रेलवे साइडिंग के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की है। कारखाने की स्थापना के लिये राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिये गये ।

(ग) से (ङ) 1967-68 के दौरान मेसर्स श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज (कोटा उर्वरक परियोजना) को उनके बीजन (seeding) प्रोग्राम के लिये 10,000 मीटरी टन यूरिया का आवंटन किया था । इससे नये कारखाने को उत्पादन शुरु करने के समय तक अपना बिक्री-केन्द्र बना लेने में सहायता मिलेगी। ऐसे कार्यों के लिये दूसरे नये कारखानों को भी आवंटन किये गये हैं । इन हालात में उक्त (ङ) भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

Out-of-turn Allotment of Quarters to Government Employees

3450. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of Government employees who have been allotted quarters out-of-turn since January, 1967 to date ;

(b) whether medical certificates in respect of dependents of employees, such as their parents are accepted from outside Delhi also ;

(c) the number of such medical crtificates amongst those received so far since January, 1967 as have been issued by the doctors at other places and by doctors in Delhi separately ;

(d) the number of such employees, among those who have furnished such certificates, as have been allotted quarters and the reasons for which quarters have not been allotted to the remaining ones ; and

(e) the names of the diseases on the ground of which the quarters are allotted and the number of such medical certificates issued by doctors of other places in respect of the dependents of employees as have been rejected and the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) :

(a) 481.

(b) Yes.

(c) 283 medical certificates have been issued by the doctors of places outside Delhi and 1,048 medical certificates by the doctors in Delhi.

(d) 481 employees have been allotted quarters on out-of-turn basis. Allotment of quarters on out-of-turn basis is generally made in outlying areas, such as Ramakrishnapuram etc. Since the new construction at Ramakrishnapuram did not have electricity, the same were mostly allotted

on the out-of-turn waiting list. When more quarters in that colony become available, the pending demand of 405 persons who have been sanctioned out-of-turn allotments will be met as far as possible as officers on the waiting list have also to be allotted accommodation.

(e) Generally, cases of Heart disease, T. B., Cancer, Paralysis, Mental or any other disease which is serious are accepted for out of turn allotment. While doing so, the totality of circumstances of each case is taken into consideration. 95 cases in which medical certificates have been issued by the doctors outside Delhi in respect of dependents of the employees concerned have been rejected as the medical grounds were not sufficiently serious to warrant out-of-turn allotment.

Jawahar Jyoti

3451. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an inquiry is being conducted against the staff working in the Teen Murti House in connection with the theft of oil used for the Jawahar Jyoti ; and

(b) if so, the outcome thereof and the action taken against the officials found guilty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sadar Iqbal Singh) : (a) and (b) No. However, two Beldars employed on muster roll were apprehended recently by the Police for alleged theft of oil. The case against them is *sub judice*.

मंझली सिंचाई योजनाओं के लिये नियतन

3452. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री श्रीधरन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से मंझली सिंचाई योजनाओं के लिये उदारता से धन का नियतन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने ऐसा अनुरोध किया है और कितनी राशि नियत करने को कहा है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये वर्ष 1968-69 में कितनी राशि नियत की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव०) : (क) और (ख) राज्य सरकारें मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये भी उदारता से धन अलाट कराने के लिये कई अवसरों पर, नामशः सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन, वार्षिक योजना विचार-विमर्श, केन्द्रीय मंत्रियों के राज्यों आदि के दौरे आदि, कहती रही हैं ।

(ग) 1968-69 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

सब्जी मण्डी को हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाना

3453. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में सब्जी मण्डी के फल तथा सब्जी के मार्केट को आजादपुर ले जाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना और हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये नये मार्केट का प्रबन्ध किसी सहकारी समिति को सौंपने का हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां ।

(ख) यह बतलाना बहुत कठिन है क्योंकि इस योजना को अभी तैयार करना और अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3454. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 फरवरी, 1968 को दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के कर्मचारियों ने महाप्रबन्धक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ? और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) दिल्ली राज्य बिजली कर्मचारी संघ ने 6 फरवरी, 1968 को दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के महाप्रबन्धक के घर के सामने प्रदर्शन किया था । उनकी मांगे ये थीं : स्वीकृत मांगों को पूरा किया जाए, अन्य मांगों का आपसी बातचीत द्वारा निपटारा किया जाए और जिन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है उनके प्रति कार्यवाही की जाए।

28 मांगों में से, जिन को प्रबन्धकों ने मान लिया था, 21 मांगों को पूरा कर दिया गया है और 7 को पूरा करने के लिये कार्यवाही हो रही है । संघ का यह दावा था कि प्रबन्धकों ने 10 और मांगें भी मान ली थी । प्रबन्धकों ने इन 10 मांगों पर भी विचार किया था और उन्होंने इनमें से तीन को पूर्ण रूप से और एक को अंशतः मान लिया हैं, और अन्य छः मांगों को स्वीकार नहीं किया । प्रबन्धकों को 11 शिकायतें मिली थीं जिनमें अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था । 9 शिकायतों की जांच पूरी कर ली गई है और यह पता चला है कि किसी अधिकारी के प्रति कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी । अन्य दो शिकायतों के बारे मे जाँच अभी हो रही है ।

लगभग 42 अन्य मांगें थी जिन पर बातचीत होनी थी ।

संघ ने 29 फरवरी, 1968 से आम हड़ताल करने का नोटिस भी दिया था । इस मामले को सुलह अधिकारी के पास ले जाया गया और उसके सामने संघ और प्रबन्धकों के बीच हुए फैसले के अनुसार हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया। दिसम्बर, 1967 में बरखास्त कर दिये गए एक क्लर्क की बहाली से सम्बद्ध मांगों को छोड़ कर, विभिन्न मांगों पर प्रबन्धकों और संघ के बीच बातचीत होनी है । सुलह-अधिकारी के सामने

यह भी तय हुआ है कि यदि 15 मार्च, 1968 तक संघ और प्रवन्धकों के बीच कोई समझौता न हो सका तो यह मामला सुलह-अधिकारी के पास फिर ले जाया जाएगा।

झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को फिर से बसाया जाना

3455. **श्री सीताराम केसरी:** क्या स्वास्थ्य, **परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की गंदी बस्तियों से निष्कासित झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में प्रति व्यक्ति 25 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों के स्थायी रूप से बसाये जाने के लिये क्या योजना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन स्थानों में इन लोगों को फिर से बसाया गया है वहां नई गंदी बस्तियां बन गई हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन क्षेत्रों को नागरिक सुविधाएं देना चाहती है और भविष्य में इन लोगों के पुनर्वास के लिये उचित योजना तैयार करना चाहती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से कब्जा किये उन व्यक्तियों को जो अलाटमेण्ट के पात्र हैं यथा समय 80 वर्ग गज के विकसित प्लाट और बने हुए मकान अलाट करने की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत सभी विकसित बस्तियों में अपेक्षित नागरिक सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध की जा चुकी हैं। इन बस्तियों का विकास अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।

फिल्म जगत से सम्बन्धित लोगों द्वारा देय आय-कर

3456. **श्री जुगल मंडल:** क्या **वित्त** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स के० प्रोडक्शंस के मामले में जांच-पड़ताल का काम इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उसके पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस छानबीन के सिलसिले में अनेक व्यक्तियों से पूछताछ करनी पड़ेगी तथा अनेक दस्तावेजों की जांच और तस्दीक करनी पड़ेगी इसलिए यह कहना तो संम्भव नहीं है

कि जांच कब तक पूरी हो जायगी, परन्तु इसे यथासंभव शीघ्र पूरी करने की कोशिश की जा रही है ।

Hostel for Scheduled Castes Students in Madhya Pradesh

3457. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government had put forth a demand for special funds from the Central Government in September, 1966 for the construction of a hostel for the Scheduled Castes students in the State ;

(b) if so, whether Government have considered the proposal of the State Government and provided required amount ; and

(c) If not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) , (b) and (c) Several States demand additional funds from time to time even though details of programmes to be taken up and the financial allocations therefor are determined after discussions with State representatives at the annual plan discussions. The allocations for programmes are finalised in consultation with the Planning Commission and incorporated in the budget estimates.

Except for minor variations in schemes which are capable of being adjusted by re-appropriation, it is generally not feasible to accede to new and large demands raised by States after the budget of the Department is approved by Parliament.

Accordingly, the new demand of the Madhya Pradesh Government for an additional allocation of Rs.318.396 lakhs exclusively for the construction of 500 hostels for Scheduled Castes could not be agreed to.

दिल्ली में स्त्रियों में अनैतिक पण्य

3458. **श्री क० लकप्पा :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में स्त्रियों में अनैतिक पण्य को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस बारे में जानकारी एकत्र करने और ऐसी स्त्रियों को पकड़ने के लिये किसी विशेष अभिकरण की नियुक्ति की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने अनैतिक पण्य को रोकने के लिये महिला पुलिस स्कवाड बनाने के लिये कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सामाज-कल्यण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन के दमन सम्बन्धी जो 1956 का अधिनियम है वह संघ- शासित दिल्ली क्षेत्र में 1 मई, 1958 से लागू है ।

(ख) सभी संभाग अधिकारियों तथा दिल्ली सी० आई० डी० की अपराध शाखा के उप-अधीक्षकों (पुलिस) को अधिनियम की धारा 13 की व्यवस्था अनुसार विशेष

पुलिस अधिकारी अधिसूचित किया गया है और यह क्षमता रखते हुए वे इस मामले में कार्यवाही करते हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली में नारी-पुलिस पहले से ही है और अधिनियम की कार्यवाही चलाते रहने के लिए जब भी आवश्यकता होती है उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली में कीमतें

3459. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के अवसर पर (दिल्ली और नई दिल्ली) राजधानी में सिगरेट, मछली, मांस, डबल रोटी, अंडा, शुद्ध घी, पनीर, दाल, मेवे, मसाले, फल और दूध की कीमतें बढ़ गई थीं ;

(ख) दिल्ली में जनवरी, 1968 के प्रारम्भ में और फरवरी, 1968 के प्रारम्भ में प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी थी और इन वस्तुओं की कीमतों में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ग) कीमतों में इस अचानक वृद्धि के क्या मुख्य कारण थे ; और

(घ) मूल्य-स्तर को नीचे लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 417/68**] जिसमें उन वस्तुओं की, जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है, दिल्ली में जनवरी, 1968 के शुरू की और फरवरी, 1968 के शुरू की कीमतें दी गयी हैं। जिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है उनमें डबलरोटी और दालें शामिल हैं। दूसरी ओर अंडों, शुद्ध घी और मिर्च-मसालों की कीमतों में कमी हुई है जब कि सिगरेटों, मछली और दूध की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां तक फलों और सूखे मेवों का सम्बन्ध है, कुछ की कीमतों में वृद्धि हुई है और दूसरों की कीमतों में या तो कमी हुई है या कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ग) मूल्यों में सामान्य रूप से कोई तेजी नहीं आयी।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Pakistani Smugglers

3460. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of seven Pakistani smugglers were arrested at Nabadwipdham station on 29th January, 1968 ;

(b) if so, the quantity of the details of goods recovered and from where these had been brought ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes Sir.

(b) The following goods were recovered :

(i) 1,88,250 pieces of steel needles of Chinese make valued at Rs.2,695.

(ii) 3 Dozen steel files of Japanese make valued at Rs.180,

(iii) 1 Gross Pencil cutters of German make valued at Rs.150,

(iv) 1 Gorss pencil sharpeners of Chinese make valued at Rs.125,

(v) 2033 pieces of nipples of British make valued at Rs.800.

(vi) Indian currency amounting to Rs.10.15 P. and

(vii) Pakistani currency amounting to Rs.188.69. P.

The goods had been brought from East Pakistan.

(c) The goods seized have since been confiscated by the Customs authorities. All the persons arrested are still in judicial custody. The question of prosecuting them under the Foreigner's Act is being considered by the State Government.

Counterfeit coins seized in Delhi

†3461. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government detected a factory in January this year manufacturing counterfeit coins in Azadpur, Delhi ;

(b) if so, the details of the articles recovered from the factory ; and

(c) the action being taken by the Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Medical Facilities in Rural Areas

3462. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Private Medical Practitioners' Association has requested the Central Government to give incentives to the private Medical Pratitioners to enable them to take up medical practice in the rural areas to meet the shortage of Doctor s there ; and

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The Indian Private Medical Practitioners Associationi has been requesting the Central Government for registration of unqualified medical practitioners to enable them to take up medical practice in the rural areas. This is as a sequal to making registration compulsory before a person can practise medicine. The whole question is under consideration in consultation with State Governments.

Durgs Price Control

3463 **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Satya Narain Singh** :
Shri A. K. Gopalan : **Shri P. Ramamurti** :
Shri Nambiar : **Shri Umanath** :
Shri S. K. Nayanar :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to amend the Drugs Prices/ Display and Control Order, 1966 ;

(b) if so, the nature of the proposed amendments ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No final decision has been taken to amend the Drugs Prices (Display and Control) Order ,1966.

(b) and (c) Do not arise in view of the answer to(a).

क्षेत्रीय भाषाओं में जीवन बीमा निगम का साहित्य

3464. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नम्बियार : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कराने के इच्छुक लोगों के लियें जीवन बीमा निगम साहित्य तथा अन्य मुद्रित सामाग्री सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रस्तावकर्त्ताओं के लिए विवरण-पत्र तथा दरों की तालिकाएं, प्रस्ताव-फार्म एवं अन्य उपयोगी सामग्री सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है । निगम ने बीमा-पालिसियों की शर्तों का भी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करा दिया है जिससे, जो प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव-फार्म को क्षेत्रीय भाषा में भरना चाहें उन्हें अंग्रेजी के पालिसी-दस्तावेजों के साथ-साथ शर्तों का अनुवाद भी भेजा जा सके ।

कोचीन पत्तन में निकासी एजण्ट

3465. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री एस्थोस :**
श्री उमानाथ : **श्री अब्राहम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि वर्ष 1963-64 की अवधि में कोचीन पत्तन पर लाइसेंस-प्राप्त एक निकासी एजेंट ने अल्प अवतरण वापसी दावे के लिये नकली दस्तावेजों के साथ एक अपील दायर करके सीमा शुल्क विभाग को कुछ हजार रुपयों की राशि से धोखा देने का प्रयत्न किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो अपीलेट नियंत्रक को इस धोखाधड़ी का ठीक समय पर पता लगने के बावजूद सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इन फर्मों का निकासी एजेंसी लाइसेंस रद्द न किये जाने के क्या कारण हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक ऐसा मामला ध्यान में आया है जिसमें निकासी एजेण्टों की फर्म के एक क्लर्क ने 754 रुपये शुल्क की वापसी की दरख्वास्त की तारीख को 28-10-1962 से बदलकर 26-10-62 कर दिया था जिससे दरख्वास्त निर्धारित मियाद के अन्दर दी गयी मालूम पड़े । 29-1-1963 को वापसी के दावे की रकम को बदलकर 6904 रुपये कर दिया गया । क्लर्क द्वारा तारीख में किया गया परिवर्तन साफ-साफ दिखलाई पड़ता था तथा निकासी एजेण्ट की फर्म ने

उसे प्रमाणित भी नहीं किया था। दरख्वास्त पर लगी, सीमा-शुल्क-गृह की मुहर से पता चलता है कि दरख्वास्त 30-10-1962 को प्राप्त हुई थी। उस आधार पर, वापसी का दावा मियाद-बाहर होने की वजह से नामंजूर कर दिया गया। 15-5-1963 को फर्म ने अपीलीय समाहर्त्ता के यहाँ अपील दायर की जिसमें यह बताया कि दरख्वास्त 26-10-1962 को दी गई थी और मियाद-बाहर नहीं थी। अपीलीय समाहर्त्ता ने अपने सामने पेश की गई सबूतों को देखने के बाद 2-11 1963 को फैसला दिया कि दावा सीमा-शुल्क-गृह में 30-10-1962 को ही प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने दावे को रद्द करने के आदेश की पुष्टि की।

(ख) सीमा-शुल्क-गृह में व्यापार करने के लिये सम्बन्धित क्लर्क के नाम जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इस मामले में की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि सम्बन्धित क्लर्क ने अपने मालिकों की जानकारी के बिना ही ये परिवर्तन अपने आप ही किये थे। फर्म की, माल छुड़ाने के काम में 18 वर्ष से भी अधिक की ख्याति होने से तथा मामले में फर्म की शराकत होना साबित नहीं किये जाने की वजह से, फर्म को चेतावनी देना ही समुचित दण्ड समझा गया और यही बात लाइसेंस पर लिख दी गई थी।

जम्मू में तेल

3466. **श्री महाराज सिंह भारतीय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा कच्छ में किये गये भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप इन राज्यों में कितने तेल-निक्षेप पाये गये और उनका उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) अब तक खोदे गये गहरे कुओं में तेल-कुएं, गैस-कुएं तथा शुष्क कुएं कितने हैं और उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक में उनकी कितनी-कितनी संख्या है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) अभी तक जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मद्रास, आंध्र प्रदेश और कच्छ में कोई तेल भंडार नहीं मिले।

(ख) जनवरी, 1968 के अन्त तक, उपर्युक्त राज्यों में खोदे गये कुओं की संख्या निम्न प्रकार है:-

	कुओं की संख्या
जम्मू-काश्मीर	कुछ नहीं
उत्तर प्रदेश	3*
त्रिपुरा	कुछ नहीं
मद्रास	5**

आंध्र प्रदेश	कुछ नहीं
बिहार	2 *
कच्छ	कुछ नहीं

* तमाम कुएं शुष्क पाये गये।

** चार कुओं का परीक्षण किया गया और शुष्क पाये गये, एक का परीक्षण अभी होना है।

Foreign Aid and Planning

3467. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the percentage of loans from foreign countries and the interest on these loans has been increasing and the percentage of grant has been decreasing from the First to the Forth Five Year Plan ; and

(b) if so, whether Government have taken a note of this trend and propose to curtail foreign assistance as far as possible in future ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) While the percentage of foreign loans as a part of total assistance has gone up from the level of 88.8 % during the Second Plan period to 98.8% in 1966-67, the interest rate (weighted average) on foreign loans has gone down from 4.3% to 2.4% during the same period.

(b) One of the main objectives of economic planning is the achievement of self-reliance by the gradual reduction in the dependence on foreign aid.

Kosi Hydro-Electric Project

†3468. **Shri Bogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hydro-Electric Project on Kosi Eastern Canal is being undertaken in collaboration with Japan near the canal head ; and

(b) If so, the progress made in its construction ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The Hydel Power Station will comprise of four generating sets of 5MW each, which have been obtained from Japan. The erection of the Power Plant is in progress. Two sets are expected to be commissioned in 1968-69 and the other two in 1969-70.

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

3469. **श्री चक्रपाणि :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्टेट्समैन (कलकत्ता संस्करण) में "450 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की सम्भावना" शीर्ष के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस लेख का विषय सरकार द्वारा दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

निर्माण-लागत पर विचार-गोष्ठी

3470. **श्री चक्रपाणि :** **श्री गणेश घोष :**
श्री नायनार : **श्री प० गोपालन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 1967 में नई दिल्ली में हुई निर्माण लागत सम्बन्धी विचार गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) 61 सिफारिशों में से 45 सिफारिशें निर्माण एजेंसियों के सूचना और संदर्शन के लिए सामान्य प्रकार की हैं, जिन्हें सिम्पोजियम की कार्यवाही भेजी जा चुकी है। शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में आय-कर तथा सम्पत्ति-कर के बाकीदार

3471. **श्री चक्रपाणि :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री पो० राममूर्ति : **श्री अब्राहम :**

क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आय-कर तथा सम्पत्ति-कर के देने में चूककर्त्ताओं की संख्या के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) जैसी कि अनुबन्ध में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 418/68]**

केरल में मन्नारघाट मूपिल स्थानम एस्टेट के सम्पदा-शुल्क का निर्धारण

3472. **श्री चक्रपाणि :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अब्राहम : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर-अपवंचन की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केरल के मन्नारघाट जिले में मन्नारघाट मूपिल स्थानम एस्टेट, मन्नारघाट के सम्पदा-शुल्क के निर्धारण के बारे में जाँच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर-अपवंचन के बारे में मिली शिकायतो के अनुसार पूछताछ की जा रही है तथा सम्पदा-शुल्क सम्बन्धी निर्धारण की कार्यवाही अभी भी चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र में भर्ती

3473. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री रमानी :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में सरकारी उपक्रमों में भर्ती के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अभी तक 52 प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है । 1964-65 में इन प्रतिष्ठानों में 22,597 कर्मचारी भर्ती किए गए ; इनमें से 4984 कर्मचारी रोजगार दफ्तरों की मार्फत भरती किए गए और 348 कर्मचारी सरकारी संस्थानों से ग्रहणाधिकार पर (आन लियन) आये थे ।

बाकी के प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

उर्वरक कारखानों में संगठनात्मक परिवर्तन पर विचार करने के बारे में समिति

3474. **श्री वि० कु० मोंडक :**
श्री रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में संगठनात्मक परिवर्तनों की संभावना पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति में एक अमरीकी विशेषज्ञ लिया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक यूनिटों के संगठन, संरचना आदि की जाँच के

लिए नियुक्त दल में टेन्नेस्सी वैली आथॅरेटी से चार अमरीकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इन विशेषज्ञों को शामिल किया गया था क्योंकि टेन्नेस्सी वैली आथॅरेटी को, जो अमेरीका की एक सरकारी उद्यम (एन्टरप्राईज) है, उर्वरक क्षेत्र में काफी अनुभव है और इस दल में इन विशेषज्ञों को शामिल करना लाभदायक समझा गया।

डायमन्ड हार्बर में तेल और गैस

3475. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गणेश घोष :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 24 परगना की सदर और डायमन्ड हार्बर सब-डिवीजन में तेल और गैस की खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) तेल और गैस के कितने रक्षित भंडार पाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया): (क) बोड्रा कुंआ संख्या–1 का छिद्रण-कार्य पूरा नहीं हुआ है अतः छिद्रण के परिणाम इस समय नहीं बताए जा सकते।

(ख) और (ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषित व्यक्तियों की चिकित्सा

3476. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के डाक्टरों ने हजारीबाग में कुपोषण के रोग वाले व्यक्तियों को रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से चिकित्सा करते समय कुपोषित व्यक्तियों की शरीर रचना और पाचन क्रियाओं के बारे में आँकड़ें एकत्र किए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों के एक दल ने अकाल पीड़ित व्यक्तियों के इलाज और पुनर्वास के कार्य में सहायता देने के लिए 1967 की गर्मियों के मौसम में बिहार के हजारीबाग जिले में काम किया था। अपने इस कार्य के दौरान उन्होंने रक्तक्षीणता के कारणों और रोगियों के शरीर में हो जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूजनों के संबन्ध में तथा वे खाद्य सामग्री को किस हद तक पचा सकते हैं और उसका परिपाक कर सकते हैं। क्या अल्प पोषण के कारण उसके शरीर की बनावट कैसे बदल जाती है, इन सब बातों के बारे में कुछ गवेषणात्मक अध्ययन किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं :—

(1) कुछ व्यक्तियों के शरीर में सूजन और कुछ में अत्यन्त क्षीणता अल्प-पोषण के आम लक्षण थे जो बच्चों और प्रौढ़ों दोनों में पाए गए।

(2) रक्त क्षीणता सभी में थी और इसका कारण था लौह, विटामिन बी-12 और फालिक एसिड की कमी।

(3) अकाल पीड़ितों में फेफड़ों का क्षयरोग आमतौर पर सभी में था।

(4) आँतों में परजीवी संक्रमण व्यापक रूप में फला हुआ था किन्तु आतों की अवशोषी क्रिया काफी अच्छी थी।

(5) भोजन खिलाने के प्रयोगों से पता चला कि पीड़ित व्यक्तियों को लगभग 3000 कलोरी प्रतिदिन और 70 ग्राम प्रोटीनयुक्त आहार देने से उनका सन्तोषजनक उपचार किया जा सकता है। उन्हें जब उचित मात्रा में मिला-जुला कर अनाज, मोटा अनाज और दालों के रूप में साधारण और सस्ता खाना जो कि स्थानीय जनता का भोजन है और देश के विभिन्न भागों में पैदा किया जाता है, दिया गया तो उससे उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता पाया गया।

संसद्-सदस्यों के फ्लैट

3477. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संसद्-सदस्यों के फ्लैटों तथा फर्नीचर की हालत के बारे में जनवरी, 1968 की "मदर इंडिया" पत्रिका में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद-सदस्यों को दिए गए कुछ वास पुराने हो सकते हैं, किन्तु नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में संसद्-सदस्यों को दिए गए वास का निर्माण केवल 15 वर्ष पूर्व हुआ था तथा विट्ठलभाई पटेल हाउस अभी हाल ही में बना था। कुछ फर्नीचर तथा बिजली के उपकरण भी पुराने हो सकते हैं तथा जब कभी आवश्यकता होती है इन्हें बदल दिया जाता है। जहाँ तक बगीचों की देखरेख का संबन्ध है, इसको देखने के लिए एक अलग प्रभाग है। संसद्-सदस्यों से प्राप्त हुई शिकायतों पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

और फिर, संसद् को आवास समितियाँ हैं जो कि सभी संसद्-सदस्यों की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं, जैसे कि फर्नीचर तथा बिजली-उपकरण आदि का ध्यान रखती हैं, तथा इन समितियों के परामर्श से इनकी व्यवस्था की जाती है।

भारतीय तेल निगम के लिए इंजीनियरी के स्नातक

3478. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम में नौकरी लेने के लिए 1967 में इंजीनियरी के कितने स्नातकों ने आवेदन-पत्र भेजे थे ;

(ख) कितने इंजीनियर अब तक नियुक्त किए जा चुके हैं ;

(ग) उनमें से कितने उम्मीदवार भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के आनर्स के स्नातक थे और कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भी बुलाया नहीं गया ; और

(घ) साक्षात्कार के लिए चयन करने की क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क), (ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायगी ।

उड़ीसा में आदिवासी सलाहकार बोर्ड

3479. **श्री रवि राय** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा के आदिवासी सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य ने उड़ीसा सरकार द्वारा मद्यनिषेध सम्बन्धी नियमों में ढ़ील किए जाने और इससे वहाँ के आदिवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) यह रिपोर्ट आई है कि एक गैर-आदिवासी सदस्य ने इस मामले पर त्याग पत्र दे दिया है ।

(ख) इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में आदिवासी

3480 **श्री रवि राय** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत् दो वर्षों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में पिछले दो वर्षों में आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों पर जो खर्च हुआ तथा जो भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए, उनका विवरण-पत्र संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-419/68**]

अखिल भारतीय सिंचाई आयोग

3481 **श्री रवि राय** : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सिंचाई आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस आयोग का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० एल० राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) आयोग के लिए प्रस्तावित विचारार्थ विषयों की जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 420/68**] अखिल भारतीय सिंचाई आयोग के सम्बन्ध में लोक-सभा में 11–3–68 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3481 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

अखिल भारतीय सिंचाई अयोग प्रस्तावित विचारार्थ विषय

1. भारत में 1903 से सिंचाई विकास का अवलोकन करना, और भूमि की उत्पादिता को बढ़ाने में सिंचाई के अंशदान तथा/अथवा वर्षा की अनिश्चितता के प्रति इसके द्वारा दी गई सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट देना ।

2. चिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जाँच करना और ऐसे क्षेत्रों में शीघ्र ही आरम्भ किए जाने वाले आवश्यक तथा न्यूनतम सिंचाई कार्यों को सुझाना ।

3. खाद्यान में आत्मनिर्भर होने के लिए सभी प्रकार की सिंचाई के विकास की मोटी रूपरेखा तैयार करना ।

4. परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा उनके आरम्भिक काल को कम करने के विशेष विचार से सिंचाई कार्यों के आयोजन, कार्यान्वन तथा प्रचालन संबन्धी प्रशासनिक तथा संगठनात्मक ढांचे की जाँच करना ।

5. सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कसौटियों का सुझाव देना ।

6. देश में सिंचाई के विकास के बारे में नैयित्तिक तथा संबद्ध अन्य किसी मामले की जाँच करना तथा उपयुक्त सुझाव देना ।

महाराष्ट्र में बर्मा शैल का तेल शोधक कारखाना

3482. **श्री द० रा० परमार :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० कि० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र स्थित बर्मा शैल के तेल शोधक कारखाने के प्रबन्धकों का विचार गुजरात राज्य से फालतू तेल ले कर अपने कार्य को बढ़ाने का है ; और

(ख) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है कि उस कारखाने को विस्तार की अनुमति न दी जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को तारापुर बिजलीघर से बिजली की सप्लाई

3483. **श्री द० रा० परमार :** **श्री रा० कि० अमीन :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार जून, 1968 तक तारापुर बिजली-घर से गुजरात को बिजली की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार का इस करार से पीछे हटने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तारापुर अणुशक्ति विद्युत् केन्द्र, जो कि भारत सरकार का है और उसी द्वारा चलाया जाएगा, व्यापारिक आधार पर अक्तूबर, 1968 तक चालू होना अनुसूचित है। बिजली केन्द्र के आजमायश के तौर पर जून, 1968 से चालू किए जाने की सम्भावना है, जब कि इसका मुख्य स्विचयार्ड, जो कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा है, पूर्ण हो जायगा। इस प्रकार आजमायश की अवधि में उत्पन्न बिजली महाराष्ट्र तथा गुजरात को दी जाएगी ।

(ख) राज्य सरकारों की सलाह से भारत सरकार द्वारा किए निर्णय के अनुसार तारापुर में उत्पन्न बिजली महाराष्ट्र तथा गुजरात में बराबर-बराबर बाटी जाएगी । इस समझौते से किसी सरकार का पीछे हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

धुकरन बिजली-घर

3484. **श्री द० रा० परमार :** **श्री रा० कि० अमीन :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण गुजरात राज्य में धुकरन बिजली घर के विस्तार कार्य-क्रम की कार्यान्विति में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार से आवश्यक विदेशी मुद्रा के नियतन के बारे में गुजरात सरकार को आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में धुंकरण बिजली केन्द्र के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देरी नहीं हुई है । देशी निर्माताओं की अपेक्षित टर्बीआल्टरनेटरों और बायलरों को सप्लाई करने की क्षमता को आँका जा रहा है। यदि इस उपकरण का आयात करने का फैसला किया जाता

है तो विदेशी मुद्रा भारत सरकार और अमरीका के बीच हुए ऋण करार के अन्तर्गत दी जाएगी ।

Excise Duty on Aluminium

3485. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the companies in India which manufacture aluminium ; and

(b) the extent to which those companies were benefited by the withdrawal of excise duty on aluminium during the Budget for the year 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) It is presumed the information asked for is in respect of ore-based aluminium factories. The names of these factories are :

1. The Indian Aluminium Co., Ltd., 1, Middleton Street, Calcutta—smelters at Alwaye (Kerala) and Hirakud (Orissa).
2. The Hindustan Aluminium Corporation Ltd., 159, Churchgate Reclamation, Bombay—smelter at Renukoot (U.P.).
3. The Madras Aluminium Co. Ltd., Coimbatore—smelter at Mettur (Madras).
4. The Aluminium Corporation of India Ltd., 7, Council House Street, Calcutta—smelter at Asonsol (West Bengal).

(b) There has been no withdrawl of excise duty on aluminium during the Budget year 1967-68. The excise duty rates were in fact increased by Rs.780 and Rs.1,140 per tonne on crude aluminium and certain manufactures, respectively, in the Budget (1967-68) changes. In effecting the increase in rates, the producers were expected to and have actually absorbed the increase upto Rs.250 per metric tonne in the case of manufacturers (1) and (2) listed in reply(a) above and Rs.200 and Rs.100 per tonne, respectively, in the case of manufacturers (3) and (4) against an increase of Rs.780 and Rs.1,140 on aluminium crude and certain manufactures of aluminium, respectively. To afford further relief to the ultimate consumers of aluminium manufactures, household utensils in particular, the increases in the rates effected in 1967-68 Budget were reduced to the extent of Rs.120 per metric tonne on aluminium crude andcertain manufactures of aluminium, and, Rs.600 per metric tonne of aluminium cricles of certain gauges essentially used for manufacture of house-hold utensiles. It would, therefore, be seen that the increase in the duty rate has been partly absorbed by the producers, and partly reduced by executive notifications with a view to affording relief to the consumers. The question of these companies getting benefit because of reduction in excise duty increases during the last Budget does not, therefore, arise.

Banking Facilities Provided to Capitalists

3486. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extra facilities being provided by banks to the big capitalists for keeping their goods in their banks' godowns as compared to smaller capitalists/traders ; and

(b) the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Government are not aware of any such special facilities being given.

(b) Does not arise.

Rate of Interest charged on loans to Capitalists

3487. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extra concessions being given to the big capitalists by the banks in respect of rate of interest as compared to the smaller capitalists ; and

(b) the names of the banks which are providing such concessions and the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The rateof interest charged by the Banks on their advances usually depends on considerations like the security available against theloan, the purpose for which the laon is granted, the credit worthiness of the party and his antecedents etc. There is no classification of borrowers as big and small capitalists for this purpose.

(b) Does not arise.

Use of Capital by Directors of Banks

3488. **Shri Shashibushan Bajpai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the percentage of capital of Indian banks being utilised by their Directors for their private industries as compared to other depositors ; and

(b) the bank-wise details thereof :

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member has in view the respective percentages in relation to the total advances by the different banks. A statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. L.T.—421/68]**.

Education Facilities to Adivasis

3489. **Shri Lakhan Lal Gupta : Shri A. S. Saigal : Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have submitted a special scheme to the Central Government for making improvements in the educational facilities in adivasi areas and have asked for special financial assistance for its implementation ;

(b) if so, whether the Central Government have given concurrence to the supplementary grant demanded by the Madhya Pradesh Government ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) , (b) and (c) Several States demand additional funds from time to time even though details of programmes to be taken up and the financial allocations therefor are determined after discussions with State representatives at the annual plan discussions. The allocations for programmes are finalised in consultation with the Planning Commission and incorporated in the budget estimates.

Except for minor variations in schemes which are capable of being adjusted by re-appropriation, it is generally not feasible to accede to new and large demands raised by States after the budget of the Department is approved by Parliament.

Accordingly, the proposals of the Madhya Pradesh Government for large allocation for opening of Schools and Hostels in tribal areas could not be accommodated within the budget grants for 1966-67 and 1967-68.

Dam on River Narmada at Gora

†3490. **Shri Lakhan Lal Gupta : Shri Nitiraj Singh Chaudhary :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4331 on the 14th December, 1967 and state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government was consulted by the Central Government before giving approval to the Gora Dam as "Broach (Narmada) Project (Stage I)" with F.R.L. † 162 with wider foundations for †310.00 dam ; and

(b) if not, the reasons for which the Madhya Pradesh Government was not consulted ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The question of obtaining the consent of the Government of Madhya Prdesh while sanctioning the first phase of the Broach-Gora Project did not arise as the project did not involve submersion of culturable lands in Madhya Pradesh ; nor did it affect the utilisation of waters in Madhya Pradesh.

फिल्मों से सम्बन्धित लोगों के पास लेखा बाह्य धन

3491. **श्री काशी नाथ पांडे ; श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या वित्त मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में फिल्म-वितरकों के कार्यालयों पर मारे गए छापों के सम्बन्ध में की जा रही जाँच अब पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हाँ तो उन फिल्मी कलाकारों के नाम क्या हैं जो इस में शामिल थे ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

फिल्म अभिनेता द्वारा कर-अपवंचन

3492, **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या वित्त मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म अभिनेता श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा कर-अपवंचन की कथित जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 422/68]**

सामान्य बीमे पर प्रशुल्क

3493. **श्री अ० क० गोपालन : श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्य बीमे पर प्रशुल्क के पीछे किनका हाथ है ;

(ख) उसकी दरें तथा पालिसियां निर्धारित करने में सरकार का कितना हाथ है ; और

(ग) क्या यह केवल लाभ अर्जित करने वाली पालिसी के आधार पर लिया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सामान्य बीमा कौंसिल, अपनी टैरिफ समिति की मार्फत सामान्य बीमा व्यापार की टैरिफ दरों का नियमन करती है। दोनों ही विधि-विहित संगठन हैं जो बीमा अधिनियम 1938 के अन्तर्गत स्थापित किये गए हैं।

(ख) अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था जैसी है, उसके अन्तर्गत दरों को निश्चित करने अथवा बदलने के सरकार के पास कोई अधिकार नहीं हैं।

(ग) यद्यपि लाभों के लिए गुंजाइश रहती है, तथापि दरें बीमा-कृत जोखिम पर आधारित रहती हैं।

महंगाई-भत्ते को वेतन के साथ जोड़ना

3494. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री रमानी :**
श्री पी० राममूर्ति **श्री अब्राहम :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते को उनके वेतन के साथ जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान वित्तीय कठिनाइयां देखते हुए महंगाई-भत्ते को वेतन के साथ पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से मिलाने के लिए सहमत होना असम्भव पाया गया है।

उर्वरक कारखाना, गोआ

3495. **श्री श्रीधरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में उर्वरक तथा सहायक केमिकल प्राजेक्ट स्थापित करने के लिये जिन विभिन्न पार्टियों को लाइसेंस दिये गये थे वे कार्यक्रमानुसार कारखाने स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फरक्का बाँध के लिये उपकरणों की खरीद

3496. **श्री श्रीधरन : श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के मैसर्स थारपोर बिला के द्वारा रूस से आयातित उपकरणों को सरकार ने फरक्का बाँध में प्रयोग करने के लिये खरीद लिया है :

(ख) क्या उपकरण अपेक्षित विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) सरकार ने मै० तारापोरे एण्ड को० से कोई उपकरण नहीं खरीदा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक कारखाना, गोआ

3497. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार की आपत्ति के बावजूद उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये गोआ में बिड़ला बन्धुओं को एक हजार एकड़ भूमि दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में इस समय स्थिति क्या है ; और

(ग) इतने बड़े कारखाने के लिये वास्तव में कितनी भूमि की आवश्कता होती हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (रघुरमैया) : (क) और (ख) मैसर्स बिरला ग्वालियर (प्राइवेट) लि० की गोआ उर्वरक परियोजना के लिए भूमि सम्बधी प्रार्थना–पत्र गोआ प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ग) इस आकार की परियोजना के लिये सामान्यता लगभग 650 एकड़ भूमि उपयुक्त समझी गई है । किन्तु एक विशेष परियोजना की वास्तविक आवश्कताएँ, भू-प्रदेश, उपनगर की जरूरत, विस्तार की व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न मदों पर निर्भर होंगी ।

फरक्का बाँध में मशीनरी का प्रयोग

3498. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध पर 10 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनरी खरीदी गई थी परन्तु उसकी अधिकतम क्षमता का केवल 20 प्रतिशत ही प्रयोग किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों में करोड़ों रुपये की मशीन खरीदी गई थी परन्तु उसका प्रयोग नहीं किया गया था और उसी प्रकार की और मशीनें खरीदने के आदेश दिए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि बिजली प्राप्त करने के लिये 55 लाख रुपये से अधिक राशि व्यय की गई थी तथापि अधिकांश कार्य डीजल-पम्पों द्वारा किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच की है : और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस फजूल के खर्च को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) फरवरी, 1968 तक प्राप्त किए गए/आदेश दिए गए उपकरण की कुल लागत 10.16 करोड़ रुपये है । भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न उपकरण प्रयोग में लाए गए हैं । कुछ उपकरण ठेकेदारों को उधार के दिए गए हैं। बराज बनाने में विशेष अवधियों के लिए भिन्न-भिन्न उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं, खुदाई के समय खुदाई का उपकरण, लठ्ठे बनाते समय लठ्ठों का उपकरण, कंक्रीट डालते समय केवल कन्क्रीट सम्बन्धी उपकरण ही प्रयोग में लाया जाता है। नदी तल सम्बधी ऐसे कार्यों के लिए उपकरण अधिकतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जाता है न कि औसतन आवश्यकता के लिये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं, । बिजली सप्लाई की अनिश्चितता के कारण बिजली तथा डीजल पम्पों को प्रयोग में लाया जाता है । एक ठेकेदार (मेर्सस हिन्दुस्तान निर्माण कं०), जो इस परियोजना के एक भाग पर कार्य कर रहा है, अधिकतर डीजल पम्प प्रयोग में ला रहा है, जब कि दूसरा ठेकेदार (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम) अधिकतर बिजली के पम्प काम में ला रहा है । क्योंकि पानी को निकालने की मात्रा अनिश्चित-सी होती है, इसलिए आमतौर पर पम्पों का प्रबन्ध कुछ स्वीकृत पूर्वाधारों पर किया जाता है, जिसमें सहायक पम्पों का भी बन्दोबस्त होता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता । बिजली की सप्लाई को सुधारने का मामला पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के ध्यान में ला दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर की वापसी के मामले

3499. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 और 1967 में आयकर के कितने मामलों में आयकर की वापसी के दावे किये गये हैं ; और

(ख) कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा कब से अनिर्णीत पड़ें हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) मांगी गई सूचना मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है। सम्बन्धित आय-कर आयुक्तों से सूचना मांगी गई है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

करों की बकाया राशि

3500. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963 से लेकर 1967 तक वर्ष-वार और राज्य-वार आयकर, व्यय-कर, सम्पदा-शुल्क और उपहार-कर की कितनी राशि वसूल की जानी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : करों की बकाया के बारे में सूचना न तो कलैण्डर वर्ष के अनुसार रखी जाती है और न राज्य वार। अलग-अलग आयकर आयुक्त के कार्यक्षेत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1963-64 से 1966-67 तक के लिये वसूल किये जाने वाले आय-कर, व्यय-कर, सम्पदा शुल्क और दार-कर की वसूल होने से बकाया रही रकमों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ग्राम्य पेय जल सम्भरण योजनाएँ, हिमाचल प्रदेश

3501. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में हिमाचल प्रदेश में ग्राम्य पेय-जल सम्भरण योजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ख) उसे वस्तुतः कितनी राशि दी गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सु०मूर्ति) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन को जल पूर्ति तथा सफाई योजनाओं के लिये 1966-67 के बजट में 25,69,400 रुपये की व्यवस्था की गई थी। स्थापना तथा औजारों एवं संयत्रों पर होने वाले यथानुपात व्यय के अंश को छोड़ कर उस वर्ष वास्तविक व्यय 35,17,403 रुपये का था। ग्रामीण जल-पूर्ति योजनाओं के सम्बन्ध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

पारादीप में उर्वरक कारखाना

3502. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप में उर्वरक का कारखाना स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में जहर मिली शराब पीने के मामले

3503. **श्री रमानी :** **श्री एस्थोस :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में विषाक्त शराब पीने के कितने मामले हुए :

(ख) उनमें से कितने मामलों में लोगों की मृत्यु हो गई थी ; और

(ग) इस खतरे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति): (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बड़ी सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाएं

3504. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वित्तीय कठिनाइयों के कारण कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं का काम रोक दिया गया है अथवा मन्द गति से चलाया जा रहा है ; और

(ख) ये परियोजनाएं संभवतः किन-किन तारीखों तक पूरी हो जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : धन की कमी के कारण पिछले दो वर्षों में बहुत सिंचाई व बिजली परियोजनाओं में से बहुत सी पर कार्यगति धीमी करनी पड़ी । कुछ चुनी हुई बृहत् सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1968-69 में अतिरिक्त धन आवन्टन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस समय यह ठीक-ठीक कहना सम्भव नहीं कि इन परियोजनाओं के कब पूर्ण होने की संम्भावना है क्योंकि कार्य की प्रगति प्रत्येक वर्ष में धन की उपलब्धि पर निर्भर है । फिर भी हर बड़ी परियोजना के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि "भारत-सिंचाई व बिजली परियोजनाएं "(पंचवर्षीय योजनाएं)" प्रकाशन में दी हुई हैं, जिस की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं ।

धागे और कपड़े पर उत्पादन शुल्क

3505. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये धागे और कपड़े पर लगे उत्पादन शुल्क की दर में पर्याप्त छूट दी जाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय कपास मिल संघ द्वारा उठाये गए प्रश्नों पर बजट प्रस्ताव बनाते समय यथा-आवश्यक रूप से विचार किया गया था । यह प्रस्ताव सदन को 29 फरवरी, 1968 को पेश किये जा चुके हैं ।

मकानों को किराये पर देने को कानूनी बनाना

3506. **डा० रानेन सेन** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास अधिकरण ने केन्द्र को सुझाव दिया है कि सरकारी ऋणों से बनाए गये मकानों के किराये पर दिये जाने को कानूनी बनाया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मलेरिया उन्मूलन

3507. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुई मलेरिया कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन में सुझाव दिया गया था कि परिवार नियोजन की तरह मलेरिया उन्मूलन को केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का रूप दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति) (क) जी हाँ ।

(ख) मलेरिया उन्मूलन योजना पहले से ही एक केन्द्र संचालित योजना है जिसमें कार्यक्रम से संबंधित साज-सामान के लिये शतप्रतिशत सहायता दी जाती है । इसके चलाने पर होने वाले खर्च में (औषधियों और साज-सामान को छोड़ कर) केन्द्र सहायता देता है । इसके लिये 60 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है । इस योजना के वर्तमान वर्गीकरण में किसी परिवर्तन के प्रश्न पर चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय विचार किया जायेगा ।

दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी

3508. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों, लेबोरेटर्स, कार्डियोग्राफिक और डार्क रूम असिस्टेंटों की कमी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति):(क) और (ख) यदाकदा होने वाले रिक्त स्थानों को छोड़ कर किसी अस्पताल में डाक्टरों की कमी नहीं है। कुछ नर्सों के त्यागपत्र देने, विवाह कर लेने अथवा अन्य कारणों से नौकरी छोड़ देने के कारण कुछ संस्थाओं में नर्सों की कमी है। एक अस्पताल ने परा-चिकित्सा स्टाफ की कमी की भी सूचना दी है। अस्पतालों की आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा की जाती है और जहां कहीं से अतिरिक्त स्टाफ की मांग आती है उसकी मंजूरी दे दी जाती है।

बिजली की दर तथा एकल ग्रिड णाली

3509. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रधान मंत्री ने अपनी नई दिल्ली की हाल की यात्रा के दौरान सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री के साथ हुई बैठक में यह विचार व्यक्त किये थे कि भारत में सभी राज्यों को जोड़ने वाली एकल ग्रिड प्रणाली न होने के कारण बिजली की दर बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान सोवियत रुस के प्रधान मंत्री ने यह विचार प्रकट किया कि भारत में बिजली की दरें काफी अधिक हैं जिसका शायद यह कारण है कि यहाँ कोई अखिल भारतीय ग्रिड नहीं है। अखिल भारतीय ग्रिड को बनाने के उद्देश्य से बिजली प्रणालियों को क्षेत्रीय आधार पर आपस में जोड़ने के कार्य में तीसरी पंच वर्षीय योजना से पर्याप्त प्रगति हुई है। इससे निम्मतम कुल उत्पादन लागत पर बिजली सप्लाई हो सकेगी क्यों कि इससे आरक्षित क्षमता की आवश्यकता नहीं होगी, मौसमी बिजली का अच्छा उपयोग होगा और पारपण में बिजली की कम हानि होगी। अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा लोक-सभा में 14-3-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2714 के उत्तर में बता दिया गया है।

खानाबदोश लोगों के विकास कार्यक्रम

3510. **श्री दी० सं० शर्मा :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 60 लाख खानाबदोश लोगों के लिये एक पृथक् विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है जो चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस काम के लिये कितना धन नियत करने का विचार है ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) और (ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अभी निरूपण नहीं हुआ है ।

Supply of Arms to Custom Officers at Airports

3511. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Custom Officers posted at the airports have often to face smugglers armed with weapons ;

(b) if so, whether Government propose to supply arms to the Custom Officers also from the security point of view as is done in the case of the Central Excise Officers ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai : (a) Reports received from the Custom Houses do not indicate that the Customs Officers posted at the airports have to fact smugglers armed with weapons.

(b) and (c) Does not arise.

Sterilization

3512. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to sterilise the persons suffering from contagious and fatal diseases, ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) The matter is under considertion of the Government from the eugenic protection point of view.

(b) Does not arise.

Rehabilitation of Jhuggi-dwellers in Delhi

3513. **Shri Sharda Nand : Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any target for the rehabilitation of jhuggi-dwellers in Delhi ;

(b) if so, the number of jhuggi-dwellers to be rehabilitated during the period from 1st February, 1968 to 31st March, 1968, 1st April, 1968 to 30th August 1968 and 1st September, 1968 to 31st March, 1969 respectively ;

(c) whether it a fact that a few jhuggis have sprung up in small colonies and the people have requested to remove them ; and

(d) if so, the total number of such jhuggis and the action being taken by Government in regard thereto ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) :

(a) and (b) It is not possible to fix any rigid targets because the clearance operations depend upon the land-use of the area to be cleared, availability of civic amenities in the areas where resttlement has to be done, etc.

(c) Yes.

(d) Their exact number is not available. Removal of these jhuggis will be undertaken in course of time.

सामान्य बीमा

3514. (**श्री स० चं० सामन्त**) : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी ने जीवन बीमा के अतिरिक्त सामान्य बीमा का काम किस हद तक अपने हाथ में लिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): भारतीय जीवन बीमा निगम का जीवन-बीमा व्यवसाय पर एकाधिकार है। निगम, अन्य बीमा कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए सामान्य बीमा व्यवसाय का काम भी करता है। जीवन बीमा निगम को, सभी प्रकार के सामान्य बीमा व्यवसाय से 1966-67 में सकल प्रत्यक्ष-किस्तों तथा शुद्ध किस्तों की क्रमशः 669.67 लाख रुपये तथा 313.80 लाख रुपये की रकमें प्राप्त हुईं।

'आयकर भवन', कलकत्ता

3515. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में आय-कर कार्यलयों के लिये "आय-कर भवन" का निर्माण कब किया गया था और तब आय-कर कार्यलय कितने स्थानों में स्थित थे ;

(ख) क्या यह सच हैं कि आय-कर भवन की योजना सभी आय-कर कार्यलयों को एक ही भवन में लाने तथा केन्द्रित करने के लिये बनाई गई थी;

(ग) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि इस अधिक बड़े भवन के बावजूद स्थान पर्याप्त नहीं हैं और इस प्रयोजन के लिये अधिक भवन किराये पर लिये गये हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि कर निर्धारित करने वालों तथा करदाताओं दोनों को ही भारी असुविधा तथा कठिनाई हो रही है ; और

(घ) क्या सभी कार्यालयों को, जो नगर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर हैं एक ही स्थान में लाने के लिये सरकार का एक और पर्याप्त स्थान वाला भवन बनाने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कलकत्ता में आयकर भवन 1961 में पूरा हुआ तथा उसी वर्ष उसे काम में लेना शुरू कर तिया गया। उस समय आयकर के दफ्तर निम्नलिखित इमारतों में भी स्थित थे :

1. 3, गर्वनमेन्ट प्लेस, वैस्ट।
2. 169, लोअर सरक्युलर रोड।
3. 4, हेस्टिंग्स स्ट्रीट।
4. 14, 16, 17, एजरा मेन्शन।
5. 8, ब्रैबोर्न रोड।
6. 76, लोअर सरक्युलर रोड, सामने का तथा पीछे का ब्लाक।
7. 33, नेताजी सुभाष रोड।

8. 7, चर्च लेन

9. 8, मदन स्ट्रीट ।

10. 2, जस्टिस चन्द्र माधव रोड ।

11. 10, गवर्नमेन्ट प्लेस ईस्ट ।

(ख) यह उस समय की स्थिति है जब दफ्तरों के लिए बहुमंजिली इमारत के निर्माण की मंजूरी जुलाई, 1955 में दी गयी थी ।

(ग) सारे भारत में आयकर विभाग का तेजी से विस्तार होने तथा कलकत्ता और बम्बई जैसे विशालतर नगरों में, कर-दाताओं की संख्या में भारी वृद्धि के कारण पहले ही बनाये गये भवन में जगह कम पड़ गई थी । राज्य-सम्पत्ति प्रबन्धक, कलकत्ता के पास कोई सरकारी इमारतें उपलब्ध नहीं थीं इसलिये कलकत्ता में उपयुक्त गैर-सरकारी मकान किराये पर लेने के उपाय किये गये । चूंकि किराये पर मिलने वाली इमारतें कभी-कभी दफ्तरी जरूरतों के अनुकूल नहीं बनायी जातीं, और वे शहर के एक ही भाग में उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे विभाग तथा कर-निर्धारितियों को कुछ असुविधा तो होती हैं ।

(घ) आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभागों के लिए कलकत्ता में एक सम्मिलित कार्यालय का भवन बेम्बू विला स्थान पर निर्माण किया जा रहा है जिसके तैयार होने पर जगह की कमी काफी हद तक दूर हो जायगी । लेकिन, तब कार्यलयों को कम से कम दो इमारतों में रखा जाएगा, अर्थात् आयकर भवन तथा बेम्बू विला में, जो एक दूसरे से दूर-दूर हैं । बेम्बू विला में आयकर विभाग को जितनी जगह दी जा रही है तथा विभाग को दफ्तरी जगह की जरूरत का ध्यान रखते हुए, यह नई इमारत बनकर तैयार हो जाने पर किराये की इमारतों को यथासंभव सीमा तक खाली कर दिया जायगा ।

Watches recovered in Bombay

3517. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs officials raided a house in Bombay and recovered large number of wrist watches during the first week of February, 1968 ;

(b) if so, the number of watches recovered in this raid ; and

(c) the number of persons arrested and the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) No such seizure of large number of wrist watches was effected by the Customs officials in Bombay during the 1st week of February, 1968. However, 2417 watches valued approximately at Rs.1,57,000 at market rate were seized by them from three premises in Bombay City on the 30th January, 1968.

(c) Three persons who were arrested in these cases had been released on bail. Prosecution in a court of law will be taken up after the investigations are completed.

Income-Tax Arrears outstanding against firms in Punjab and Haryana

3518. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of firms in Haryana and Punjab against whom the income-tax dues are still outstanding ;

(b) the amount outstanding against each firm and the reasons for the non-recovery thereof ; and

(c) whether Government have taken any action to recover Income-tax from these firms?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c) It is not readily available.

फिर्मों से सम्बन्धित लोगों द्वारा दी जाने वाली कर की बकाया राशि

3520. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिर्मों से सम्बन्धित लोगों द्वारा दी जाने वाली कर की बकाया राशि के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन के विरुद्ध उनके द्वारा झूठे विवरण प्रस्तुत किये जाने पर दांडिक कार्यवाही की गई है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । सूचना एकत्र की जा चुकी है और जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) किसी भी मामले में मुकदमा चलाने की कार्यवाही अभी तक चालू नहीं की गयी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिड़ला मिलों द्वारा उत्पादन-शुल्क का अपवंचन

3521. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क के अपवंचन के संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित बिड़ला ग्रुप के उद्योगों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अतारांकित प्रश्न सं० 784 के 16 नवम्बर, 1967 को दिये गये उत्तर में, महाराष्ट्र और गुजरात में बिड़ला-समूह से सम्बन्धित जिन 11 फर्मों का मैंने जिक्र किया था, उनमें से नौ फर्मों की जांच-पड़ताल पूरी की जा चुकी है।

(ख) अब तक की गई पूछताछ से किसी ऐसी गंभीर अनियमितता का पता नहीं चला हैं जिसमें राजस्व की हानि हुई हो ।

(ग) शेष दो फर्मों की जांच-पड़ताल को जल्दी पूरा करने के लिए सब सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

Income-Tax Office in Delhi

3522. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Income-Tax Officers in Income-Tax Office Delhi have not been provided with all the items of furniture, durry, stationery and heater ;

(b) whether it is also a fact that most of the furniture has been hired and the hire charges that have been paid exceed the actual cost of the furniture ;

(c) if so, the steps Government propose to take to provide furniture and other facilities and the date by which these facilities would be provided ; and

(d) whether it is also a fact that there is no seating arrangement for the assessees, particularly before Apellate Assistant Commissioner ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Essential items of futniture and stationery have been provided. In view of the need for economy in administrative expenditure, the rooms of all the Income-tax Officers could not be furnished with durries and heaters.

(b) No, Sir. Almirahs are the only main item of furniture which had to be taken on hire because of the inability of the Government approved firms to supply the almirahs for whch orders had been placed with them.

Hire charges so far paid have not exceeded the actual cost.

(c) All the hired almirahs are likely to be replaced very shortly by steel racks for which an order has already been placed with one of the local firms. Difficulties, if any, in the matter of supply of essential items of furniture and other facilities will be removed as soon as possible.

(d) On account of the acute shortage of accommodtion, separate waiting rooms could not be provided for the convenience of the assessees but seating arrangements have been made in the verandahs.

बरौनी में उर्वरक कारखाना

3523. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने बरौनी में प्रस्तावित उर्वरक कारखाने के लिये अपेक्षित भूमि का कब्जा देने के लिये बिहार सरकारी को अन्तिम चेतावनी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया : (क) और (ख) जी नहीं । भारतीय उर्वरक निगम ने बिहार सरकार को

अभ्यावेदन दिया था कि प्रयोजना के लिये भूमि का अधिकार देने में और देरी करने से निगम के लिये समय के अन्दर कार्यक्रम पूर करना असम्भव होगा ।

बरौनी में उर्वरक कारखाना

3524. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना कब लगाया जायेगा और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ख) इस कारखाने की स्थापना में यदि किसी देश से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, तो उस देश का नाम क्या हैं और इस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) यह आशा है कि 1970 के दूसरे हिस्से में बरौनी में उर्वरक कारखाने की स्थापना का कार्य पूरा हो जायेगा । इसकी उत्पादन क्षमता 3,30,000 मीटरी टन यूरिया होगी, जो प्रति वर्ष 1,51,800 मीटरी टन नाइट्रोजन के बराबर होगी ।

(ख) विदेशी निवेश के रूप में कोई विदेशी सहयोग शामिल नहीं है। प्रक्रिया और जानकारी के लिए एक लाइसेन्स करार के अन्तर्गत एक इटली फर्म, मोण्टेकटनी एडिसन की सहायता से भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन एंव विकास प्रभाग द्वारा संयन्त्र का रूपांकन तथा इन्जीनियरिंग कार्य किया जा रहा है । अपेक्षित अधिकांश विदेशी साज-सामान इटली-ऋण के अन्तर्गत प्राप्त किया जायेगा ।

कोयला तथा नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाने

3525. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) म प्रस्तावित उर्वरक कारखाना कोयला-आधारित होगा अथवा नेफ्था आधारित ; और

(ख) यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैरसरकारी क्षेत्र में ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया (क) मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र नेफ्था पर आधारित होगा ।

(ख) यह गैर-सरकरी क्षेत्र में होगा ।

छपाई की मशीने

3526. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1950 और 1956 की अवधि में खरीदी गई 5.46 लाख रुपए के मूल्य की छपाई की मशीनें छः से आठ वर्ष के पश्चात् अलीगढ़ और फरीदाबाद में लगाई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मशीनें दोषयुक्त थीं और इस अवधि में बहुत खराब हो गईं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1959 में अलीगढ़ और फरीदाबाद स्थित मुद्राणालयों के लिये टैम्पल ट्रस्ट से खरीदी गई तीन मशीनों को 1966 तक प्रयोग नहीं किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस अत्यधिक विलम्ब के कारण कितनी हानि हुई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सरदार इकबाल सिंह) : (क) 1950-62 की अवधि में 5.46 लाख रुपए के मूल्य की मशीनें खरीदी गई थीं । इन में से लगभग 1.30 लाख रुपये की मशीनें बगैर किसी देरी के स्थापित कर दी गईं थीं तथा शेष उसके बाद के वर्षों में स्थापित की गईं । यह मुख्यत: इलैक्ट्रिक पावर न मिलने के कारण हुआ था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) तथा (ङ): 1959 के दौरान अलीगढ़ तथा फरीदाबाद के मुद्राणालयों में कोई मशीन नहीं खरीदी गई। तथापि, 1956-1959 के दौरान भारत सरकार मुद्राणालय, टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता के लिए (न कि टैम्पल ट्रस्ट से) तीन मशीनें खरीदी गई थी । परावर्ती मामले में स्थापित करने में देरी मशीनों के लिए ए० सी० पावर की आवश्यकता के कारण हुई थी, क्योंकि मुद्राणालय डी० सी० क्षेत्र में था। कोई घाटा नहीं हुआ था ।

बीमारियों के कारण मृत्यु-दर

3527. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इस समय औसत उम्र, औसत मृत्यु दर तथा औसत जन्म दर कितनी है ;

(ख) मलेरिया, तपेदिक तथा चेचक के रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या 1963-64से 1966–67 की अवधि में कितनी कम हो गई है ; और

(ग) इन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और उसके क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) (i) 1961 की जनगणना के अनुसार लोगों की औसत आयु (माध्यिका आयु) 20.02 वर्ष है ।

(ii) औसत जन्म तथा मृत्यु की अनुमानित दरें इस प्रकार हैं:-

अवधि	जन्म दर (प्रति हजार)	मृत्यु दर (प्रति हजार)
1951-60	41.7	22.8
1961-65	41.0	17.2

(ख) मौतों के कारणों से संबंधित पंजीकृत आंकड़े सन्तोषजनक नहीं हैं। चेचक एक अधिसूच्य रोग है किन्तु क्षय रोग तथा मलेरिया तेश भर में अधिसूच्य रोग नहीं है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार मलेरिया, क्षय रोग तथा चेचक के कारण हुई मौतों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	पल्मोनरी टी० बी०	मलेरिया	चेचक
1963	51,342	67,707	26,360
1964	17,164*	20,121	11,831
1965	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9,058
1966	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	8,482
1967	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	12,922

*अस्थायी

(ग) 'स्वास्थ्य' एक राज्य विषय होने के कारण विभिन्न रोगों के उन्मूलन के लिये उपाय करना मुख्यतया राज्य सरकारों का काम है, वैसे, मलेरिया और चेचक के उन्मूलन के लिये तथा क्षय रोग और अन्य प्रमुख संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार ने देशव्यापी अभियान चलाये हैं तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए वह तकनीकी और विधीय सहायता दे रही है।

ऋषिकेश में कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने का कारखाना

3528. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन ने अपनी हाल की भारत यात्रा के समय ऋषिकेश में कीटाणुनाशक दवाइयाँ बनाने के कारखाने में दक्षता लाने तथा सुधार करने के लिये सहायता की पेशकश की थी अथवा कोई सुझाव दिया था:

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कारखाने की प्रगति में यदि कोई कठिनाई है तो वह क्या है ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बार-बार बिजली की खराबी, पानी प्राप्त करने की पद्धति के रूपांकन में कुछ त्रुटियां और देश में सायबीनज की अप्राप्ति--इस समय मुख्य कठिनाइयां हैं ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के कर्मचारी

3529. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के कर्मचारियों को वर्दी, सेवा शर्तें, वेतनमान, लाभ तथा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जो दिल्ली के अन्य प्रमुख अस्पतालों के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, और

(ख) यदि हां, तो पीड़ित कर्मचारियों को अन्य अस्पतालों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के समान न समझने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रू० सू० मूर्ति): (क) और (ख) लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल सरकारी संस्था नहीं हैं तथा केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को छोड़ कर इस संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनसे भिन्न हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

दिल्ली में बिजली का गुल हो जाना

3530. **श्री सीताराम केसरी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बार-बार बिजली के गुल हो जाने का कारण कुछ टेंडर भेजने वालों द्वारा घटिया कोयले का दिया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) दिल्ली में बिजली बंद होने का कारण प्रयुक्त कोयले की किस्म नहीं है। दिल्ली में राजघाट बिजली घर के (क) और (ख) केन्द्रों में प्रथम श्रेणी का कोयला प्रयोग में लाया जाता है और अन्य बिजली केन्द्रों के लिए दूसरे दर्जे का। दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम उपर्युक्त विशिष्टियों के अनुसार ही कोयले की सप्लाई के लिए टेंडर बुलाता है और इनके लिए आर्डर देता है। कोयला प्राप्त होने पर उसके नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है। इस प्रकार प्राप्त कोयला अथवा उसका कुछ भाग यदि अपेक्षित विशिष्टियों से घटिया दर्जे का हो किन्तु जिसे बायलरों पर कुप्रभाव पड़े बिना प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे प्रयोग में ला दिया जाता है और उसके अनुसार सम्भरकों को कम पैसे दे दिए जाते हैं। तीसरी (ख) श्रेणी से नीचे दर्जे का कोयला ठेके के अनुसार बिक्री योग्य नहीं समझा जाता और उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता।

दिल्ली को बिजली की सप्लाई

3531. **श्री सीताराम केसरी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की मांग पूरी करने के लिये भाखड़ा नगंल परियोजना से पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) दिल्ली में उपलब्ध उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त, भाखड़ा नगंल परियोजना से प्राप्त 80 मैगावाट की वर्तमान मात्रा, दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लेखा-बाह्य धन

3532. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये प्रवर्तन निदेशालय ने कितने छापे मारे;

(ख) इन छापों में कुल कितना रुपया बरामद हुआ; और

(ग) जिन लोगों के पास यह लेखा-बाह्य धन पाया गया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये छापों की सम्बन्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन के उल्लंघन से था, लेखा-बाह्य धन का पता लगाने से नहीं था। 1966 तथा 1967 के दो वर्षों में आयकर विभाग ने 389 तालाशियां लीं।

(ख) आयकर विभाग द्वारा उपर्युक्त छापों में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 137.87 लाख रुपये था।

(ग) जहाँ भी आवश्यक पाया गया है कर-निर्धारण से बची आय पर कर लगाने तथा दण्ड देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

तेल और पैट्रोलियम की आवश्यकता

3533. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 तक तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की देश में कितनी मांग हो जायेगी;

(ख) देश में विभिन्न निक्षेपों से कुल कितना तेल मिलने का अनुमान है; और

(ग) क्या अब तक किये गये ड्रिलिंग कार्यों से देश की मांग पूरी हो सकेगी?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) यह अनुमान है कि 1975 तक तेल की आवश्यकताएं लगभग 32.0 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष होंगी।

(ख) कच्चे तेल के भण्डारों का अनुमान लगभग 165 मिलियन मीटरी टन है।

(ग) इसका आसानी से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

Shortage of beds in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

3534. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Health, Family Planning** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is shortage of beds in the surgical ward of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi as a result of which patients are refused admissions ; and

(b) if so, the arrangements proposed to be made in this rega rd ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Efforts are being made by the Institute to increase the number of beds in the surgical ward of their Hospital on the basis of available resources. 50 more surgical beds are proposed to be added during the year 1968.

Shifting of Government of India Offices

3535. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many of the Central Government offices which had been shifted prevoiusly are now being brought back to Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियरों के पद

3536. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय हिमालच प्रदेश लोक निर्माण विभाग में दो मुख्य इंजीनियर हैं;

(ख) क्या दो मुख्य इंजीनियरों की नियुक्ति काम के भार की दृष्टि से युक्तिसंगत है और इस संघ राज्य क्षेत्र के आकार तथा संसाधनों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो मुख्य इंजीनियर के दूसरे पद को समाप्त नहीं करने के क्या कारण हैं जिससे अपव्यय को रोका जा सकेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली के गांवों में अर्जित की गई भूमि

3537. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों में काफी भूमि अर्जित कर ली गई है परन्तु इसके विकास के लिये कुछ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इस नीति से प्रभावित लोगों ने कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री : (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली की नागरीय परिसीमाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन 56,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई है । उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन इस भूमि में से लगभग 27,000 एकड़ भूमि अन्तिम रूप से अर्जित की जा चुकी है । शेष भूमि का अन्तिम अर्जन किया जा रहा है और इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन पूर्ण रूप के अर्जित कर लेने पर इसके विकास के संबंध में कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) और (ग) जी हाँ । इस विषय पर विचार किया गया था और दिल्ली की नागरीय परिसीमा के अन्तर्गत पड़ने वाली समस्त भूमि को अर्जित करने का निश्चय किया गया है ।

हल्दिया उर्वरक कारखाना

3538. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये पोलैंड और फ्रांस की फर्मों के सार्थसंघ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो अमरीकी फर्म फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी के इसी तरह के प्रस्ताव के समान है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी के प्रस्ताव की तुलना में इस प्रस्ताव की शर्तें किस प्रकार की हैं : और

(ग) इन प्रस्तावों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । पोलैंड के मेसर्स पोलीमैक्स और फ्रांस के एनसा ने हल्दिया में उर्वरक कारखाना स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्निर्धारण

3539. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा इस वर्ष 376 करोड़ रुपये तक ऋणों की अदायगी के लिये अवधि पुनर्निर्धारित की जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है :

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों ने ऐसी प्रार्थना की थी और प्रत्येक राज्य ने ऋण की कितनी राशि की अदायगी के लिये अवधि का पुनर्निर्धारण किये जाने की प्रार्थना की थी ;

(ग) राज्यों ने अपनी मांग के इस समर्थन में क्या कारण बताये थे; और

(ग) इस मांग को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) तक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से, ऋणों की वापसियों का कार्यक्रम बदलने या वसूलियों को स्थगित करने के अनुरोध प्राप्त हुए थे । अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग कारणों और अलग-अलग रकमों के लिए अनुरोध किये थे, किन्तु आमतौर से यह रियायत इसलिए मांगी गयी थी कि आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय की व्यवस्था के लिए राज्यों के साधन बढ़ाये जा सकें जिस पर गैर-प्रायोजना सम्बन्धी दायित्व का बहुत प्रभाव पड़ा था।

ये अनुरोध स्वीकार नहीं किये गये, क्योंकि केन्द्र के साधनों का अनुमान लगाते समय राज्य सरकारों द्वारा चुकायी जाने वाली रकमों को भी हिसाब में लिया गया था और इन में से किसी वसूली को स्थगित करने से, दूसरे राज्यों से की जाने वाली वसूलियों पर प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त, केन्द्र की, अपनी योजना की वित्त-व्यवस्था करने और राज्यों को सहायता देने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता ।

लेकिन ऐसे ऋणों को छोड़ कर, जो आगे उधार देने या कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए दिये गये हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 31 मार्च, 1967 तक दिये गये और 31 मार्च, 1968 तक बकाया पड़े हुए सभी ऋणों को समेकित करने, उनकी वापसी की शर्तों को फिर से निर्धारित करने और उनके ब्याज की दरों को युक्ति-युक्त बनाने की एक अस्थायी योजना राज्यों के विचार जानने के लिए भेजी गयी है । राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जाने पर इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

Fertilizers Factory, Gorakhpur

3540. **Shri Molahu Prasad : Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fertilizer Factory at Gorakhpur has gone into production;

(b) if so, the number of employees working in the factory, category-wise and the number out of them belonging to the Scheduled Castes ; and

(c) the number of employees recruited directly and through the Employement Exchanges separately category-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) Category	No. of Regular employees	No. of Scheduled Caste employees out of figure in column(2)
Class I	100	..
Class II	49	..
Class III	865	16
Class IV	494	58
Trade Apprentices	175	27
	1,683	101

(c) Category	No. of Employees recurited		Employees taken on transfer from other Units/Divisions of FCI
	Through direct recuirtment restricted to FCI employees	Through Employment exchange	
ClassI	66	..	34
Class II	28	1	20
ClassIII	660	25	180
Class IV	460	20	14
Trade Apprentices	175		

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का खोला जाना

3541. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968-69 में दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दो औषधालय खोलने के लिये धन की मंजूरी दी है ;

(ख) सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार का विचार शकूरबस्ती क्षेत्र में एक औषधालय खोलने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह औषधालय कब खोला जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) शकूरबस्ती क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की संख्या इतनी नहीं है कि उनके लिए वहाँ डिस्पेन्सरी खोली जा सके ।

Expenditure on Furniture for Members of Parliament

3542. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on furniture purchased for the Members of Parliament during the period from 1st April 1967 to date ;

(b) whether it is a fact that the furniture available for Members of Parliament at Enquiry Offices in North Avenue, South Avenue and Ferozeshah Road is quite old and unserviceable and yet the Members of Parliament have to pay full rent for the furniture ; and

(c) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Rs.1,50,000.

(b) Articles of furniture available in these Enquiry Offices are supplied to the Members of Parliament after full re-conditioning wherever necessary. No unserviceable furniture are supplied to the Members of Parliament. Fresh purchases are also made when necessary to meet the demands of the Members of Parliament. The rent of the furniture is calculated on the original book value of the furniture irrespectie of the fact whether the furnitureis old or new. Howerver, a rebate of 25% is admissible on rent of furiture in the case of Members of Parliament.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Power Supply in Rajasthan at Cheaper Rates

†3543. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The steps being taken by the Central Government to make electricity available at cheaper rates in Rajasthan in view of the existing cost of its production ; and

(b) the assistance which would be made avilable to the State Government by the Central Government for electrification of rural areas in particular during 1968-69 ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The following steps which have a bearing on reduction of the existing cost of supply of power in Rajasthan are being taken :

(i) Siting of a large nuclear based thermal power station at Ranapratap Sagar near an important load centre. The Commissioning of the station is expected to commence in 1969-70. By operating this station at a high load factor and utilising hydro supply for meeting peak-loads, the overall cost can be reduced.

(ii) Interconnection of the Rajasthan Grid with the adjacent power grids in the neighbouring States which will also contribute to the reduction in the overall cost. The 220 KV link between Haryana and Rajasthan via Khetri is under construction and is expected to be completed by end of 1968. The construction of the 220 KV line from Hissar to Jaipur is being expedited. When this line is completed, it will enable Rajasthan to draw its full share of hydro power from Bhakra Nangal, thus enabling reduction in the overall cost.

(b) Allocation of earmarked Central assistance for rural electrifiction for 1968-69 will be decided after the quantum of overall Central assistance for the Rajasthan State Plan is finalised.

आदिवासी

3545. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोग निर्धनता के कारण बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपना रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या योजनाएं बनायी हैं ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) धर्म-परिवर्तन के कारणों की सरकारी तौर पर कोई जांच नहीं हुई ।

(ख) आदिवासी विकास खण्ड, वन-श्रम सरकारी समितियाँ, कृषि-विकास, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक विकास के मुख्य कार्यक्रम हैं ।

Scheme to provide Accommodation to Pavement Dwellers

3546. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether any grants are given to the State Governments by the Centre for constructing houses for pavement dwellers ; and

(b) if so, the particulars thereof ; State-wise for 1967-68 ?

The Deputy Minister in Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) There is no separate Scheme for construction of houses for pavement dwellers.Central financial assistance in the form of loan and grant is, however, provided to State Governments for construction of night shelters with a view to providing sleeping accommodation to prevent dwellers under the Slum Clearance/Improvement Scheme. The pattern of Central financial assistance is 50 loan and 37½% subsidy, the remaining 12½% being provided by the State Governments as subsidy from their own resources. Funds are released to the State Governments under the Slum Clearance/Improvement Scheme as a whole and not separately for construction of night shelters for pavement dwellers.

अवैतनिक सर्जन रखने की प्रणाली को समाप्त करना

3547. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अवैतनिक सर्जन रखने की प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रणाली को समाप्त किये जाने से अस्पतालों की सेवा पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) जहाँ तक सरकार को जानकारी है यह पद्धति बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में प्रचलित है । दिल्ली का जहाँ तक सवाल है दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त एक समिति इस समय इस पद्धति की पुनरीक्षा कर रही है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

रामकृष्णपुरम में क्वार्टरों का आवंटन

3548. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के अभी बने सेक्टर में इस महीने कितने क्वार्टर अलाटमेन्ट के लिये दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने क्वाटरों की बनावट सम्बन्धी शर्तों को अच्छी तरह पूरा किये बिना जल्दबाजी में ये क्वार्टर सम्पदा निदेशालय को सौंप दिये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) 228 ।

(ख) जी नहीं ।

नसबंदी

3549. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह क्या सच है कि जो व्यक्ति (पुरुष) नसबन्दी के लिये अपने आप को पेश करता है उसे नसबन्दी आपरेशन के बाद कुछ धन दिया जाता है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जो एजेण्ट ऐसे व्यक्ति को लाता है और जो डाक्टर आपरेशन करता है उन्हें भी धन दिया जाता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर): (क) और (ख) जी हाँ, जो व्यक्ति नसबन्दी आपरेशन कराने के लिए आता है, उसे वेतन हानि और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने की दृष्टि से, मुआवजे के रूप में, कुछ रुपये दिये जाते हैं । इसी तरह प्रेरित व्यक्ति को परिवार नियोजन केन्द्र तक लाने में, जहाँ उसे परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं, प्रेरक को कुछ खर्च करना पड़ता है । इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए ही उसे पारिश्रमिक दिया जाता है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा इस्पात चादरों का आयात

3550. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय तेल निगम को तेल के बैरल और डामर के ड्रम के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया था कि उसके पास आयातित चादरों की पूरी मात्रा को उपयोग करने की क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से भारतीय तेल निगम इस्पात की पूरी मात्रा को उपयोग करने में विफल रहा और उसने खुले बाजार में इस्पात की आयातित चादरों के एक बड़े भाग को बेचा ; और

(ग) इस्पात की चादरों की मात्रा का गलत हिसाब से आयात करने के लिये आवश्यक रूप से विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिये भारतीय तेल निगम के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमया) : (क) जी हां, ।

(ख) बरौनी शोधनशाला में बिटुमैन के उत्पादन कार्यक्रम में देरी होने के कारण भारतीय तेल निगम आयातित बिटुमैन ड्रम की चादरों का पूर्णतया इस्तेमाल न कर सका। भारतीय तेल निगम इस इस्पात को खुले बजार में नहीं बेच रहा है । इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल के अन्तर्गत निर्धारित पद्धतियों के अनुसार इनका निपटान किया जायेगा ।

(ग) क्योंकि यह अदृष्ट कठिनाइयों के कारण हुआ, इसलिए भारतीय तेल निगम के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम के लिये बैरल

3551. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिटुमैन ड्रम बनाने के प्रयोग में लाई जाने वाली चादरें आयात करने के लिये लाइसेंस ऐसे ड्रम बनाने वाले लोगों को सीधे देने की बजाय तेल शोधन कम्पनियों को दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस व्यवस्था में तेल शोधन कम्पनियां जिन निर्माताओं को वे इस्पात की चादरें देना चाहेंगी दे सकेंगी ;

(ग) देश में बनी इस्पात की चादरें तेल शोधक कम्पनियों के माध्यम से निर्माताओं को क्यों दी जाती हैं ; और

(घ) क्या ऐसी व्यवस्था होने से ड्रम और बैरल बनाने वाले उद्योगों का सामान रूप से विकास नहीं हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) बिटुमैन ड्रम की चादरें तेल शोधनशालाओं / तेल कम्पनियों को दी जाती हैं क्योंकि शोधनशालाओं द्वारा बिटुमैन के उत्पादन के साथ इन चादरों की मांग शुरू हुई ।

(ख) , (ग) और (घ) देशीय इस्पात की चादरें और आयातित चादरें दोनों ही बिटुमैन के पैकिंग के काम में आती हैं । इसलिए आवांटन के लिए विभिन्न पद्धति की जरूरत नहीं है ।

शोधनशालाएँ अपने ड्रम निर्माण करने वाले प्लाटों में इस्पात चादरों का इस्तेमाल करती हैं या शोधनशालाओं के निकट सन्यन्त्रों की स्थापना से ड्रमों को तैयार करने के लिये निर्माताओं के साथ दीर्घकालीन समझौते करती हैं ।

Centrally Sponsored Schemes for Harijans and Tribals in M. P.

3552. **Shri A. S. Saigal :** **Shri G. C. Dixit :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a major cut has been effected in the provision made for Madhya Pradesh under Centrally Sponsored Schemes for Harijans and Tribals in 1967-68 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it a fact that it has adversely affected the Tribal Block Development Programme ; and

(d) if so, whether Government would make increased provision for Tribal Block Development Programme in 1968-69 so as to make up the major cut effected during the current year ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Though no cut as such was imposed on the budget estimates for 1967-68 as presented to Parliament, the grants for that year were less than those of the previous years by approximately 32 %. This reduction affected all programmes and all States.

(b) Postponement of the Fourth Five Year Plan and the difficult economic situation in the country.

(c) The fact is that programmes of lower priority in T. D. Blocks have had to be dropped or pruned.

(d) This will depend on the provisions in the budget estimates for 1968-69 approved by Parliament.

भारतीय नेत्र कोष द्वारा आंखों की खरीद

3553. **श्री चेंगल राया नायडू** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नेत्र बैंकों ने विभिन्न देशों से भारतीय नेत्र कोष को आंखों की सप्लाई करने की अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) और (ख) देश में दस नेत्र बैंक हैं और जहां तक सरकार को जानकारी है इनमे से किसी ने भी बाहरी देशों से नेत्रों के लिए याचना नहीं की है, वैसे लंका, इंगलैण्ड और अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की गई है और अक्सर ये नेत्र बैंक इन देशों से नेत्र प्राप्त करते रहते हैं ।

हथकरघा उद्योग

3554. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दक्षिण के राज्यों के मुख्य मंत्रियों से 17 फरवरी, 1968 को बंगलौर में हथकरघा उद्योग की समस्याओं के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) चर्चा के मुख्य विषय निम्नलिखित थे ।

(1) हाथ करघे के वस्त्रों पर छूट की परियोजना ।

(2) सूत पर उत्पादन-शुल्क ।

(3) बिक्री कर ।

(4) ऋण संबंधी सुविधाएँ ।

(5) उद्योग की सामान्य अवस्था तथा हथकरघे का प्रभाव

(ग) उपर्युक्त मद (2) पर निर्णय बजट के साथ ही किया गया है ; जब कि अन्य बातों के बारे में जांच तथा विचार किया जा रहा है ।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

3555. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता देने का निर्णय कर लिया है जो राज्य सरकारें अपने साधनों से पूरा नहीं कर सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन परिजनाओं के लिये सहायता दी गई हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) , (ख) और (ग) भारत सरकार राज्यों की योजनाओं के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता के भीतर 14 बड़ी सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिये शतप्रतिशत निर्धारित ऋण सहायता दे रही है। इन परियोजनाओं के लिए धन प्रत्येक वर्ष की राज्य योजना के लिए निर्धारित व्यय राशि में से प्राप्त किया जाता है । इन चौदह परियोजनाओं के नाम, स्थान तथा 1967-68 की निर्धारित ऋण सहायता नीचे दी जाती है—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थल	1967-68 की निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	चम्बल परियोजना	मध्य प्रदेश तथा राजस्थान	903.00
2.	नगार्जुनसागर परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	1200.00
3.	राजस्थान नहर परियोजना	राजस्थान	300.00

4. व्यास परियोजना	पंजाब तथा राजस्थान	1493.13
5. गंडक परियोजना	बिहार तथा उत्तर प्रदेश	1211.00
6. कोसी परियोजना	बिहार	353.00
7. तुंगभद्र उच्चस्तरीय नहर	आंध्र प्रदेश तथा मैसूर	191.00
8. उकाई परियोजना	गुजरात	877.00
9. गुड़गाँव नहर	हरियाना	97.78
10. बाघ परियोजना	महाराष्ट्र	90.43
11. घटाप्रभा (चरण-2)	मैसूर	300.00
12. महानदी डेल्टा	उड़ीसा	286.00
13. रामगंगा परियोजना	उत्तर प्रदेश	1087.00
14. कंसवती परियोजना	पश्चिम बंगाल	222.00

1968-69 में राज्य सरकारों को दी जाने वाली निर्धारित ऋण सहायता के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है।

जलपूर्ति और सफाई कार्यक्रम के लिए बजट में धन की व्यवस्था

3556. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1967-68 और 1968-69 में उड़ीसा राज्य में जलसम्भरण और सफाई कार्यक्रम के लिये कितनी-कितनी धनराशि नियत की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बृ० सू० मूर्ति): वर्तमान प्रणाली के अनुसार राज्यों को सभी केन्द्र सहायियत 'स्वास्थ्य योजनाओं के लिये, जिसमें ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएँ भी सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सहायता एक मुश्त नियत की जाती है दी जाती है। इसलिये यह बताना कि किसी राज्य विशेष को किसी विशेष केन्द्रीय सहायियत 'स्वास्थ्य' योजना के लिये कितनी धन राशि का नियतन किया गया संभव नहीं है। तथापि ग्रामीण नल जलपूर्ति योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत तक सहाय्यानुदान के रूप में राज्य सरकारों द्वारा बताये गये असल व्यय के आधार पर वर्ष के अंत में दी जाती है।

जहां तक नगर जलपूर्ति योजना का संबंध है इसके लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता शतप्रतिशत ऋण के रूप में अर्थोपाय अग्रिमों में दी जाती है तथा वर्ष के अन्त में इसका हिसाब-किताब बिठा लिया जाता है। इस वर्ष उड़ीसा को अन्तिम रूप से 31.50 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

क्योंकि राज्य सरकारों को सहायता की रकम उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्च पर निर्भर करती है इसलिये 1967-68 और 1968-69 के वास्तविक नियतन के बारे में अभी बताना संभव नहीं है।

पोंग बांध की ऊंचाई का कम किया जाना

3557. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पोंग बांध की ऊंचाई कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० ल० राव) : (क) और (ख) दिसम्बर 1967 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि पोंग बांध की 380 फुट की वर्तमान प्रस्तावित ऊंचाई को घटा कर 200 फुट कर दिया जाए और इसके कारण हुई पानी की कमी को गाज और बनेर नदियों पर दो छोटे बांध बनाकर पूरा किया जाए ।

इस प्रस्ताव की जाँच की गई है पर तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं से इसे संभव नहीं पाया गया क्यों कि इससे पोंग बांध की सक्रिय संचय क्षमता 56 लाख एकड़ फुट से घट कर केवल 9.8 लाख एकड़ फुट रह जायगी जिस के फलस्वरूप इस बांध से सिंचाई तथा विद्युत् लाभ बहुत कम हो जाएँगे । इससे पहले हो चुके व्यय का बहुत सा भाग फिजूल हो जाएगा । इसके अलावा, पोंग बांध की प्रस्तावित ऊँचाई न होने से भारत सिंधु जल संधि के अन्तर्गत उपलब्ध ब्यास नदी की सप्लाई का पूरा लाभ नहीं उठा सकेगा ।

दिल्ली में भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी

3558. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली देहात-कल्याण समिति ने सरकार द्वारा भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू०सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली देहात-कल्याण समिति के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस-वक्तव्य में यह बतलाया मालूम होता है कि समिति सरकार द्वारा अर्जित की गई जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लेगी ।

(ख) किसी को सरकारी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करने दिया जायेगा और जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजना

3559. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा में कितनी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ;

(ख) ये परियोजना इस समय किस अवस्था में हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा को सहायता

3560. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में सहायता के लिये सरकार को उड़ीसा सरकार से प्रार्थना मिली है;

(ख) राज्य सरकार ने किस प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था कि 30 नवम्बर, 1967 तक सूखा सम्बन्धी सहायता-कार्यों पर होने वाले खर्च को, मौजूदा पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए, सहायता-कार्यों सम्बन्धी खर्च की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाय।

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है और बाढ़ों और तूफान सहित दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में सहायता-कार्यों की स्वीकृत मदों पर राज्य सरकार द्वारा किये गये खर्च के लिए धन देते समय, सूखा सम्बन्धी सहायता-कार्यों पर हुए वास्तविक खर्च पर पहले ही हिसाब में ले लिया गया है।

अफीम तथा ऐलकालायड कारखाना, गाजीपुर

3561. **श्री त्रिदिबकुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम तथा ऐलकालायड कारखाने के प्रबन्धकों ने इस कारखाने के मजदूर संघ के साथ हुए इस स्थायी समझौते का उल्लंघन करके कि वे नये मजदूरों की भर्ती करते समय उन कर्मचरियों के, जो सेवा-काल में ही मर जाते हैं नौकरी योग्य बच्चों तथा परिवार के आश्रित, सदस्यों को वरीयता देंगे, 22 सितम्बर, 1967 को अनियमित रूप से 22 नये मजदूर भर्ती किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवाकाल की अवधि में मरने वाले कारखाना-श्रमिकों के बच्चों तथा आश्रितों को रोजगार देने की आवश्यकता पूरी करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निदेश के अनुसार कुछ स्वीकृत पद सामान्यतया रिक्त रखे जाते हैं ; और

(ग) मृत श्रमिकों के बच्चों तथा आश्रितों के दावों की उन उपेक्षा करके बाहर से उपरोक्त 22 नये मजदूरों को नियुक्त करने के क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

अफीम तथा ऐलकालायड कारखाना, गाजीपुर

3562. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अफीम एण्ड ऐलकालायड कारखाना उत्तर प्रदेश के मजदूरों को 1967 में कोई अनुग्रह-पूर्वक उत्पादन बोनस नहीं दिया गया था जब कि 1959 से यह बोनस उनको दीवाली के अवसर पर नियमित रूप से दिया जाता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1966-67 में कारखाने के कुल उत्पादन में विशेष कर ऐलकालायड के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद बोनस न देने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी अफीम तथा ऐलकालायड कारखाना गाजीपुर के मजदूरों को अफीम वर्ष 1966-67 के लिए अभी तक कोई कृपापूर्ण उत्पादन-अनुदान नहीं दिया गया है । यह कहना सही नहीं है कि उन्हें यह अनुदान 1959 से लेकर प्रत्येक वर्ष दीवाली के त्यौहार पर मिलता रहा है । वर्ष 1965-66 के लिए कोई उत्पादन-अनुदान नहीं दिया गया था । दीवाली के त्यौहार का इस अनुदान की अदायगी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अदायगी अफीम तथा अर्द्ध-परिशोधित मारफीन के उत्पादन के सरकार द्वारा निर्धारित कुछ प्रतिमान पूरे किये जाने पर निर्भर करती है और किसी विशिष्ट वर्ष के सम्बन्ध में अदायगी तभी की जा सकती है, जब कारखाने के प्रबन्धकर्त्ता यह प्रमाणित करें कि अनुदान की शर्तें पूरी कर दी गयी हैं ।

(ख) वर्ष 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 में अफीम अर्द्ध परिशोधित मारफीन (जो परिशोधित एलकालायड के उत्पादन की आधार-वस्तु होती है) तथा परिशोधित एलकालायड के एकन्दर उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अफीम (किलोग्राम)	अर्द्ध परिशोधित मारफीन (वजन पाउंडो में)	परिशोधित एलकालायड (किलोग्राम)
1964-65	511436	6504	3678
1965-66	437250	6213	3525
1966-67	510231	6049	4147

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1966-67 में अर्द्ध परिशोधित अफीम का उत्पादन, पूर्वतो दो वर्षों के उत्पादन की तुलना में, कम रहा ।

(ग) उत्पादन-अनुदान को बन्द करने का सवाल पैदा नहीं होता । किन्तु जिन उत्पादन प्रतिमानों के अधीन इसकी अदायगी होनी चाहिये, उन में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

चल चित्र उद्योग में लगे लोगों से आय-कर की बकाया राशि

3563. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3411 से उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं/कलाकारों से आयकर तथा धन-कर की बकाया राशि के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ । अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है और आश्वासन-पूर्ति का विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है ।

(ख) विस्तृत ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 423/68]** ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तुंगभद्रा परियोजना

3564. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में क्रमशः तुंगभद्रा परियोजना निम्नस्तर नहर के अन्तर्गत सिंचित, शुष्क तथा सिक्त के रूप में कितनी भूमि स्थान-सीमित की गई है ;

(ख) इन दोनों राज्यों में स्थानसीमित भूमि में से सिंचित, शुष्क तथा सिक्त श्रेणी के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि विकसित की गई है ;

(ग) क्या किसी श्रेणी के अन्तर्गत भूमि विकसित नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में अनाज की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की भूमि का विकास करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत निम्न स्तरीय नहरों के अधीन परिकल्पित कुल सिंचाई निम्नलिखित है :—

	आन्ध्र प्रदेश	मैसूर (एकड़ों में)	कुल
निम्न स्तरीय नहर	1,48,725	92,345	2,41,070
वाम तट नहर		5,80,000	5,80,000
	14,87,725	6,72,345	8,21,070

इन नहरों के अन्तर्गत स्थानीयकरण का काम पूरा कर दिया गया है – सिक्त और शुष्क सिंचाई का अनुपात 1 : 3 है ।

(ब) मार्च, 1967 के अन्त तक वास्तविक रूप से कुल निम्नलिखित क्षेत्र की सिंचाई हुई :—

	आन्ध्र प्रदेश	मैसूर (एकड़ों में)	कुल
निम्नस्तरीय नहर	148725	78500	227225
वाम तट नहर	–	397000	397000
	148725	475500	624225

(ग) और (घ) दक्षिण तट निम्न स्तरीय नहर द्वारा उत्पन्न शक्यता का 95 प्रतिशत से अधिक प्रयोग किया गया है और यह प्रतिशतता बहुत संतोषजनक है । वाम तट नहर के अन्तर्गत यह प्रतिशतता 76.4 है । इस कम प्रगति के ये मुख्य कारण हैं– संचार सेवाओं की कमी, धन की कमी और सामान्यतः इस क्षेत्र का पिछड़ापन । आयाकट विकास के लिये विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं, जैसे कि भूमि को समतल करना, क्षेत्रीय नालियों का निर्माण, प्रदर्शन फार्म आदि के लिये सहायता । आशा है कि सारा क्षेत्र 1972–73 तक विकसित हो जाएगा ।

1966-67 में प्राप्त हुई गैर-परियोजना सहायता

3565. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में भारत को अन्य देशों से कितनी गैर-परियोजना सहायता प्राप्त हुई थी ; और

(ख) यह सहायता किन योजनाओं पर तथा किन राज्यों में खर्च की गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता संघ के सदस्यों से भारत को 1966-67 में 90.1 करोड़ डालर की गैर-प्रायोजना सहायता मिली ।

(ख) गैर-प्रायोजना सहायता का निर्धारण राज्य-वार या योजना-वार नहीं किया जाता । इसका इस्तेमाल सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से, कृषि के काम आने वाली वस्तुओं, औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों, फालतू पुर्जों और रख-रखाव सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

90.1 करोड़ डालर की कुल रकम में से लगभग 30 करोड़ डालर की रकम पूरे देश के इस्तेमाल के लिए रासायनिक खाद के आयात और रासायनिक खाद और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए 25 करोड़ डालर की रकम देश भर के उद्योगों के लिए माल, फालतू कलपुर्जों और मशीनों के हिस्सों और लोहे और इस्पात की चीजों, अलौह धातुओं और रासायनिक पदार्थों

आदि के आयात के लिए और 3.5 करोड़ डालर की रकम चिकनाने के पदार्थों के आयात के लिए निर्धारित की गयी थी ।

90.1 करोड़ डालर की रकम का एक छोटा सा भाग अर्थात् 4 करोड़ डालर की रकम पूंजीगत किस्म की वस्तुओं जैसे तोलने के उपकरणों आदि के आयात के लिए उपलब्ध थी । इस रकम का वितरण भी राज्य-वार या योजना-वार नहीं किया गया ।

श्री आर० के० रुइया पर लगाया गया धन-कर

3566. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद् सदस्य द्वारा भेजे गये पत्र में लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए श्री आर० के० रुइया और मेसर्स रामनारायण एंड संस की कम्पनियों पर धन-कर के निर्धारण की सरकार ने पुनः जांच की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1962-63 तक के वर्षों के तथा 1962-63 के वर्ष के लिए सम्पदा शुल्क के जिन कर-निर्धारणों को पहले ही पूरा किया जा चुका था, उनमें शुल्क-निर्धारण की कार्यवाही तथा जांच-पड़ताल फिर से शुरू की गई है ।

सौराष्ट्र केमिकल्स

3567. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965-66 में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक चेक तथा पत्र पकड़ा था जिसे सौराष्ट्र केमिकल्स का कोई निदेशक, प्रबन्धक तथा अधिकारी बाहर भेजना चाहता था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह चेक 7000 पौंड अथवा उसके लगभग राशि का था और फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क की लन्दन ब्रांच से राशि लेने के लिये जारी किया गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सौराष्ट्र सोमेंट एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक ने फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क की लंदन शाखा के नाम जारी किया गया 7000 पौण्ड का एक चैक तथा उसके साथ के एक पत्र को देश के बाहर भेजने का प्रयत्न किया था, परन्तु सीमाशुल्क अधिकारियों ने इन वस्तुओं को 31 अक्तूबर, 1966 को बीच में ही पकड़ लिया ।

(ग) भारत के रिजर्व बैंक की उचित अनुमति के बिना जमा-पत्र को देश से बाहर भेजने का प्रयत्न करने के मामले का बम्बई के सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा न्याय निर्णय किया गया है जिन्होंने भेजने वाले पर 1,65,000 रुपये का दण्ड लगाया है । पार्टी ने सीमा-शुल्क

समाहर्ता के इस आदेश के विरुद्ध अपील की है जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के सामने पेश है ।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, इस मामले से संबंधित व्यक्ति के व्यापार करने तथा रहने की जगहों की और साथ ही कुछ दूसरी जगहों की भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा, नवम्बर 1966 में तलाशियाँ ली गई तथा कुछ विदेशी मुद्रा एवं दोषारोपणीय कागज-पत्र पकड़े गये । पकड़े गए कागजों की छानबीन से प्राथमिक तौर पर विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन–देन का पता चला है जिनके बारे में संबंधित व्यक्ति को तीन 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये जा चुके हैं । मामलों पर प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय निर्णय की कार्यवाही की जा रही है । भारत के रिजर्व बैंक ने भी इस व्यक्ति को अपने विदेशी खाते में लेन-देन नहीं करने के आदेश दिये हैं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक

3568. **श्री मधु लिमये:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र केमिकल्स के एक निदेशक को उनकी वहां पर नियुक्ति से पहले भारत के रिजर्व बैंक द्वारा एक भारतीय नागरिक प्रमाणित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भी कुछ समय पहले यह निर्णय दे चुका हैं कि उक्त निदेशक एक भारतीय नागरिक है ;

(ग) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों /भारत के रिजर्व बैंक/प्रवर्त्तन शाखा को हिदायत दी गई है कि वे उक्त निदेशक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिये कोई कार्यवाही न करें ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) संभवतः यहाँ श्री के० एन० मेहता को निर्देश किया गया है जो सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक सरकारी लिमिटेड कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक हैं । कम्पनी अधिनियम 1956 की व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति के किसी कम्पनी के निदेशक नियुक्त होने से पूर्व उसकी भारत की राष्ट्रीयता का प्रमाणीकरण रिजर्व बैंक द्वारा होना आवश्यक नहीं है। की गई पूछताछ से यह भी पता चलता है कि रिजर्व बैंक ने श्री मेहता को भारतीय राष्ट्रीय प्रमाणित नही किया था ।

(ख) इस विषय पर सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

3569. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक या सरकार को अन्य एजेन्सियों ने लन्दन के बैंक में श्री के० एन० मेहता/एन० के० के खाते में विदेशी मुद्रा में (लगभग 50,000 पौंड) राशि पायी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि को वापस भारत लाने और उन व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या भारत के रिजर्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों पर दबाव डाला गया है कि इस मामले को और (1965-66 में सीमा शुल्क द्वारा पकड़े गये) 7,000 पौंड के चैकों के मामले को दबा दिया जायें ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रारभिक रूप से की गई छानबीन से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चला है कि श्री के० एन०मेहता ने लन्दन के एक बैंक में खाता खोल रखा है और भारत के रिजर्व बैंक की अनुमति लिये बिना, वहां से भुगतान करते हैं। लगता है कि ये भुगतान 50,000 पौंड से अधिक के हैं।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्ध के संदिग्ध उल्लंघन के कारण प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री मेहता को तीन 'कारण बताओ नोटिस', जारी किये जा चुके हैं। न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही की जा रही है। भारत के रिजर्व बैंक ने श्री मेहता को अपने विदेशी खातों पर लेन-देन नहीं करने के आदेश दिये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन

3570. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में भारत का प्रति-व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन उसी अवधि के संयुक्त अरब गणाराज्य, ईरान और नाइजेरिया के उत्पादन से कम था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिता है ; और

(ग) 1968 और 1969 में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) इन देशों के 1967 के प्रति-व्यक्ति कुल (ग्रास) राष्ट्रीय उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारत में, 1967-68 में पहले से अच्छी फसल होने के परिणामस्वरूप 1966-67 के मुकाबले (वह अन्तिम वर्ष जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध हैं), राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। 1968-69 के बारे में अभी पहले से कोई अनुमान लगाना समय से बहुत पूर्व होगा।

Rate of payment of late duty Allowance

3571. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government employees drawing less pay are given late Duty Allowance at the rate of 65 paise per hour whereas the employees drawing more pay are paid Late Duty Allowance at higher rates per hour ;

(b) whether it is also a fact that class IV employees who have completed two to three years service and who are getting more than Rs.150 exclusive of House Rent allowance and City Compensatory Allowance are paid Overtime Allowance at the rate of 95 paise per hour and other getting lesser pay are given overtime allowance at the rate of 65 paisa per hour ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to bring at par the rate of overtime allowance for all the employees ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Office and other comparable staff drawing monthly emoluments of Rs.100 and above but below Rs.150 get overtime allowance at the rate of 65 paise per hour, and those drawing Rs.150 and above but below Rs.200 get it at the rate of 95 paise per hour. The rates of overtime allowance increase progressively with increases in emoluments in slabs of Rs.50. For the computation of rates of overtime allowance, *inter alia* City Compensatory Allowance is taken into account but not House Rent Allowance.

(c) Overtime allowance, being a compensation for extra work performed beyond the prescribed hours of work, has necessarily to be related to emoluments drawn by the employee. Accordingly, the rates of overtime allowance are higher for the higher pay slabs.

(d) Does not arise.

Industrialisation of Badli and Alipur Blocks

3572. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5216 on the 21st December, 1967 and state :

(a) when Government had earmarked 40 acres of land for the industrialisation of Badli and Alipur blocks under the Delhi Master Plan and the names of the persons to whom this land has been distributed and the area of each plot allotted to each of them ;

(b) the number of persons among those, who have already set up factories in the Capital and other places ; and

(c) the time by which factories would be set up in this area ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urdan Development (Shri B. S. Murthy):

(a) , (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तेल समवायों द्वारा पूंजी विनियोजन

3573. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा शेल मार्किटिंग कम्पनी, इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी, आसाम आयल कम्पनी, आयल इन्डिया लिमिटेड, फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी, एस्सो स्टैन्डर्ड इन्कार पोरेटेड कम्पनी और कलकत्ता आयल कम्पनी नामक तेल समवायों ने भारत में कुल कितनी पूंजी विनियोजन किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी विधि अधिनियमित करने का है जिससे ये कम्पनियां आगामी दस वर्ष तक अपने लाभ विदेशों को न भेजें परन्तु उनको भारत में ही पुनः विनियोजित करें : और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) और (ग) जी नहीं, वर्तमान नीति के अन्तर्गत भारत में करों की अदायगी के पश्चात्, लाभों को भेजा जा सकता है ।

जवाहर ज्योति

3574. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या "जवाहर ज्योति" के प्रकाश को गैस का प्रयोग करके अधिक चमकीला और स्थिर बनाए रखने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

उप मंत्री, निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय (सरदार इकबाल सिंह): (क), (ख) तथा (ग) मामला विचाराधीन है ।

कोचीन सीमा शुल्क हाउस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

3575. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन के सीमा शुल्क विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, (मरियम्मा) जहाज को निगरानी के काम के समयोपरि भत्ता का भुगतान गत चार वर्षों से रोक लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) जहाज के मालिकों द्वारा निवेदन करने पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त समय की ड्यूटी पर अतिरिक्त-समय-भत्ता देकर रखा गया था । परन्तु अतिरिक्त-समय-भत्ते पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त समय की ड्यूटी पर रखने की दरख्वास्त करने वाली पार्टी ने अतिरिक्त-समय-भत्ते की अदायगी नहीं की, इसलिये कर्मचारियो को भत्ते का भुगतान करने से पहले, समाहर्ता द्वारा भत्ते की वसूली की इन्तजारी की जा रही थी । बहरहाल, कर्मचारियो को अतिरिक्त-समय-भत्ते का भुगतान करने के लिये समाहर्ता को अदेश दे दिये गये हैं ।

सीमा शुल्क विभाग, कोचीन

3576. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन के सीमा-शुल्क विभाग में सिपाहियों सहित निरोधक सेक्शन के कर्मचारियों का काम करने का सामान्य समय 9 घंटे है :

(ख) क्या सीमा शुल्क अध्ययन दल ने काम के समय 9 घंटे से घटा कर 8 घंटे करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं और काम करने के घंटों में किस तारीख से कमी की जायेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क), (ख) और (ग)। मार्च 1968 से पहले कोचीन सीमा शुल्क-गृह सहित सभी सीमाशुल्क-गृहों के निरोधक अधिकारियों के काम का निर्धारित समय प्रतिदिन नौ घंटे था। सीमा-शुल्क अध्ययन दल ने काम का समय नौ घंटे से घटाकर आठ घंटे करने की सिफारिश की थी। अब, निरोधक अधिकारियों के प्रतिदिन का काम समय। मार्च 1968 से आठ घंटे निर्धारित करने के बारे में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। कोचीन सीमा-शुल्क-गृह के सिपाहियों के काम का समय पहले ही आठ घंटे प्रतिदिन है।

केरल में ताप बिजली घर

3577. **श्री विश्वनाथ : श्री अदिचन :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कलमास्पेरी में ताप बिजली घर स्थापित करने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) केरल में ताप बिजली केन्द्र के प्रतिष्ठापन सम्बन्धी स्कीम, जिस में 9.37 करोड़ रुपये की अनुमित लागत के 55 मै० वाट के उत्पादन यूनिट का प्रतिष्ठापन परिकल्पत है, से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य प्रगति कर रहे हैं। बिजली केन्द्र का स्थल एरनाकुलम के दक्षिण पूर्व में लगभग 18 मील की दूरी पर अम्बलामेदु में चुन लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी विष्टियां आदि तैयार करने के लिये सलाहकारी इंजीनियर नियुक्त कर दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान सूचना के अनुसार ताप बिजली केन्द्र के 1972–73 तक चालू होने की संभावना है।

सीमा-शुल्क अध्ययन दल का प्रतिवेदन

3578. **श्री विश्वनाथ मेनन**: क्या वित्त मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा-शुल्क अध्ययन दल के प्रतिवेदन के भाग एक तथा भाग दो में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया गया हैं ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सीमा-शुल्क अध्ययन दल की रिपोर्ट के भाग 1 में दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में एक

(विवरण-पत्र 'क') सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 424/68]

रिपोर्ट के भाग II में दी गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए नियुक्त अधिकारान्वित समिति द्वारा विचार अभी पूरा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में अब तक जो निर्णय किए गए हैं उनका विवरण (विवरण-पत्र 'ख') सदन की मेज पर रख दिया गया है।

मूल्य

3579. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मन्त्रालय मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों का कोई सांख्यिकीय अध्ययन करता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या (1) अभाव वाले क्षेत्रों में तथा अभाव के समय अनाज अनाज की वसूली, (2) अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली बेरोजगारी, (3) अभाव वाली वस्तुओं का निर्यात, (4) अवमूल्यन के कारण बढ़े हुए मूल्यों की मशीनों तथा वस्तुओं के आयात, (5) महंगाई-भत्ते, और (6) करों के प्रभावों का, जो बन्द बाजार में मूल्यों में जोड़ दिए जाते हैं, कोई अध्ययन किया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मुद्रा-बाहुल्य की प्रवृत्तियों आदि समेत, आर्थिक-स्थिति का विश्लेषण, हर साल 'आर्थिक-समीक्षा' में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे संसद् में परिचालित किया जाता है। प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित पहलुओं पर बढ़े हुए मूल्यों का जो प्रभाव पड़ता है, उस पर सरकार, अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न बातों के अन्तर्गत बराबर विचार करती रहती है।

बैंकों के अध्यक्ष

3580. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों के निदेशक-बोर्डों के कितने अध्यक्षों को पूर्ण-कालिक अध्यक्ष तथा कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें कितना-कितना वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं;

(ख) क्या पूर्णकालिक अध्यक्षों द्वारा काम अपने हाथ में लिये जाने के कारण किन्हीं पदों की छटनी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंकों का खर्च बढ़ाने तथा विशिष्ट स्वरूप के काम में प्रशिक्षित आदमियों के बदले आम आदमियों को नियुक्त करने का क्या उद्देश्य है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण इसी के साथ संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 425/68]

(ख) सरकार को, पूरे समय के अध्यक्षों की नियुक्ति के कारण किसी पद के घटा दिए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सार्वजनिक व्यक्तियों को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। विवरण में जिन चौदह अध्यक्षों का उल्लेख है उनमें से तेरह पेशेवर बैंकर हैं और चौदहवें व्यक्ति कई वर्ष तक एक बैंक के निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष रहे हैं।

Tribal Development Blocks

3581. **Shri G. C. Dixit :** **Shri A. S. Saigal :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Tribal Development Blocks proposed to be started in Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the number of Development Blocks required to be started for bringing a large part of the tribal population under the development block programmes and the time by which they would be started ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulreneu Guha): (a) The Fourth Five Year Plan has not yet been formulated.

(b) 127 blocks have already been established ; these cover all areas where the concentration of tribal population is 66⅔% or above. Till the Fourth Plan is finalised, no time schedule can be indicated.

Allotment of Quarters to Central Government Teachers in States

3582. **Shri Rama Chandra Veerappa :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of teachers in the Central Government service in all the States who have been allotted accommodation ; and

(b) the number of houses allotted to them in Mysore State district-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) :

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज का सदस्य

3583. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब नेशनल बैंक के सरकारी प्रत्याभूतियों सम्बन्धी घोटाले वाले सौदे में दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के सदस्य श्री हरबन्स सिंह मेहता का दलाल की हैसियत से हाथ होना कहां तक सिद्ध हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के उपनियम 347 (क) के अन्तर्गत कोई सदस्य किसी धोखे वाले सौदे के कारण सदस्यता से हटाया अथवा निलम्बित किया जा सकता है और कई मामलों में सदस्यों के विरुद्ध प्रत्याभूति संविदा विनियमन-अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उल्लंघन के कारण जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करना तथा उसके स्वीकृत सरकारी दलाल बनने पर रोक लगाना उचित क्यों नहीं समझा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा की गई, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश जमींदारी बान्डों की खरीद से सम्बन्धित जिन लेन-देनों की जाँच, केन्द्रीय जाँच कार्यालय (सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन) द्वारा की जा रही है, उनके बारे में श्री हरबन्स सिंह मेहता के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।

(ख) उप-विधि 347 (क) के अनुसार, दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के किसी भी सदस्य को धोखेबाजी का लेनदेन करने पर संस्था से निकाला जा सकता है अथवा मुअत्तिल किया जा सकता है, लेकिन यह मामला ऐसा है जिस पर शेयर-बाजार का बोर्ड ही विचार कर सकता है।

1965 में सरकार ने, प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा (6) की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन, चार सदस्यों के मामलों में जिनमें से दो अकेले व्यक्ति थे और एक साझेदारी की फर्म थी जिसमें दो व्यक्ति साझेदार थे, उनके खिलाफ शिकायतें आने पर, जाँच-पड़ताल करने का आदेश दिया। बदली हुई परिस्थितियों के कारण, यह जाँच नहीं की गयी।

(ग) सरकार को, उस शेयर बाजार के सम्बन्ध में, जिसके मामले में व्यापारिक हितों तथा सार्वजनिक हितों की दृष्टि से, प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 (3) (ख) के अन्तर्गत जाँच करना आवश्यक समझा गया है, श्री हरबन्स सिंह मेहता की किसी भी कार्यवाही के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली शेयर बाजार का कोई सदस्य ऐसा नहीं, जो 'सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त दलाल' हो और इस कारण किसी को सदस्यता से वंचित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

Opium recovered in Jodhpur

3584. **Dr. Surya Prakash Puri** : **Shri Ram Avtar Sharma** :
Shri Y. S. Kushwah : **Shri Ramji Ram** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that I mound and 10 seers of opium, worth about rupees fifty thousand was recovered on the 18th February, 1968 from village Khokharia in Jodhpur ;

(b) whether it is also a fact that in other States also such large scale smuggling is taking place; and

(c) if,so, the reaction of Government there to and the concrete steps taken by Government so far to check the smuggling ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On the 13th February, 1968, the State Excise Staff recovered 41 Kg. and 720 grams of opium from Khokariya village of Jodhpur District.

(b) and (c) As far as Government are aware, there is no large-scale smuggling of opium in any State. The prevention of smuggling of opium and other narcotics is essentially the resonsiblity of the State Governments. The staff of the Narcotics Department and the Directorate of Revenue Intelligence assist the State enforcement agencies by collecting information through reliable informants and other sources. In addition, all the enforcement agencies such as the Customs, the Excise, the police and the staff of the Narcotics Commissioner are alert in the

interior as well as at the points of export and take suitable measures to prevent smuggling of opium. These include :

(i) adequate preventive measures at all vulnerable points ;

(ii) rummaging of supsected sea-going vessels ;

(iii) cancellation of registration certifictes of sea-men convicted in narcotic offences ;

(iv) check of road and rail traffic, wherever nccessry ;

(v) maintenance of liaison by the staff of the Narcotics Commissioner with Interpol and similar enforcement agencies in other countries ;

(vi) limiting poppy cultivation to contiguous areas with a view to securing better control ;

(vii) elimination of unproductive areas and undesirable cultivators by the operation o a system of licensing principles ;

(viii) stepping up progressively from year to year, the average yield required to be tendered by a grower for judging his eligiblity under the licensing principles ;

(ix) abolition of private opium shops with effect from 1-4-1959.

एलकोहल में बनने वाले पेय-पदार्थ

3585. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शराब बनाने वाले कितने कारखाने हैं तथा उनमें 1946 और 1966 में कितनी मात्रा में एलकोहल से बनाने वाले पेय-पदार्थ तैयार किए गए ; और

(ख) उनकी मात्रा में वृद्धि होने के क्या कारण थे ?

समाज-कल्याण राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) शराब बनाने के करखानों की स्थापना तथा एलकोहल से बनने वाले पेय-पदार्थों का किस मात्रा में उत्पादन होना हैं, इस बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन अनिवार्य नहीं क्यों कि नशाबन्दी तो एक राज्य-विषय है। इस विषय पर भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Out of Turn Allotment of Quarters on the recommendation of Members of Parliament

3586. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of applications received so far in the Directorate of Estates along with the recommendations of the Members of Parliament for out-of-turn allotment ;

(b) the number of persons among the applicants to whom out-of-turn allotment has been made ;

(c) whether it is a fact that recommendations of Members of Parliament are required even when the applications are submitted on medical grounds ; and

(d) if, so the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministery of Works Housing, and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) 356.

(b) 135

(c) and (d) No. Recommendations from Members of Parliament are not required at all. There is a provision in the Allotment Rules for allotment of accommodation on out-of turn basis. Government has already issued orders vide letter no. 5/7/64-V and C dated 27th December, 1967 that Government officers should sponser their applications though their respective Heads of Departments.

राना प्रताप सागर परियोजना

3587. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राना प्रताप सागर परियोजना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण माँगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना ऋण माँगा गया है ;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार को यह ऋण देना स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) इस परियोजना के लिए अब तक कितना ऋण दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अभी तक राजस्थान सरकार को चम्बल परियोजना पर धन लगाने के लिए, जिसमें राणाप्रताप सागर बाँध भी सम्मिलित है, कुल 45,78,92,800 रुपये का ऋण दिया गया है ।

Construction of Barrage under Kosi Canal Project

†3588. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the cost of the construction of Hanuman Nagar Barrage under Kosi Project ;

(b) the terms and conditions decided with the Government of Nepal for the construction of the said barrage and the period likely to be taken therefor ;

(c) whether it is a fact that the Nepal Government have full control on the said barrage and it is the Nepal Government which realises the tax there ;

(d) whether it is also a fact that even the workers employed at the Kosi Project are not treated fairly at the said barrage and they are also searched ; and

(e) if so, the steps taken by Government to ensure the withdrawal of the said restrictions?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Rs.28.72 crores up to the end of December, 1967.

(b) The barrage has already been constructed. The terms and conditions concerning the construction of the barrage are contained in the Agreement on the Kosi Project made on the 25th April, 1954, between His Majesty's Government of Nepal and the Government of India, as subsequently revised on the 19th December, 1966.

(c) The Government of Bihar have full control of the barrage. His Majesty' Government of Nepal, with whom the soverignty rights and territorial jurisdiction of the barrage area

vest, realise the tax there. However, no toll is levied by His Majesty's Government of Nepal on the traffic on the Barrage bridge.

(d) and (e) No case of unfair treatment meted out to project workers has come to the notice of the Government of Bihar. His Majesty's Government of Nepal, however, beside exercising check on vehicles and drivers for valid licence, carry out the usual customs checks on personnel entering into or leaving Nepal territory.

Cases of harassment, if any, are brought to the notice of the Kosi Coordination Committee comprising of representatives of his Majesty's Government of Nepal and the Government of India for suitable remedial action.

Russian Oil Experts

3589. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Chandra Shekhar Singh :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of Russian oil experts visited India on the 7th February 1968 ;

(b) if so, the number of days of their stay in India ;

(c) the names of places visited by them ; and

(d) the details of their suggestions to the Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare(Shri K.Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The delegation was in India for 22 days (upto 28th February, 1968).

(b) The delegation visited Delhi, Dehra Dun, Ahmedabad, Bakrol, Nawagam field, Baroda, Ankleshwar, Surat, Bombay, Bhavnagar, Aliabet Island, Daman, Madras, Calcutta, Sibsagar, Lakwa and Rudrasagar, Duliajan and Kaziranga.

(d) Although the report of the delgation is awaited, their main recommendations are (i) off-shore drilling be commenced with on the Aliabet structures of the Gulf of Cambay,

(ii) after gaining experience on the Aliabet structure, off-shore drilling using fixed platforms be carried out on the Tapti structure and later, on the South Tapti structure and (iii) increase in the valume of seismic work and training of a large number of Indian specialists on offshore drilling in particular.

धूप-चश्मों की बिक्री के सम्बन्ध में विधान

3590. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धूप-चश्मों के निर्माण तथा जनता में उनकी बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का विचार संसद् में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बू०सू० मूर्ति) : (क) और (ख) य विषय अभी विचाराधीन है ।

कोयना भूकम्प

3591. **डा० कर्णी सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भू-विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर एफ० अहमद ने 1962 में यह चेतावनी दी थी कि दक्षिण प्रायद्वीप को स्थिर भूमि नहीं समझा जा सकता जैसा कि आम धारणा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रोफेसर अहमद ने विशेष रूप से इस बात के लिए सतर्क किया था कि दक्षिण प्रायद्वीप में ऊँचे बाँध बनाते समय भूकम्पों का ख्याल रखा जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या कोयना बाँध की योजना बनाते समय इस चेतावनी की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ। प्रोफेसर अहमद ने यह कहा था कि 'ऐसे नुक्स वाले क्षेत्र में ऊँचे बाँधों के अभिकल्प बनाते समय निम्न परिमाण वाले भूकम्पों का ध्यान रखना चाहिए।

(ग) प्रोफेसर अहमद के सूचित बयान से पहले कोयना बाँध का अभिकल्प पूर्ण हो चुका था और बाँध काफी हद तक बन चुका था। फिर भी, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की सलाह के अनुसार 5% गुरुत्व का प्रबंध किया गया था जो कि निम्न कोटि के भूकम्पों की शक्ति को सहन करने में समर्थ समझा गया था।

Staff Quarters for State Employees of Insurance Corporation

3592. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it a fact that cracks have been noticed in the staff quarters construced at Kanpur by the Central Public Works Department for the State Employees Insurances Corporation as sub-standard material has been used in their construction ;

(b) whether it is also a fact that in some double-storey quarters, the flush in the upper storey is leaking ; and

(c) whether Government porpose to hold an inqiury in the matter and take action against persons responsible for the use of sub-standard material ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) , (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली स्थित अन्धों की संख्या

3593. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली स्थित अन्धों की संख्या को

सरकार तथा नई दिल्ली नगरपालिका से प्रतिवर्ष लगभग 3,550 रुपये का अनुदान मिलता था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुदान बन्द कर दिया गया है ;

(ग) यह अनुदान कब बन्द किया गया और ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) संस्था अपना कार्य करती रहे इस प्रयोजन के लिए उसे पर्याप्त धन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) केन्द्रीय सरकार इस संस्थान को अनुदान नहीं देती। दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया गया अनुदान इस प्रकार है :—

1961-62	—	2000 रुपये
1962-63	—	1000 रुपये

नई दिल्ली नगरपालिका ने जो अनुदान-राशियां दीं, वे इस प्रकार हैं :—

1949-50 से 1958-59	1200 रुपये प्रति वर्ष
1959-60	1500 रुपये
1962-63	1500 रुपये
1966-67	500 रुपये

(ख) दिल्ली प्रशासन ने निर्णय किया है कि इस संस्थान को अनुदान देना बन्द कर दिया जाय। नई दिल्ली नगरपालिक ने ऐसा निर्णय नहीं किया हैं।

(ग) इस संस्थान के प्रयोजनक कार्य के कारण दिल्ली प्रशासन ने 1963-64 से अनुदान देना बन्द किया। नई दिल्ली नगरपालिका ने कुछ वर्षों तक अनुदान इसलिए नहीं दिया कि संस्थान अपना लेखा (हिसाब-किताब) पेश करने में असफल रहा या इस लिए कि उसे (संस्थान को) कोई घाटा नहीं था।

(घ) यह एक पूर्णतया स्वैच्छिक संस्था है ; अतः पर्याप्त धन सुनिश्चित करना संस्था का कार्य है।

आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई

3594. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तथा मैसूर राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 1967 के अन्त तक बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और इस विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस विषमता को दूर करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् उत्पादन बढ़ाने की किन्हीं योजनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों की 1967 के अन्त तक की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता और इन राज्यों में बिजली की वर्तमान माँगें नीचे की तालिका में दी गई हैं :—

राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	अधिकतम माँग (मैगावाट)
आन्ध्र प्रदेश	607	315
मद्रास	1481	983
मैसूर	639	320

इससे पता चलेगा कि इन राज्यों की बिजली की माँगें भिन्न-भिन्न हैं और यही इन राज्यों की प्रतिष्ठापित क्षमता के फर्क का कारण है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्विति के लिए स्वीकार की गई हैं और अब वे प्रगति की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं :—

(1) अपर सिलेरू पन-बिजली परियोजना (दूसरा यूनिट)	60.0 मैगावाट
(2) रामागुन्डम ताप बिजली विस्तार	62.5 मैगावाट
(3) कोठागुडम ताप बिजली-चरण-3.	220.0 मैगावाट
(4) लोअर सिलेरू पन बिजली परियोजना	400.0 मैगावाट
(5) श्रीसैलम पन बिजली परियोजना	440.0 मैगावाट
कुल	1182.5 मैगावाट

इन स्कीमों के पूरा हो जाने पर आन्ध्र प्रदेश की प्रतिष्ठापित क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ कर 1789.5 मैगावाट हो जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर पम्प स्टोरेज पन-बिजली परियोजना की एक स्कीम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 100 मैगावाट का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इस स्कीम रिपोर्ट की जाँच कर रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई

3595. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से मैसूर की शरावती तथा मद्रास की नीवेली से बिजली खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी को मान्य किसी समुचित सस्ती दर का सुझाव दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1969 से नेवेली बिजली केन्द्र से लगभग 100-150 मैगावाट बिजली खरीदने

के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश ने आगामी छः मास की अवधि में शरावती परियोजना से लगभग 800 लाख यूनिट बिजली खरीदने के लिए भी एक प्रस्ताव रखा है। आन्ध्र प्रदेश और पैपूर राज्य बिजली की सप्लाई दर पर इस समय विचार कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई

3596. **श्री जो० एस० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के लिए 1967-68 और 1968–69 के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए वार्षिक योजनायें प्रस्तुत की गई थीं ; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपबन्ध के अनुसार इन योजनाओं में किस सीमा तक कटौती की गई है ?

सिंचाई व बिजली मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) 1967-68 के वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बिजली विकास स्कीम पर 32 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा था। योजना आयोग ने 23.84 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति दी थी किन्तु 1967–68 के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

1968-69 के वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने बिजली विकास स्कीमों पर 37 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा है किन्तु योजना आयोग ने 20.76 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति दी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

3597. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने में कितनी असमानता है; और

(ख) राज्य-वार इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 426/68**]

Tribal Areas

3598. **Shri Mahant Digvijai Nath:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of money allocated for the tribal areas in Uttar Pradesh during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 respectively ;

(b) the names of the Districts for which this money was allocated ; and

(c) the names of particular schemes on which the money was spent ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a), (b) and (c) The Tribes of Uttar Pradesh were notified as Scheduled Tribes for the first time on 24-6-1967. Schemes for the welfare and Development of Scheduled Tribes were, therefore, initiated only during the later half of the year 1967-68. Pending socio-economic survey and formulation of appropriate programmes, a sum of Rs.1.80 lakhs has been allocated to the State Government for disbursement of Post-metric Scholarships, and for granting exemption from tution fees at the Primary and Secondary stages of education. These facilities are available to all Scheduled Tribe students in all the districts of the State.

सरकारी पेंशन-भोगियों का अभ्यावेदन

3599. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री ओ० प्र० त्यागी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकारी शन-भोगियों की ओर से प्रधान मंत्री को बहुत से अभ्यावेदन भेजे गए हैं कि उनकी पेंशन के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जैसा कि 29 नवम्बर 1967 को हुई आधे घंटे की चर्चा में स्पष्ट किया गया था, सरकार को यद्यपि इस मामले में पूरी सहानुभूति है तथापि साधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए इस समय पेंशनरों को अतिरिक्त राहत देना संभव नहीं है ।

अनुसूचित जातियों की देखभाल के लिए केन्द्रीय समिति

3600. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की देखभाल करने के लिए सरकार एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हाँ, तो वह समिति कब गठित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे ?

समाज-कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) और (ग) मामला विचाराधीन है ।

पारादीप पत्तन के लिये दिया गया ऋण

3601. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सरकार ने प्रार्थना की है कि पारादीप पत्तन के लिए दिए गए ऋण को पत्तन न्यास को दिया गया ऋण समझा जाये ताकि राज्य सरकार को इसकी अदायगी न करनी पड़े ;

(ख) इस ऋण की राशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) 15.69 करोड़ रुपये ।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम

3602. **श्री रा० बरुआ** : **श्री दामानी** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय-भवन निर्माण निगम द्वारा सामान्य रूप से निर्माण-कार्य को अपने हाथ में लेने के कारण निर्माण-लागत कम हो गई है ;

(ख) क्या यह निगम भारत से बाहर भी कोई निर्माण-कार्य कर रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण-आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ, किन्हीं विशिष्ट कार्य और क्षेत्रों में।

(ख) फिलहाल नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।,

Welfare Schemes

3603. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the percentage reduction effected in the amount allocated for Social Welfare Scheme at the time of Chinese and Pak. aggressions on our country ;

(b) the improvement in financial allocations expected in the current year ; and

(c) the names of welfare schemes to be given precedence during the current financial year and the amount proposed to be spent thereon ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) At the time of the Chinese aggression the Social Welfare Department did not exist as a separate entity. During Pakistan aggression, in 1965 the general reduction on Social Welfare schemes was 3 %, (three per cent only)

(b) There has been practically no improvement due to puacity of funds.

(c) It has not been possible to take up fresh programmes in precedence to existing ones which have been continued in the current financial year. The amounts proposed to be spent are as under :

	Rs. in lakhs
1. Integrated Child Welfare Demonstration Projects being converted into Family and Child Welfare programmes.	32.00
2. Education and Welfare of Handicapped.	28.90

3.	Pre-Vocational Training programme.	36.37
4.	Social Defence Programmes.	22.00
5.	Special programmes for children and women including grants to voluntary organisations.	127.00
6.	Training, Research and Administration.	6.72

Grant to Bihar Government

3604. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money as loan and grant demanded by the New present Government of Bihar from the Central Government to meet their financial requirement during the current year ; and

(b) the details in respect of these demands and the percentage of them proposed to be granted by the Central Government ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) the Government of India have not received any request for assistance from the new present Government of Bihar to meet their financial requirements during the current year.

(b) Does not arise.

Booklet entitled "India Irrigation and Power Project"

†3605. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether recently published booklet entitled 'India Irrigation and Power Project' is an authoritative publiction of Government ; and

(b) if so, the steps taken by Government in the context of the preface to the said booklet wherein it has been stated that agricultural production can rest on a firm basis only by assured supplies of irrigation waters ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The relevant portion from the preface of this booklet is reproduced below :

"In a sub-continent like India with its adverse physiographic and climatological regions coupled with capricious monsoons, agricultural production can rest on a firm basis only by assured supplies of irrigation waters."

Assured irrigation is one of the basic inputs for maximising agricultural production. Since the commencement of Five Year Plans, 500 major and medium projects have been taken up. In addition high priority has been given to minor irrigation projects and rural electrification programme for energising tube-wells/pumping sets. Also for achieving the targets of assured irrigation steps are being taken in phased manner within the overall position of the resources available.

Culvitvated and irrigated Area in India

†3606. **Shri K. N. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the area under cultivation in India as compared to U.S.A., U.S.S.R., Australia and Canada and the development thereof covered by irrigation ;

(b) how does the area under irrigation in India compare with these countries ; and

(c) if this area is less, the reasons therefor ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) It will be seen from the following table that the percentage of irrigated area is the highest in India as compared to the other four countries, viz. U. S.A., U. S. S. R., Australia and Canada :

Country	Year	Irrigated arable land under permanent crops.	Arable land and land under permanent crops.	Percentage Col. 3 / Col. 4
1	2	3	4	5
India.	1964-65	26267	149048	17.6
U. S. A.	1959	11257	185152	6.1
U. S. S. R.	1964	10000	229400	4.4
Australia	1964	1170	35562	3.3
Canda.	1961	346	41845	0.8

दिल्ली उच्च न्यायालय की इमारत

3607. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कर्जन रोड, नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय की वर्तमान इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया है और इसके गिराने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या मार्च, 1967 में जब दिल्ली का उच्च न्यायालय मौलाना आजाद रोड से कर्जन रोड स्थानान्तरित हुआ था, उस समय इस इमारत की ठीक प्रकार से जाँच की गई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो इमारत के ठीक होने का प्रमाण-पत्र उस समय कैसे दिया गया और क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उससे क्या पता चला ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) ट्रांसकोर हाउस से दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थानान्तरण से पूर्व भवन में कोई दरार अथवा अन्य कोई कमजोरी दिखाई नहीं दी थी। अभी हाल ही में छत के प्लास्तर का कुछ अंश तथा कुछ खाली ईंटें बरामदे में अनायास ही गिर पड़ी थीं। समुचित आर० सी० सी० की छत के बगैर ऐसे पुराने भवनों में यह कोई अस्वाभाविक नहीं। आगे विस्तृत जाँच करने पर यह पता चला है कि छत का समुचित आर० सी० सी० से नवीकरण करने पर भवन पर्याप्त अवधि तक दखल के योग्य हो जाएगा। बरामदे की छत के कुछ भाग में तुरन्त तबदीली तथा कुछ अन्य मरम्मतों की आवश्यकता है। इन मरम्मतों के बाद यह अनेक वर्षों के लिए उपयोग के योग्य हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ

3608. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार का कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएँ आरम्भ करने का विचार था ;

(ख) किन-किन योजनाओं का काम आरम्भ किया गया ;

(ग) किन-किन योजनाओं का काम आरम्भ किया गया लेकिन आपात तथा अन्य किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई ; और

(घ) किन-किन योजनाओं का काम आरम्भ किया गया और फिर उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई वृहत सिंचाई स्कीम हाथ में लेने का विचार नहीं है। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने गन्डक नहर परियोजना का निर्माण कार्य हाथ में लिया।

उड़ीसा के लिये पृथक् आय-कर आयुक्त

3609. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के लिये एक पृथक् आय-कर आयुक्त नियुक्त करने के संबंध में सरकार को उड़ीसा के आय-कर विभाग की अराजपत्रित कर्मचारी संस्था के प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम

3610. **श्री दमानी** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलावी गणराज्य की नई राजधानी का निर्माण राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम के पास इस कार्य को अच्छी प्रकार पूरा करने के लिये अपेक्षित संसाधन है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) मलावी गणतंत्र के निर्माण, आर्थिक कार्य तथा पूर्ति (वर्क्स, एकानोमिक्स एफेयर्स एण्ड सप्लाई) मंत्री ने भारत की हाल की अपनी यात्रा में यह उल्लेख किया था कि मलावी की नई राजधानी के निर्माण कार्य के लिये राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन० बी० सी० सी०)

का स्वागत किया जाएगा । यह केवल एक सामान्य टिप्पणी मात्र था, तथा इस मामले पर मलावी सरकार से औपचारिक प्रसंग प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा ।

भूमिगत केबल्स

3611. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली के वितरण के लिये भूमिगत केबुलों की व्यवस्था में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) भूमिगत केबुलों की व्यवस्था करने तथा उपरि केबुलों को हटाने में कितना खर्च आने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सेवित क्षेत्र में लगभग 160 मीटर उच्च वोल्टता की लाइनें और 1150 किलो मीटर मध्यम और निम्न वोल्टता की लाइनें जमीन के अन्दर बिछा दी गई हैं। उच्च वोल्टता की वर्तमान ऊर्ध्ववर्ती तारों को तब्दील करने पर लगभग 5 लाख रुपये और मध्यम और निम्न वोल्टता की तारों को तब्दील करने के लिये 1.75 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम द्वारा सेवित क्षेत्रों के थोक सप्लाई से केन्द्रों को बिजली पहुंचाने वाली 33 के० वी० की सभी फीडर लाइनों को जमीन के अन्दर बिछा दिया गया है । नई बस्तियों के मामले में निम्न-तनाव वितरण में भी जमीन के नीचे रखी जाने वाली केबुलों का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है । शहरी क्षेत्र में और नई बस्तियों में जहां तक सम्भव है जमीन के नीचे भी फीडर लाइनें लगाई जा रही हैं । वर्तमान 11 के० वी० ऊर्ध्ववर्ती लाइनों को जमीन के नीचे की लाइनों से तब्दील करने में अनुमानत: 6 करोड़ रुपये, मध्यम तथा निम्न-वोल्टता की ऊर्ध्ववर्ती लाइनों को जमीन के नीचे की लाइनों से तब्दील करने में लगभग 14 करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित चिकित्सा लाइसेंसधारी

3614. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित चिकित्सा लाइसेंसधारियों को भविष्य में संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखला देने तथा एफ० एम० सी० की परीक्षा से छूट देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति):

(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में सिनेमा मालिकों पर कर की बकाया राशि

3615. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली के सिनेमा मालिकों पर आय-कर की कितनी राशि बकाया है और उन मालिकों के नाम क्या हैं और उस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

(ख) क्या इन सिनेमा मालिकों के विरुद्ध कर-अपवंचन की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है ।

(ख) ओडियन सिनेमा, लक्ष्मी पेलेस सिनेमा तथा राधू टाकिज के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) जाँच-पड़ताल करने से राधू टाकिज पर लगाये आरोप आधारहीन पाये गये । अन्य दो मामलों की जाँच-पड़ताल की जा रही है ।

विवरण

सिनेमागृह मालिक का नाम	कर की बकाया रकम 1-4-1965 को	1-4-1966 को	1-4-1967 को	वसूली के लिए किये गये उपाय
पेलेस सिनेमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1,30 371 रु०	अपील की सुनवाई तक बकाया रकम की वसूली स्थागित कर दी गयी है
राधू टाकिज़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1,000 रु०	बकाया रकम की वसूली की जा रही है और इस महीने पूरी वसूली हो जाने की आशा है
लक्ष्मी पेलेस सिनेमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	4,339	रकम अब अदा कर दी गई है ।

नई दिल्ली के डी० आई० जड० तथा मिन्टो रोड क्षेत्रों में क्वार्टरों का पुनः निर्माण

3616. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के डी० आई० जैड० तथा मिन्टो रोड क्षेत्रों

में पुराने तथा पुराने तरह के क्वार्टरों को तोड़ कर नये क्वार्टर निर्माण करने की योजना को समाप्त अथवा स्थगित कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या बहुत से पुराने क्वार्टर अब भी खाली पड़े हैं तथा उनका प्रयोग नहीं हो रहा है ;

(घ) क्या इन पुराने तथा काम में आ सकने वाले क्वार्टरों को वास्तविक सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक मरम्मत करके तब तक पुनः देने की योजना है जब तक नये क्वार्टर निर्माण करने के कार्य को पुनः हाथ में नहीं लिया जाता ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) मिन्टो रोड तथा डी० आई० जैड० एरिया को दिल्ली विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान के अनुसार पुनः विकासित करना है। इन क्षेत्रों में निर्धारित रिहायशी यूनिटों के निर्माण को अगले वित्तीय वर्ष में आरंभ होने की संभावना है।

खतरनाक घोषित किये गये अथवा अत्यधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले अथवा जो स्कूलों, संस्थाओं, आदि के लिये आवंटित क्षेत्र में हैं वे क्वार्टर गिराए जा रहे हैं। अन्य क्वार्टरों में, जो कि निकट भविष्य में पुनर्विकास के लिए नहीं लिए जाएंगे, कुछ और वर्षों तक बनाए रखने के लिए, मामूली मरम्मत की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

3617. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत से उच्च पद रिक्त पड़े हैं और गत कई महीनों से उन पर नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो रिक्त पद कितने तथा कौन-कौन से हैं तथा ये कबसे रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों में निम्न उच्चतम पद खाली हैं।

(1) महा प्रबंधक, कोयना प्रायोजना, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।

(2) महा प्रबंधक, कोरबा प्रायोजना, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।

(3) वित्तीय सलाहकार, कोयना प्रायोजना, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।

(4) वित्तीय सलाहकार, कोरबा प्रायोजना, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।

(5) वित्तीय सलाहकार, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड।

(6) महा प्रबंधक, भारतीय यूरेनियम कारपोरेशन लिमिटेड।

(7) अध्यक्ष, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड।

(8) महा प्रबंधक, राउरकेला संयंत्र, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड।

(9) प्रयोजना प्रशासक, संश्लिष्ठ औषध प्रयोजना, इंडियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।

(10) कार्यपालक निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ।

(11) प्रबंक-निदेशक, नेशनल इंस्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड ।

(12) महा-प्रबंधक, ढलाई-गढ़ाई-प्रायोजना हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड।

(13) महा-प्रबंधक, बंगलौर एकक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ।

(14) महा-प्रबंधक, कलामासेरी एकक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ।

उपर्युक्त पदों में से, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के सामने उल्लिखित पद, मूंजर किये गये नये पद हैं, जिन्हें पहली बार भरा जायगा। क्रमसंख्या 7 और 8 के सामने दिये गये पद 7 दिसम्बर, 1967 से खाली पड़े हैं। क्रमसंख्या 9 के सामने उल्लिखिति पद अप्रैल, 1966 से खाली है। क्रम संख्या 10 के सामने दर्ज पद 31 अगस्त, 1966 से खाली है, क्यों कि बढ़ी हुई जिम्मेदारियों आदि पर ध्यान रखते हुए, इस पद के वेतनमान में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया था ; अब इस प्रश्न का फैसला कर दिया गया है और आशा है कि यह पद शीघ्र ही भर लिया जायगा। जहां तक क्रम संख्या 11 के सामने दर्ज पद का सम्बन्ध है, उस पर काम करने वाला पहला व्यक्ति नवम्बर 1967 में सेवा निवृत्त हुआ। क्रम संख्या 12 के सामने दर्ज पद पहली नवम्बर, 1967 को उस समय खाली हुआ, जब कि उस पर काम करने वाला पहला व्यक्ति एक दूसरे बड़े पद के लिए चुना गया था। क्रम संख्या 13 और 14 के सामने दर्ज पद क्रमशः पहली अप्रैल 1966 और 26 दिसम्बर, 1967 से खाली हैं, हालांकि वरिष्ठता की दृष्टि से उनसे नीचे के व्यक्ति संयंत्रों के संयुक्त महा प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं।

सारे खाली पदों के लिए आवश्यक अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त पदाधिकारी चुन लिये गये हैं या चुने जा रहे हैं।

शुद्ध पेय-जल की व्यवस्था

3618. **श्री रा० की अमीन :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शुद्ध पेय जल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को प्राप्य है ?

(ख) सारी जनसंख्या के लिये शुद्ध पेय-जल-व्यवस्था पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार ने पांच वर्ष के अन्दर यह अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करने की कोई योजना तैयार की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब्र० सू० मूर्ति) : (क) भारत में नगरों की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को सुरक्षित पेय-जल उपलब्ध है। ग्रामीणों से पानी उपलब्ध होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के 50

प्रतिशत से अधिक भाग को तथा कठिनाई से पानी उपलब्ध होने और कमी वाले क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के करीब 3.3 प्रतिशत को सुरक्षित पेय-जल प्राप्य है।

(ख) नगरों में रहने वाली बाकी जनसंख्या के लिये उनकी न्यूनतम जलपूर्ति और मल निष्कासन सुविधाओं की मांग को पूरा करने पर करीब 1,000 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। इसी तरह स्थूल मूल्यांकन से यह अनुमान लगाया गया है कि पूरी ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम सुरक्षित जलपूर्ति के लिये 732 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी।

(ग) इस कार्य के लिये उपलब्ध सीमित धन-राशि को देखते हुए यह समस्या केवल दीर्घकालीन आधार पर ही हल की जा सकती है। तथापि चौथी पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति के प्रश्न को ध्यान में रखा जायेगा।

मनीपुर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उच्च शिक्षा

3619. **श्री मेघ चन्द्र :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिये 1967-68 में कितनी धनराशि का नियतन किया गया था ; और

(ख) 1967-68 में अब तक वस्तुत: कितनी धनराशि व्यय हुई है?

समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) छह लाख रुपये ; इस सीमा के होते हुए भी सहायता के पात्र सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। लेखा दो वर्ष के आधार पर रखा जाता है। अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नियत की गई राशि के 95% भाग का उपयोग हो जायेगा।

मनीपुर में आय-कर की बकाया राशि

3620. **श्री मेघ चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र से उसके वर्ष 1949 में भारतीय संघ में विलय से पहले आय-कर की कितनी राशि लेनी बाकी है जिससे वसूल करने के लिये अभी तक कार्यवाही चल रही है।

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 20 वर्ष का लम्बा समय बीत जाने के बाद इन बकाया राशियों को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो कानून के अन्तर्गत इस प्रकार की वसूली कार्यवाहियों का औचित्य-आधार क्या है और वसूली-कार्यवाही में इतना अधिक विलम्ब का क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास निगम को दी जाने वाली बकाया राशि

3621. **श्री नंजा गौडर :** **श्री मुरासोली मरन :**
श्री किरुतिनन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास निगम से केन्द्रीय सरकार के विभागों से 1954-55 से 22 लाख 58 हजार रुपये की बकाया राशि लेनी है ; और

(ख) यदि हां, तो इतने समय तक नगर-कर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जापान की जनसंख्या में कमी के सन्दर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन

3622. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जापान के कल्याण मंत्रालय के जनांकिकीय अनुसन्धान संस्था द्वारा हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि संतति निग्रह के कारण जापान की जनसंख्या में वृद्धि में कमी हो गई है और उसके हानिकारक परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में उस संस्था के प्रतिवेदन की उपत्तियों का अध्ययन करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं । सरकार को इस रिपोर्ट की अभी तक कोई प्रति नहीं मिली है ।

(ख) रिपोर्ट के मिलने पर सरकार निश्चय ही उस पर विचार करेगी ।

जबरन नसबन्दी आपरेशन

3623. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : **श्री समर गुह** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 15 वर्ष के लड़के 'बबलू ड' का जबरन नसबन्दी आपरेशन किया गया था ;

(ख) क्या राज्य स्वास्थ्य विभाग को मालूम हुआ है कि इसी प्रकार के कई आपरेशन किए गए हैं तथा कुछ मामलों में लड़के नवविवाहित थे ;

(ग) क्या यह सच है कि जब उपरोक्त लड़के को नस ठीक करने के लिए अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में उसको बता दिया गया है कि उसकी नस अब ठीक नहीं हो सकती है ; और

(घ) लोगों का जीवन इस प्रकार बरबाद होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) और (ख) राज्य सरकार से इस मामले में पूरे तथ्य मांगे गये हैं। सूचना प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में नसबन्दी आपरेशन कार्यक्रम स्वेच्छा पर आधारित है ।

(ग) नस को फिर से जोड़ने का कार्यक्रम देश में 28 केन्द्रों में आयोजित किया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को पहले ही सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

बम्बई में हृदय प्रतिरोपण अपारेशन

3624. **श्री स० कु० तापाड़िया :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के एक अस्पताल में हाल ही में हृदय प्रतिरोपण आपरेशन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त आपरेशन में सफलता मिल गयी थी ; और

(ग) क्या सरकार अग्रतर अनुसंधान के लिये तुरन्त अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बू० सू० मूर्ति) :

(क) जी, हां।

(ख) प्रतिरोपित-हृदय ने केवल तीन घण्टे ही कार्य किया और रोगी की मृत्यु खराब फेफड़े के कारण हुई।

(ग) जिस सर्जन ने यह आपरेशन किया है, हृदय शल्य चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् उसे आर्थिक मदद दे रही थी। इन अनुसंधान योजनाओं के लिए उन्हें निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं –

1965-66	21,810 रुपये
1966-67	21,625 रुपये
1967-68	23,185 रुपये
1968-69	14,950 रुपये

इस सर्जन से प्राप्त प्रस्तावों की उपयोगिता के आधार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है।

Allotment of Quarters to employees who own their houses

3625. **Shri Chandra Shekhar Singh :** **Shri S. C. Samanta:**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government allots accommodation to such employees also who own houses in their own names or in the names of their dependents ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the year of appointment of such employees of different categrories to whom Government so far allotted accommodation ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) :

(a) (b) and (c) In accordance with the provisions contained in the existing Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, the Government servants owning houses are eligible for allotment of residential accommodation from the general pool on payment of normal rent as applicable to Government servants who do not own their houses. No statistical data is maintained by the Directorate of Estates in regard to the year of appointment of

such Government employees owning houses and allotted Government residential accommod ation.

Allocation of Funds for urban and Rural House Building Schemes in States during 1967-68.

3626. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount given by the Central Government to each State during 1967-68 under the house-building schemes ;

(b) the percentage of this amount allotted under the scheme for urban and rural areas respectively ; and

(c) the group income of persons covered by the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) A statement showing the allocation of central assistance to States is attached. **[Placed in Library. See. No. L. T. 427/68].**

(b) Approximately 90% and 10% respectively.

(c) Out of the 9 Social Housing Schemes administered by this Ministry, income limits for beneficiaries havebeen fixed for the following schemes only :

1.	Integrated Subsidised Housing Scheme for		
	(i) Industrial Workers. ..	Not exceeding	Rs.350 p.m.
	(ii) Economically Weaker Sections of community.	,, ,,	Rs.250 p.m.
2.	Low Income Group Housing Scheme ..	,, ,,	Rs.500 p.m. (proposed to be enhanced to Rs. 600 p.m.).
3.	Slum Clearnace Scheme (Since transferred to Ministry of Health, Family Planning and Urban Development with effect from the 12th February, 1968).	,, ,,	Rs.250 p.m.
4.	Middle Income Group Housing Scheme.	More than but not exceeding	Rs.600 p.m. Rs.1,250 p.m.

No income limit has been prescribed for the beneficiaries under the remaining 5 Schemes viz. (1)Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers, (2)Village Housing Projects Scheme, (3) Land Acquisition and Development Scheme, (4) Rental Housing Scheme for State Government Employees and(5) Jhuggi and Jhopri Scheme (for Delhi only) these are mainly intended for the persons in the lower income group.

Accommodation for Working Girls in Delhi

3627. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of working girls in Delhi ;

(b) whether Government have made arrangements for their accommodation ; and

(c) if so, the number of girls accommodated therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a), (b) and (c) The general pool accommodation in Delhi/New Delhi is for allotment

to eligible Government employees both male and female. No application areinvited for allotment of accommodation to the working girls in general and no satistical data is available with the Government to indicate the number of working girls in Delhi. The Working Girls Hotel having 183 seats is under the control of the Directorate of Estates which is open for both Government employees and girls employed in private organistions. In the general pool, lady officers pool for unmarried officers has been constitued which comprises 495 residential units. 663 eligible lady officers have also been allotted general pool accommodation in Delhi/New Delhi in their turn.

तेल की खोज

3628. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में तेल की खोज सम्बन्धी योजनाओं को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किन-किन राज्यों को शामिल किया गया है और यह कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1966-67 में तेल के लिये देश के विभिन्न भागों में किये गये छिद्रण-कार्यों में कितनी सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया): (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विभिन्न राज्यों में 1967-68 के क्षेत्रीय काल के लिये भूगर्भीय तथा भूभौतिकी सर्वेक्षणों के कार्यक्रम और 1968-69 के व्यधन प्रोग्राम का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, नागालैंण्ड, पांडीचरी, त्रिपुरा, असम, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश

मद्रास, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में छिद्रण-कार्य प्रगति पर हैं और 1968-69 में भी जारी रहेंगे।

1968-69 के दौरान जम्मू-काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में भी छिद्रण-कार्य किये जायेंगे। शेष क्षेत्रों में, भूगर्भीय तथा भूभौतिक सर्वेक्षणों से संभाव्य तेल एवं गैस युक्त संरचनाओं के पता लगते ही छिद्रण-कार्य किया जायेगा।

(ग) देश के विभिन्न भागों में छिद्रण-कार्य के फलस्वरूप 1966-67 के दौरान गुजरात राज्य में धोलका, अहमदाबाद, महसाना, काडी की संरचनाओं में तेल पाया गया और गुजरात राज्य के आल्पद, कथना, नवागांव, कलोल और सानन्द संरचनाओं तथा असम की रुद्रसागर एवं लकवा संरचनाओं के तेल और गैस युक्त भागों का चित्रण किया गया।

दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिये मकानों की व्यवस्था

3629. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री देवेन सेन : **श्री रा० रुबआ :**
श्री द० रा० परमार : **श्री श्रीकान्त नायर :**
श्री किकर सिंह : **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में काफी संख्या में श्रमजीवी लड़कियों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं;

(ख) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के बाद करजन रोड के फ्लैटों के अलाटमेंट के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण के अधीन सामान्य पूल का वास स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के पात्र सरकारी कर्मचारियों को एलाट करने के लिए है ; इसलिए सामान्य पूल में रिहायशी मकानों के एलाटमेंट के लिए अपात्र व्यक्तियों/श्रमजीवी लड़कियों आदि से आवेदन-पत्र नहीं मांगे जाते । इस सम्बन्धमें कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि दिल्ली में ऐसी कितनी श्रमजीवी लड़कियां हैं जिन के पास रहने के लिए मकान नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(ग) अंकटाड सम्मेलन के बाद कर्जन रोड होस्टल में उपलब्ध स्थान को किस प्रकार से एलाट किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है । परन्तु ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यह स्थान श्रमजीवी लड़कियों को उपलब्ध हो सकेगा ।

हल्दिया शोधनशाला का मुख्य कार्यालय

3630. **श्रीमती उमा राय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधन शाला का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यालय की स्थापना के लिये नई दिल्ली को चुनने के क्या कारण हैं जो नई दिल्ली को हजारों मील दूर परियोजना को नियंत्रित करेगा ; और

(ग) कार्यालय को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, नहीं । हल्दिया शोधनशाला परियोजना की कार्यान्विति भारतीय तेल निगम लिमिटेड के शोधनशाला प्रभाग को सौंप दी गई है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है । हल्दिया शोधनशाला के प्रधान प्रबन्धक का कार्यालय यथा समय हल्दिया में स्थापित किया जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Scholarship to Scheduled castes and Scheduled Tribes

3631. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes students awarded scholarships at school and college level in Bihar from 1962 to 1968 so far ;

(b) the number of girl students among them ;

(c) the amount given by the Central Government to the Government of Bihar for this purpose by way of grants every year ; and

(d) whether Goverment propose to make any increase in this amount of grant and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b) Information readily available with Department is given below :

Year	Number of students awarded schoolarships		
	Boys	Girls	Total
1963-64	92,513	25,898	1,18,411

(c) Year	Central Grant (Rs. in lakhs)	
	Post-matric	Pre-matric
1965-66	45.71	33.31
1966-67	50.67	17.74

(d) For Scheduled castes and Scheduled Tribes allotments are usually increased from year to year depending on the enrolment.

उर्वरक कारखाने

3632. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफ्था के अतिरिक्त, पुराने तेल-शोधक कारखानों से उपलब्ध होने वाले ईंधन, तेल और भारी शेष बचे पदार्थ (हैवियर रेजिडियम) (एल० एस० एच० एस०) उर्वरक बनाने में वैकल्पिक कच्चे माल का काम दे सकते हैं और इस पर अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या तेल-शोधक कारखाने इन पदार्थों का निपटान करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और सब भारतीय तेल शोधक कारखानों से 1970-71 तक इन एल० एस० एच० एस० पदार्थों की उपलब्धि 25 लाख मीट्रिक टन हो जायेंगी, जब कि तब तक के लिये नाइट्रोजन का उत्पादन लक्ष्य केवल 20 लाख मीट्रिक टन है :

(ग) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने यूरिया बना सकते हैं, जो कम से कम 20 प्रतिशत सस्ता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उर्वरक कारखानों के लिये तरल अमोनिया का आयात करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : जी हाँ। ईधन तेल या एल० एस० एच० एस० पर आधारित संयन्त्र के लिये अपेक्षित पूंजी निवेश नेफ्था पर आधारित संयंत्र के पूंजी निवेश से अधिक है। परिचालन व्यय भी अधिक होगा।

(ख) एल० एप० एच० एस० के निपटान में भारतीय तेल निगम को कुछ अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयों पर काबू पाया जा रहा है। 1970-71 तक एल० एस० एच० एस० के उत्पादन का अनुमान 2 मिलियन मीटरी टन से थोड़ा सा कम है और इसके बड़े भाग से बिजली पैदा करने के लिये इस्तेमाल किये जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जैसा कि 20-2-1968 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में बताया गया है, गुणों को ध्यान में रखते हुये चयनात्मक आधार पर एक मामले में एक सीमित अवधि के लिये तरल अमोनिया के आयात की अनुमति दे दी गई है। अगले 7 या 8 वर्षों के दौरान उर्वरकों की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ऐसा किया गया है।

उर्वरक कारखाने

3633. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित कारखाने में एक ऐसी विधि निकाली गई है, जिससे गंधक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रही है ; और

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन और विकास प्रभाग ने इसी आधार पर अपना अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम ढाल लिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क) जी नहीं ।

(ख) आयोजना एंव विकास प्रभाग ने, गन्धक के इस्तेमाल को बन्द करने के लिए, प्रायोगिक संयन्त्र परीक्षणों द्वारा फ़ास्फोटिक उर्वरकों का उत्पादन हाथ में लिया है।

राजस्थान की माही सिंचाई परियोजना

3634. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि माही सिंचाई परियोजना (राजस्थान) को केन्द्रीय सरकार ने 1958 में अनुमोदित कर दिया था, परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद योजना आयोग ने इसे अपनी स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे स्वीकृत दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) 1958 में स्वीकृत यह परियोजना एक मध्यम सिंचाई स्कीम है और इसकी लागत केवल 308.76 लाख रुपये है। जिस परियोजना पर अब विचार किया जा रहा है उसकी अनुमित लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) माही नदी विकास के अधिकतम हित में यह आवश्यक समझा गया कि जलाशय की संचय क्षमता पहले से बहुत अधिक बढ़ा दी जाए। इसलिए परियोजना को एक व्यपवर्तन स्कीम से बदल कर एक बहुद्देशीय स्कीम बना दिया गया जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है और जिससे राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात को भी लाभ होगा।

अपने वर्तमान रूप में यह परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा बिजली परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी तौर पर स्वीकार कर ली गई है। संसाधनों की कमी के कारण परियोजना अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।

मनीपुर के कर्मचारियों को भत्ता

3635. **श्री मेघचन्द्र**: क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मनीपुर की सरकार से इस आशय की प्रार्थना प्राप्त हुई है कि यहाँ के उपचर्या कर्मचारियों (नर्सिंगस्टाफ) तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन-भत्ता, वर्दी-भत्ता, धोबी-भत्ता मंजूर किया जाये, क्योंकि आसाम में उन समान कर्मचारियों को अब ये भत्ते मिलते हैं, और पहले भी उन्हें ये सब भत्ते मिलते थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बू० सू० मूर्ति): (क) और (ख) मणिपुर सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण मृत्यु

3636. **श्री देवेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में बाढ़ के कारण दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग मरे ;

(ख) क्या सरकार ने बाढ़ के कारणों के बारे में कोई अन्वेषण किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उत्तर प्रदेश में 230 और दिल्ली में 9।

(ख) तथा (ग) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की अन्तर्राज्यीय निकास प्रणालियों से सेवित क्षेत्रों में 1967 की बाढ़-स्थिति की राज्यों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा और फिर सम्बन्धित राज्यों के मंत्रियों द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई और उज्जैना-पहाड़ी कामन-गोवर्धन नाले के सुधार, गौंची नाले के सुधार, साहिबी नदी बांध के निर्माण, नजफगढ़ और मगेशपुर नालियों के सुधार से सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया।

सिंचाई व बिजली मंत्रालय के एक सलाहकार को भी दिल्ली में बाढ़-नियन्त्रण कार्यों के विस्तृत अध्ययन करने तथा आवश्यक अतिरिक्त उपायों को सुझाने के लिये कहा गया है। उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

चितौनी समिति ने 1967 की बाढ़ों में गंडक नदी के साथ-साथ के सुरक्षा कार्यों की कार्यशीलता की जांच की थी तथा यह सुझाव दिया था कि इस पर और कार्यवाही की जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नानक सागर बांध के टूटने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पंजाब में संवैधानिक संकट

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्दपाल) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"विधान-सभा के अकस्मात स्थगन से पंजाब में उत्पन्न संवैधानिक संकट"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यश्वन्तराव चव्हाण) : हमें राज्य सरकार से यह पता लगा है कि पंजाब विधान-सभा के अध्यक्ष ने विधान-सभा के चालू बजट अधिवेशन को 7 मार्च 1968 को दो मास के लिए स्थगित कर दिया है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। उसके पश्चात अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया है। यह भी पता लगा है कि अध्यक्ष ने अविश्वास के दो प्रस्तावों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके पश्चात् प्रस को दिये गए एक वक्तव्य में अध्यक्ष ने सभा को स्थगित करने के कारणों की व्याख्या की है। सभा को स्थगित करने के अध्यक्ष के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में पंजाब के राज्यपाल तथा राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि कोई मार्ग निकालना सम्भव होगा जिससे विधान-सभा अपनी अविलम्बनीय वित्तीय कार्य कर सके।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : पंजाब विधान-सभा के अध्यक्ष ने झूठे और असम्बधित आधारों पर सभा को स्थगित किया है जबकि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका था। वह अपने साथी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष से भी आगे निकल गए हैं। इस बात को देखते हुए कि पिछले दिसम्बर में उन्होंने पश्चिमी बंगाल के उदाहरण को दोहराने से इन्कार कर दिया था, उनकी वर्तमान कार्यवाही से दूना दुख हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने विरोधी दलों की साठगाँठ से यह कार्य करने का निर्णय पहले से ही किया हुआ था। यह बात संत फतेह सिंह तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गुरनाम सिंह के वक्तव्यों से भी स्पष्ट हो जाती है। अध्यक्ष का यह अलोकतंत्रीय रवैया लोकतंत्र को चुनौती है। सभा को स्थगित करने की यह कार्यवाही बजट अधिवेशन के अवसर पर की गई है जबकि बजट पास किया जाना है। क्या यह सरकार सभा को आश्वासन देगी कि पंजाब के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा और अध्यक्ष के इस अलोकतंत्रीय रवैये के कारण विधान-सभा

के सामान्य कार्य में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी ? क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 365 का सहारा लेकर विधान-सभा को स्थगित करेगी और मंत्रालय के लोकतंत्रीय कार्य-संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: पंजाब विधान-सभा में जो कुछ हुआ है इस पर सरकार अपना मत व्यक्त नहीं करना चाहती। मैं कोई आश्वासन नहीं देना चाहता क्योंकि राज्य सरकार तथा राज्यपाल कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : जब पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष ने सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया था तो सरकार ने कोई तुरन्त कार्यवाही नहीं की थी। सरकार के नये रवैये के कारण मेरे विचार में प्रत्येक अध्यक्ष उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को टालने के लिए सभा को स्थगित करने में अधिक रुचिकर है। क्या सरकार सभा के सत्र को बुला कर और उपाध्यक्ष को पीठासीन होने को कह कर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को पास करने की अनुमति देगी ? क्या सरकार राज्यपाल को अध्यक्ष को बर्खास्त करने को कहेगी और यदि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार अध्यक्ष को बर्खास्त करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं जो कुछ कह चुका हूँ इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री द० रा० परमार (पाटन) : क्या सरकार कुछ ऐसा संवैधानिक उपाय करने को तैयार है जिससे अध्यक्षों तथा विरोधी दलों द्वारा बाधायें डालने वाली तथा गैर-संसदीय गतिविधियों को रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस समस्या के कुछ संवैधानिक तथा कानूनी पहलू हैं। पंजाब सरकार के सलाहकार दिल्ली में हैं और उन्होंने कुछ पहलुओं पर चर्चा भी की है। इससे अधिक जानकारी मेरे पास नहीं है।

***श्री किंकर सिंह** (भटिंडा) : पंजाब की समस्या पश्चिमी बंगाल जैसी ही है, अतः पंजाब में मध्यावधि चुनाव कराने के आदेश दिये जाने चाहिए। पंजाब विधान-सभा के अध्यक्ष ने ठीक कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है। अतः मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। परन्तु ऐसा दलों के नेताओं से परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा।

श्री कन्डप्पन (मठूर) : इससे पूर्व कि इस मामले पर चर्चा की जाये हम केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली): इस मामले पर अलग से चर्चा करने के लिए आप जो

*मूल पंजाबी के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

†From English translation of the speech delivered in Punjabi.

सहमत हो गए हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब गृह-कार्य मंत्री यह कहते हैं कि वह राज्यपाल को परामर्श देने वाले कौन होते हैं तो संविधान की दृष्टि से तो वह ठीक हैं। परन्तु सभी जानते हैं कि कौन किसको परामर्श देता है और कौन उस परामर्श पर कार्य करता है ? अतः उनको राज्यपाल को परामर्श देना चाहिए कि वह पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप न करें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्यपाल ने कल स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि वह विभिन्न राजनैतिक पहलुओं पर विचार नहीं कर रहे हैं। परन्तु वह समस्या के संवैधानिक पहलू पर अवश्य विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर दो घंटे चर्चा की अनुमति दे दी है।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : I rise on a point of order. I want to draw your attention to part 'C' of Article 179 of the Constitution. I want to know whether 14 days' clear notice was given for moving the resolution? But if you have admitted it then, of course, I cannot challange your authority.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अधिकार है अथवा नहीं परन्तु कुछ घटनायें हुई हैं और मैंने इनको स्वीकार कर लिया है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I would like to request that the Central Government should not take any decision before the matter is discussed here.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : The reality is quite different than what has appeared in the papers.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में और अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। यथा-सम्भव शीघ्र हम कोई समय निर्धारित करेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार भी इस मामले में सहायता करेगी। अब आगे की कार्यवाही आरम्भ होती है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): I rise on a point of Order. I would like to know whether the speaker of the Punjab Assembly has taken a right stand as a member of the House ? I want your ruling in the matter.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। हम पहले ही अगली मद पर जा चुके हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं (1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी सामान्य 24वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 403 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 25वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 404 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 26वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 मार्च 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 405 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 27 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 406 में प्रकाशित हुए थे ।

(पाँच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 28वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 407 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी० 405/68]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) जी० एस० आर० 365 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 366 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 390/68]**

इंजीनियरो इंडिया लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार की समीक्षा

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह): मैं श्री रघुरामैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :–

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966–67 के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 406/68]

पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में जारी किए गए अध्यादेश

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री विद्याचरण

शुल्क की ओर से पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 20 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तगर्त निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) न्यायालय शुल्क (पश्चिमी बंगाल संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल आध्यादेश संख्या IV) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 6 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) पश्चिमी बंगाल न्यायियक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथकरण अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या VII) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 25 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 407/68]

भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति): मैं भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2369 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० को० 2405 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1793/67]

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

दूसरा प्रतिवेदन

श्री राणे (बुलदाना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

दक्षिण-मध्य रेलवे रेल-दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : RAILWAY ACCIDENT ON THE SOUTH CENTRAL RAILWAY

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमला घोष) : श्रीमान्, 9-3-1968 को

प्रातः लगभग 03.00 बजे जब कि 44 अप काकिनाडा-मद्रास सिरकार एक्सप्रैस दक्षिण मध्य रेलवे के वेंकटचलम तथा मनुबोलु रेलवे स्टेशनों के बीच चल रही थी तब वह 153/2.3 किलोमीटर पर चौकीदार वाले फाटक संख्या 105 पर एक पयर्टक बस से टकरा गई जिसका नम्बर ए० पी० के 9063 था। इस दुर्घटना के फलस्वरूप बस पूरी तरह नष्ट हो गई।

इस दुर्घटना में बस में यात्रा करने वालों में से 7 व्यक्ति मारे गए थे तथा 47 व्यक्ति घायल हुए थे। घायलों में से दो व्यक्ति अस्पताल जाते समय मार्ग में ही मर गए थे और अन्य तीन की मृत्यु अस्पताल में दाखिल हो जाने के पश्चात हुई थी। इस प्रकार मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, शेष 42 घायल व्यक्तियों में से सात व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई हैं।

सूचना प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात बिट्रगुंटा के डिवीजनल मेडिकल आफिसर चिकित्सा-यान में दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़े थे। मद्रास और गुडूर से चिकित्सा सहायता गाड़ियों को रेलवे तथा गैर-सरकारी डाक्टरों के साथ तुरन्त भेजा गया था। घायल व्यक्तियों को नेल्लूर तथा गुडूर के अस्पतालों में दाखिल करने के लिये विशेष रूप से मंगाई गई लारियों में भेजा गया। तेरह व्यक्तियों को जिसमें से चार को गम्भीर चोंटे आई हैं नेल्लूर अस्पताल में तथा चौदह व्यक्तियों को जिनमें से तीन को गम्भीर चोटें आई हैं गुडूर अस्पताल में हैं। शेष व्यक्तियों को छूट्टी दे दी गई है।

दक्षिण-मध्य रेलवे के मुख्य संचालन अधिक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सड़क के रास्ते घटनास्थल की ओर चल पड़े हैं।

घायलों तथा मृत व्यक्तियों को निकटतम सम्बन्धियों के लिए अनुग्रह भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है।

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जाँच करवाने का आदेश दे दिया गया है जो कि 12 मार्च, 1968 को आरम्भ होगी। दुर्घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है।

सामान्य बजट-सामान्य चर्चा-जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य बजट पर आगे चर्चा की जाएगी जिसके लिए 20 घंटे का समय रखा गया है।

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : No country can make progress while depending on agriculture alone. Industrialisation is essential for progress. Maintaining law and Order is essential for industrialisation. But unfortunately industrial unrest is prevailing throughout the country. We should do something to ensure industrial peace.

Now the question is whether we should have big or small industries. In this connection I would like to say that we are faced with the unemployment problem and this can be solved only though small scale industries. But I am also not in favour of imposing any restriction on the setting up of the large scale industries. Some well-planned scheme should

be made for establishing small scale industries especially on the co-operative basis. We can learn much in this direction from Germany and Japan.

Today the country needs tractors and not motor cars. So one should pay more attention on the setting up of tractor factories so that tractors can be made available to the farmers at cheep rates.

I would also appeal the hon. Finance Minister not to raise the price of posteard by more than two paise.

I feel that there is a scope for effecting economy in the Government expenditure . We can effect economy in the execution of big projects as well as in the administrative expenditure.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Due to the wrong policies of the Congress Government the economy of the country is deteriorating. Now the question is whether there will be some improvement in the situation due to the present budget.

Prices are rising. There is an adverse balance of trade. Our export is decreasing. In view of these circumstaces the routine type of budget cannot deliver the goods. Some people may say that it s a good budget as some concessions have been given in it but I feel that there will be no basic change as is needed in the present economic situation. Last the hon. Finance Minister made a solemn promise not to resort to deficit financing. But inspite of that solemn promise he has brought a deficiet budget. Defecit fianacing to the tune of 290 crores of rupees was resorted last year and this year will have to do deficit financing of 300 crores fo rupees. So this deficit financing couplied with that of last year, while comes to the tune of 590 cores of rupees will have its adverse effect on the common man who is already groaning under high prices. Deficit fanancing has definitely hit the country's economy hard.

Government can argue that this is an only alternative to higher taxation. But I feet that deficit financing will result in rise in prices and consequently increase in the poor man's sufferings.

Congress party is responsible for the creation of food zones and now there are many offshoots of this problem. Foods zones have become hunting ground of corrupt politicians and bureaucrats do not want to abolish them. Consequently common man is suffering. I would, therefore, suggest that Government should take steps to abolish these food zones.

Nearly Rs.35,000 crores have been spent since the achievement of independence but even today there are 10 crores of people in the country who cannot make their both ends meet. They are under-nourished and ill-clad. The speed of development is very slow. The tenure of the present Government is still four years and they should chalk out a phased programme. The Government should provide enough food and make arrangements for drinking water during the first two years. Arrangement should be made for enough clothing for all during the third year and housing for all during the fourth year. In case Government cannot provide these basic amenities it should resign. Government should adopt dynamic approach towards these basic problems.

So far as the question of funds are concerned, I would suggest that Government should run the public undertakings more efficiently. About Rs.2,400 crores have been invested in this sector. There is alround nepotism nd corruption in these undertakings. If the machinery of these undertakings is tightened, public undertakings can definitely make 10 percent profit. If we run the public sector efficiently we can save Rs.300 crores. Again, if machinery for realisation of taxes is tightened, the arrears to the tune of Rs.500 crores would be recovered and in addition Government can earn another amount of Rs.150 crores in the form of incom-tax.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Kanwar Lal Gupta : It may be pointed out that development expenditure has been increased to 30 percent whereas non-development expenditure has been increased to 50 percent. I would therefore suggest that non-development expenditure should be reduced. Administrative expenditure has also multiplied. Bharat Sewak Samaj, Bharat Sadhu Samaj and Community Development are nothing but political luxuries and therefore these organisations should be wound up. In order to reduce the expenditure, number of Ministers should be reduced from 60 to 30. We should not waste huge amounts on Nehru Exhibition etc. Similarly if we tighten the machinery of Excise and Customs we can save Rs.50 crores. But the trouble is that there is no definite policy and every Minister has his own approach towards different problems. Today we do not know our goal and we do not know the direction in which the country is going.

The increase in the price of postcard is unwarranted and this budget is an anti-people budget. I would suggest that saving accrued as a result of economy measures suggested above, should be utilised for minor irrigation agricultural implements, seed and fertilizers. Government should also make arrangements for subsidized food to labourers and poor sections of society and provide housing facilities to the labourers.

The Government is aware of the fact that there is an in flow of foreign capital in our country. It was admitted by the hon'ble Home Miniser that during last general election foreign money has been used by certain political parties. The inflow of foreign capital in our country is a very dangerous thing. A high-powered commission should be constitued to enqiure into the fact as to which party has secured foreign capital otherwise the defence and security of our country will be in danger. The Peace corp volunteers, technicians, educationists of America and foreign experts indulge in spying. Moreover C. I. A. is very active. We have to check the increasing influence of America in our country which is spreading like poison.Similarly "Patriot" daily and " Link" magazine are reported to have received Soviet money to the tune of Rs.50 lakhs.

"The Patriot" and "Link" have been runing at a loss of Rs.15 lakh per annum and inspite of this loss, the number of shareholders is increasing. In the beginning Aruna Asaf Ali had shares worth Rs.2 lakhs but now these shares worth Rs.7 lakhs are standing in her name.

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा का प्रस्तुत विषय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । आरोप प्रत्यारोप लगना उचित नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to say that inflow of foreign capital should be checked.

श्री न० कु० साल्वे (बतूल) : जहाँ तक अनुपस्थित व्यक्तियों पर आरोप लगाने का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में या तो माननीय सदस्य के पास प्रमाण होना चाहिए या उन्हें पहले

सूचना देनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उनके विरुद्ध आरोप लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाना अनुचित है जो अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta : I can give concrete facts in support of the allegations made by me. Though no one is importing Russian paper, we can still purchase it from the market. The Government should enquire as to how this Russian paper is being sold here and who is importing it ? I want to say that allgations made by me should be enquired into and the guilty persons should be punished. We should not depend on any foreign power and we should not compromise our prestige for the sake of foreign assistance. Our politics and polices should not be influenced by foreign countries at any cost.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : वित्त मंत्री ने औद्योगिक मंदी, बढ़ते हुए घाटे, बेरोजगारी तथा अन्य आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रख कर यह बजट तैयार किया है। वित्त मंत्री के सामने दो मार्ग थे।

एक मार्ग यह था कि कुछ क्रांतिकारी कार्यवाही करके नया मार्ग प्रशस्त किया जाता या दूसरा मार्ग यह था कि वर्तमान नीति को ही वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बना लिया जाता। आमूल परिवर्तन के स्थान पर उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाना उचित समझा।

वित्त मंत्री औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाने में सफल रहे हैं। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने लाभांश कर को समाप्त कर दिया और अतिकर में कमी कर दी है।

अब खाद्य उत्पादन के महत्व को समझा जा रहा है। मंत्री महोदय ने बताया है कि खाद और सिंचाई की स्थिति में सुधार करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। फिर निर्यात में वृद्धि करने के लिए भी उन्होंने कार्यवाही की। इस दृष्टि से यह बजट बहुत अच्छा है और हम उसका समर्थन करते हैं।

बजट को संतुलित रूप में प्रस्तुत करना वित्त मंत्री की दूसरी समस्या थी। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अत्याधिक कर नहीं लगाये। डाक की दरों में वृद्धि करने का कारण यह बताया गया है कि 22 करोड़ रुपये का घाटा था और अन्य देशों की अपेक्षा हमारी डाक दरें कम हैं। परन्तु डाक दरों को तुलना करते हुए हमें उन देशों में प्रति व्यक्ति आय तथा उनकी आर्थिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे देश की परिस्थितियों में पोस्ट कार्ड की दर बढ़ाना गरीब लोगों पर कर लगाने के बराबर है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करती हूँ कि वह इस सम्बन्ध में फिर से विचार करें। डाक विभाग में 22 करोड़ रुपये का घाटा सुनकर मैं चकित रह गयी हूँ। फिर भी और अधिक सावधानी बरत कर इस घाटे को पूरा किया जा सकता है और इससे इस अतिरिक्त आय के लिए गरीब जनता पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं होगी।

हम सबको यह पता है कि वित्त मंत्री की घाटे के बजट प्रस्तुत करने में रुचि नहीं है। फिर भी वह 290 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में मेरा

सुझाव यह है कि इस 4000 करोड़ रुपये के बजट में यदि एक या दो प्रतिशत बचत की जाती तो निश्चय कुछ सीमा तक इस घाटे को पूरा किया जा सकता था। हमारे विभागों में काफी फजूलखर्ची होती है। जैसे सब विभागों में मोटर गाड़ियाँ दी हुई हैं उनका निश्चय ही दुरुपयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में काफी मितव्ययता की जा सकती है। इस प्रकार अन्य कई विषयों में भी मितव्ययता की जा सकती है। यदि वित्त मंत्री इस ओर पूरा ध्यान दें तो निश्चय ही यह कार्य सम्भव हो सकता है।

इन 20 वर्षों में हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था का सुधार करने के लिए भारी प्रयत्न किये हैं। इसलिए अब हमें अपने लाभ और हानि का मूल्यांकन करना चाहिए। यह ठीक है कि इस अवधि में काफी विकास भी किया है परन्तु इसके बावजूद हमारी स्थिति काफी बिगड़ रही है। इस स्थिति के सम्बन्ध में जानता काफी चिन्तित है। इसलिए हम सबको मिल कर इस विषय पर विचार करना चाहिए कि देश को इस दलदल से कैसे निकाला जा सकता है?

भारी मंदी का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी हो गयी है। वर्ष 1960 में प्रगति की दर 8 प्रतिशत थी जो 1965 में घट कर 5.6 प्रतिशत, 1966 में 2.6 प्रतिशत और 1967 में तो 1.4 प्रतिशत ही रह गई है। यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है क्योंकि प्रगति की दर बढ़ाने के स्थान पर घटने लगी है।

कुछ वर्ष पहले रुपये का अवमूल्यन इसलिए किया गया था क्यों कि उस समय मूल्य बहुत अधिक थे, घाटे की अर्थव्यवस्था थी और आयात के लिए हमें राज सहायता देनी पड़ती थी। परन्तु अब फिर वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। इसलिये क्या रुपये का पुनः अवमूल्यन करने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं तो हमने उस से बचने के लिए क्या कार्यवाही की है? वास्तव में हमने अवमूल्यन के बाद की अनुगामी कार्यवाही नहीं की और इसी लिए अवमूल्यन का हमें कोई लाभ नहीं हुआ। अवमूल्यन से न आयात में कमी हुई और न ही निर्यात में वृद्धि हुई है।

इंग्लैंड ने भी अवमूल्यन किया था। उन्होंने संसार के विभिन्न भागों से सेना हटा ली और स्वयं लेबर सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य योजनाओं को समाप्त कर दिया। लेबर सरकार को इस कार्यवाही से हानि होगी परन्तु वह इस बात से भी नहीं घबराये। परन्तु हमने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की।

हमारे देश में मुद्रास्फीति का रोग बड़ा पुराना है। वस्तुओं की लागत बढ़ रही है। हमें मूल्यों की वृद्धि को रोकना चाहिए। हमारे उद्योगों में उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। इसलिए हमें औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लागत ढांचे पर विचार करना चाहिए और अनावश्यक व्यय को रोकना चाहिए। इस रोग का और कोई इलाज नहीं है। हमारे सरकारी क्षेत्रों के कारखानों बेकार क्षमता पड़ी है। इस समय इस्पात के कारखानों की 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इस हद तक हमारी पूंजी भी बेकार पड़ी है। जब

तक हमारे कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता तब तक मूल्यों में कमी नहीं हो सकती। इसलिए हमें बड़ी-बड़ी योजनाएँ न बना कर हमें मध्य दर्जे की योजनाएँ बनानी चाहिए जिनसे शीघ्र लाभ हो सके।

आज मजदूरों में असंतोष है। मैं चाहती हूँ कि मजदूरों को प्रोत्साहन दिया जाए परन्तु हमें ऐसे तरीके भी ढूंढने चाहिए जिनसे मजदूर अधिक से अधिक काम करें। अब परिवहन और ईंधन की लागत में वृद्धि कर दी गई है और उसका प्रभाव उत्पादन की लागत पर पड़ा है। ऋण देने की नीति भी कुछ हद तक गलत है। हम छिपे धन पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहे हैं।

जहाँ तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, सशर्त सहायता का अर्थ सहायता नहीं है। हमें विदेशी बाजारों में सस्ते मूल्यों पर वस्तुएँ खरीदने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमें अधिक मूल्य देना पड़ता है जिसका प्रभाव हमारी उत्पादन लागत पर पड़ता है। तकनीकी जानकारी के लिए भी हमें काफी धन खर्च करना पड़ता है।

हमारा ऋण बहुत बढ़ गया है। तीसरी योजना के पिछले पाँच वर्षों में हमें विदेशों को ब्याज और पूंजी की अदायगी के रूप में 573 करोड़ रुपए देने थे। चौथी योजना में ऋण की राशि बढ़ कर 1450 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश का विकास कैसे होगा? कहा गया है कि वर्ष 1975 तक ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि हमें जितनी सहायता मिलेगी उतना ही ऋण चुकता करना होगा। इस समस्या का समाधान रुपयों के स्थान पर माल दे कर हो सकता है।

भारत में हर दूसरा वर्ष खाद्योत्पादन की दृष्टि से खराब रहता है, यदि अगला वर्ष खराब रहा तो बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें कृषि उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता फैल रही है। इसका कारण यह है कि विद्यार्थियों को अपने भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है। उनमें असंतोष होने के कारण अराजकता की स्थिति पैदा होती है। निश्चय ही शान्ति और कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है जिसके कारण हमारे पड़ोसी देश हमें धमकियाँ देते रहते हैं। पिछले सामान्य चुनावों के बाद जो स्थिति सामने आई है उससे पता चलता है कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक सिद्धांत और परम्पराओं का अनादर कर रहे हैं। मुझे आशा थी कि हमारे वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए हमारी नीतियों को नयी दिशा प्रदान करेंगे। हमारे देश में विघटनकारी शक्तियां, अराजकता, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी भी है। ऐसी अवस्था में हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमारा पथ-प्रदर्शन कर सके? और नीतियों को दृढ़ता से क्रियान्वित कर सके। इस संकट की स्थिति में हमें कुछ अप्रिय निर्णय भी करने होंगे और उन्हें ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करना होगा।

यह बजट अच्छा है परन्तु स्थिति बहुत पेचीदा है और हम नीति निर्धारण के संबंध में सही दिशा की आशा करते हैं।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Our country is suffering from two diseases viz. recession and inflation. When the question of giving enhanced emoluments to the salaried class arises, it is argued that there would be inflation andwhen Government wants to assist the captalists, they take the plea of recession. In fact goods are in shortage whereas money is more and the result is that prices are rising. On the other hand it is said that goods are in abundance but there is shortage of consumers and purchasing power has been reduced. The result is that there is recession, about 400 factories have been closed and 4 lakh people have become unemployed. But these are the statics of capitalists. Had the position stated above been correct, the prices would have fallen but the prices are till rising and therefore the position is contradictory.

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

The real trouble is that a few groups of capitalists have monopolised the entire economic activity of the country. As a result thereof no new factory can come up. Even our Government cannot go against the wishes of the capitalists.People are imvesting money for purchasing lands because they know they cannot stand before the capitalists who have complete control over entire economy.

The capitalists are so powerful that they do not allow anybody else to enter in their fields of production. They have become so powerful that even the Government does not dare to go against their wishes.In fact these people have full control over the prices. They can increase and decrease the prices the moment they like. Ordinary people are not interested in the productive activity because they know that they canot exist in the face of tough competition.

The present budget appears to be against the development of the Country. It is anti-planning also.

This budget has been prepared on the instructions of the World Bank.

Last year the provision for the Planning was Rs.1,172 crore rupees whereas this year it is 1,179—an increase of only Rs.7 crores though there has been 14 percent increase in the dearness. In the budget there is a provision to give relief to the extent of Rs.85 crores to the monopolists. On the other hand additional taxes of Rs.81 crores have be levied on the poeple. In fact it is a capitalist's and monopolist's budget.

If the Government does not take the control of Banks it will not be possible to control the prices.

Three-four the four population lives in the villages and their means of livelihood is mainly agriculture. It is, therefore, necessary that more and more facilities should be given to them so that the production can increase. Farmer should be given irrigation facilities. There is hardly any sufficient provision in the budget for agriculture. Today slogan of socialism is meant only to decieve the people. In fact the country is going towards capitalism. Therefore the budget should not be accepted.

श्री न० कृ० साल्वे : इस वर्ष प्रस्तुत बजट कम आवास्तविक अधिक व्यापारिक तथा अधिक क्रियाशील है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्तीय विशेषज्ञों ने विशेष रूप से अध्ययन किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विकासशील देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये घाटे की वित्त व्यवस्था उसी तरह आवश्यक है जिस तरह मानव के लिये नमक आवश्यक है। कुछ सीमा तक इसका होना आवश्यक है। लेकिन एक खास सीमा से अधिक होने

पर यह खतरनाक हो सकता है। यदि घाटा 200 करोड़ रुपये तक सीमित रखा जाये तो इसमें संदेह नहीं कि घाटे की वित्त व्यवस्था के बावजूद इससे हमारी सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का विकास होगा।

स्वतन्त्रता के बाद पिछले दो वर्ष हमारे लिये बहुत संकटपूर्ण थे। एक ओर तो मुद्रास्फीति का दबाव था और दूसरी ओर समाप्त न होने वाली मंदी का दबाव था। अब प्रश्न यह है कि क्या योजना पर खर्च करने से ही अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है या अतिरिक्त करों अथवा उचित घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा इस सम्बन्ध में सुधार किया जा सकता है। वित्त मंत्री द्वारा दूसरा तरीका अपनाया गया है।

बजट के प्रस्तावों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के अतिरिक्त कर के कुछ लक्षण और गुण हैं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होगी और रुपये की क्रय शक्ति में ह्रास होगा। प्रश्न यह उठता है कि योजना के लिये धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाये। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का यह निर्णय उचित प्रतीत होता है कि घाटे से हमारी अर्थ-व्यवस्था के सुधार पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले वर्ष खरीफ और इस वर्ष रबी की फसल अच्छी होने से औद्योगिक विकास के लक्षण नजर आते हैं। ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि अप्रत्यक्ष करों का बोझ अधिकतम 290 करोड़ रुपये तक सीमित रहा तो जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और अर्थ-व्यवस्था को भी गति मिलेगी।

सरकारी उपक्रमों के संचालन के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है और उसके विरुद्ध सब तरह के आरोप लगाये गये हैं। बोकारो इस्पात कारखाने के लिये 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने पर, जब कि इस वर्ष घाटे की व्यवस्था है, वित्त मंत्री की कटु आलोचना की गई है। परन्तु इस प्रकार की आलोचना निरर्थक है। यह भी कहा गया है कि जापान, इटली और फ्रांस की अपेक्षा बोकारो परियोजना की प्रति एकड़ लागत लगभग तिगुनी है। यह अन्तर बहुत अधिक है। अतः यह आवश्यक है कि बोकारो में लागत कम करने के लिये सरकार कदम उठाये।

यह सच है कि सरकारी उपक्रमों को केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जा सकता। कई बार संयंत्र की प्रकृति और दायित्व के कारण इसके तैयार होने में गैर-सरकारी उपक्रम की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अतः केवल इस आधार पर सरकारी उपक्रमों की निन्दा करना अनुचित है कि इससे इतना लाभ नहीं होता जितना वाणिज्यिक उपक्रमों से होता है।

हमारे देश में सबसे सस्ता इस्पात का निर्माण होता है। लेकिन आज यह इस्पात बहुत मंहगा है। इसका मुख्य कारण हमारा समय के साथ तकनीकी विकास न करना है।

अब टिकटों की दरें बढ़ाये जाने के लिये वित्त मंत्री की बड़ी आलोचना की जा रही है। इसके बारे में मुझे वित्त मंत्री से पूर्ण सहानुभूति है। डाक सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिये। प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट के आधार पर डाक की दरें बढ़ाई गई हैं। इन वर्षों में इस विभाग को घाटा रहा है। हमारे डाक विभाग का स्तर और क्षमता बहुत

कम हैं। मुझे डाक दरें बढाये जाने पर आपत्ति नहीं है। लेकिन पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र के दाम इतने नहीं बढ़ाये जाने चाहिये। इस विभाग की कार्यकुशलता में भी सुधार किया जाना आवश्यक है

मिठाई, चाकलेट, कृत्रिम चमड़े थे कपड़े, कसीदे के कपड़े, इस्पात के फर्निचर और क्राउन कार्कों पर नये उत्पादन शुल्क लगाये गये हैं। बच्चों के जेब खर्च से 2.40 करोड़ रुपये लेना उचित नहीं है। आशा है इस सम्बन्ध में राहत हो जायेगी।

उत्पादन शुल्क विधियों तथा नियमों के अनुसार कार्यपालिका वह उत्पादन शुल्क कम कर सकती है जो हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं और उसे लागू करते समय उन सभी दरों पर कर कम कर दिया जाता है जो हम किसी विशेष राष्ट्रीय या शैक्षिणिक मामले के बारे में पास करते हैं। हम चाहे कोई दर पास कर दें लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया जाता। नियमों के अनुसार कार्यपालिका अपने अधिकार से बिल्कुल अलग दर लागू कर देती है। इसकी सूचना भी संसद् को नहीं दी जाती। अतः वित मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि अब आगे जब कभी संसद् द्वारा पास किये गये दर बदले जायेंगे तब सम्बन्धित पत्रों को सभा-पटल पर रखा जायेगा और उसके कारण बताये जायेंगे।

श्री हुमायून कबीर (बसिरहाट) : इस वर्ष वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करते समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। गत दो वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था अस्थिर रही है। अतः ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री द्वारा ऐसे बजट को प्रस्तुत किया जाना जिससे अर्थव्यवस्था चलती रहे, के लिये वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन बजट में वे विशेष उपबन्ध नहीं किये गये हैं जो देश की अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं।

पोस्टकार्ड से डाक विभाग को हमेशा ही हानि हुई है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विभाग का प्रत्येक मद आत्म निर्भर हो और कम खर्च वाला हो। केवल पोस्टकार्ड ही निर्धनों के लिये संचार का सस्ता माध्यम है। अतः पोस्टकार्ड के मूल्यों में वृद्धि करना न्यायोचित नहीं है।

इस समय देश के सामने दो बड़े खतरे हैं। प्रथम राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा आर्थिक अस्थिरता।

देश में अशान्ति और अराजकता फैली हुई है। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह देश के लिये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। जहाँ कहीं भी सरकार सुदृढ़ रही है वहां ऐसी घटनाएं अधिक समय तक नहीं चलीं। यदि सरकार दृढ़तापूर्वक कार्यवाही नहीं करेगी तो यह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकेगी। यदि सरकार इस सम्बन्ध में कोई कठोर कार्यवाही नहीं करेगी जैसे कि मेरठ, रांची या गोहाटी या करीमगंजा या देश के अन्य भागों में हुए दंगों को पुनर्वृति रोकी जा सके तो सरकार अपने कर्तव्य में असफल रहेगी। देश के नागरिक सरकार से सबसे पहले जीवन, सम्पति और सम्मान की सुरक्षा की आशा करता है। ब्रिटिश काल में सबसे कम पदाधिकारियों द्वारा देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखा गया था। उनसे हम कुछ सबक सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार देश के सामने आये संकट के प्रति जागरूक होगी।

किसी हद तक देश के नवयुवकों में फैली विद्रोह की भावना भी इस स्थिति के लिये दोषी है। चाहे उन्हें किन्हीं राजनीतिकों द्वारा ही प्रोत्साहित ही क्यों न किया जाये। इसका एक मात्र कारण उनमें फैली निराशा है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिये कि विद्रोह के राजनीतिक खतरे का और आर्थिक स्थिरता का घनिष्ट सम्बन्ध है। अच्छी आर्थिक स्थिति की आशा बाँधने के लिये विशेष उपाय करने आवश्यक हैं। सर्व प्रथम हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहिये। वास्तव में हमने कृषि की ओर इतना ध्यान नहीं दिया है जितना हमें देना चाहिये। हमारी सारी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर निर्भर है। इसके परिणाम स्वरूप देश पर काफी बोझ पड़ रहा है और जिसे अब दूर करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

देश में भूमि के प्रत्येक एकक उत्पादन बढ़ाने के लिये पूंजी अथवा श्रम के प्रत्येक एकक पर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। भूमि सुधार द्वारा और किसानों को भूमि का स्वामी बनाकर हम खाद्य का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और देश में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत कर सकते हैं।

यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषक को अपने उत्पादों का अपेक्षाकृत अधिक मुल्य प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों और अनाजों के मूल्य कम करने की भी मांग की गई थी। खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रित करने के साथ-साथ उन्हें स्थिर भी करना चाहिये। खाद्यान्नों की कीमतों में ज्यादा कमी किये जाने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कृषक अपनी उपज को उचित मूल्यों पर बेचने के लिये तैयार हैं बशर्ते उसे उसकी आवश्यकता की वस्तुएँ उचित दामों पर मिल जायें। ये आवश्यकता की वस्तुएँ उसे सहकारिता समिति के द्वारा प्राप्त की जानी चाहिये।

सहकारिता आन्दोलन का बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिये ताकि कृषकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को उचित मूल्य पर सप्लाई किया जा सके। जब तक हम खाद्यान्नों के मूल्य को स्थिर नहीं कर सकेंगे तब तक देश में मूल्य नियंत्रित नहीं किये जा सकते।

आजकल वस्तुओं के मूल्यों में प्रायः वृद्धि हो जाती है जिस कारण अधिक रुपयों का चलन में होना है। मूल्यों को कम करने के लिये ऐसे खर्च पर रोक लगाना भी आवश्यक हैं जो केवल दिखावे के लिये किया जाता है जैसे विवाह के अवसर पर रोशनी, अतिशबाजी आदि पर खर्च। इस प्रकार के खर्च की अनुमति न दी जाये या ऐसा करने वालों पर भारी कर लगाया जाये। बड़ी दावतों पर भी रोक लगाई जाये। इससे न केवल खर्च पर रोक लगेगी बल्कि सामाजिक रीति-रिवाजों में भी सुधार होगा। यदि खर्च पर रोक लगानी है तो काले धन के प्रश्न पर भी सोचना होगा। यदि काला धन प्रकाश में आ जाये तो अंधाधुंध खर्च पर नियंत्रण लग सकता है। काले धन को प्रकाश में लाने का एक आसान तरीका यह है कि नये नोट छापे जायें और पुराने नोट का चलन बन्द कर दिया जाये। साथ ही यह व्यवस्था हो कि कोई भी व्यक्ति बैंक से अपने पुराने नोट बदल ले। यदि नोट बदलने वालों से किसी भी प्रकार की पूछ-ताछ की जायेगी तो वे अपने नोट बदलने के लिये पुनः कपटपूर्ण तरीके अपनायेंगे। इसी सम्बन्ध में एक और सुझाव है कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी

आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था करे, जैसी व्यवस्था पूर्व यूरोप के कुछ समाजवादी देशों में है। उदाहरणार्थ बुचारेस्ट में लोगों को एक गर्म सूट और जूतों का एक जोड़ा नियंत्रित मूल्य पर दिया जाता है जब कि एक से अधिक के लिये उन्हें खुले बाजार से कई गुना दाम अधिक देकर खरीदना पड़ता है।

खर्च पर रोक से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात रोजगार के अवसर प्रदान करने की है। बोकारों में 1000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की व्यवस्था की गई है जिससे केवल 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि यह राशि मध्यम स्तर के या कुटीर और लघु उद्योगों में लगाई जाये तो इससे दुगने लोगों को रोजगार मिल सकता है। शिक्षित लोगों की बेरोजगारी समाप्त करने का हमें गम्भीर रूप से प्रयत्न करना चाहिये, प्राइमरी शिक्षा के लिए हमें 30 लाख अध्यापकों की अवश्यकता है जब कि आज शिक्षा के सभी स्तरों के लिये शिक्षकों की संख्या 20 लाख है। यदि शिक्षा कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम को ठीक ढंग से चलाया जाये तो शिक्षित लोगों में बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जायेगी। अशिक्षितों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने का सुगम साधन यह है कि गाँव में सड़क-निर्माण का कार्य और भवन-निर्माण का कार्य चलाया जाये। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि देश की अर्थ-व्यवस्था में भी स्थिरता आयेगी। अन्त में वित्त मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह देश में आशा का वातावरण तैयार करें जिससे भारत के लाखों निराश युवकों-युवतियों में आशा का जागरण हो और उनकी निराशा दूर हो।

Shri Hem Raj (Kangra) : I support the budget presented by our Finance Minister on 29th February 1968. He deserves congratulations for his efforts. He presented the most suitable budget in the existing circumstances. When our present Finance Minister took charge of the Finance Ministry, the economy of our country was facing a grave crisis. Two successive years of drought and armed conflict with China and with Paskitan have shattered our economy. But this year we hope a very good crop with the hope that we will have enough food-grains. We will be able to make a buffer stock even without importing foodgrains from abroad. There has been a general fall in the prices of foodgrains but the prices of foodgrains continued to be high in Himachal Pradesh. It is due to the existing zonal system. So I request that single State food zones should be abolished and a big zone covering whole of north India should be formed. It will help in elminating the middle man system and the farmers will directly take the fruits of their toil.

The Finance Minister has taken some measures to effect economy in administrative expenditure. It is good. But there is still a good deal of scope in this direction, because the administrative expenditure is still very high. Instead of raising the sky-scrappers, Government should utilize the money for productive purposes. It is also worth-mentioning that our Finance Minister has paid attention to agriculturists also. This time more money has been provided for minor irrigation schemes and fertilizers. He has introduced an incentive scheme for those farmers who will carry research in farming. This budget will help in raising the output in all sectors—industrial sector as well as agriculture sector.

Some State Governments have introduced lottery styems in their States. I suggest that such a lottery scheme should be started by the Central Government also, so that money may be collected from the public and the same may be utilized for development purposes. Another suggestion I would like to give is that a uniform excise duty should be levied in place of sales tax, which is a source of corruption. I want that the sales tax should be abolished. The exemption

limit of income tax should be raised to Rs.6,000 so that middle class people may get some relief. As regards the public sector undertakings I would like to suggest that the I. C. S. people managing the affairs of these undertaking should be replaced by people having experience in industrial management. Such people may be taken from private sector also. At the same time the labour policy of our Government should be production oriented :

Himachal Pradesh should be given full statehood. If it is done the financial difficulties being faced by Himachal Pradesh will be overcome.So I request that Himachal Pradesh should be given full statehood as soon as possible.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री० अ० भि० शर्मा (भंजनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। श्री मसानी ने बजट की इस आधार पर आलोचना की है कि यह एक घाटे का बजट है और उन्होंने गर्व से कहा है कि उड़ीसा की गैर-कॉंग्रेसी सरकार ने लाभ वाला बजट पेश किया है। परन्तु चूंकि उड़ीसा के बजट में 4½ करोड़ रुपये का ऋण एकत्र करने की व्यवस्था करने के बाद लाभ दिखाया गया है इसलिये वह लाभ केवल दिखावटी है, नाम मात्र के लिये है। दूसरी ओर वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया हैं उसमें विद्यमान आर्थिक स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। कृषि पर उचित ध्यान दिया गया है। योजना के लिये 50 करोड़ पये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई हैं। इस वर्ष उर्वरक के लिये 35 लाख की व्यवस्था कीं गई हैं। कृषि के लिये सब प्रकार की सुविधाओं को मंजूर कर लिया गया है। किसानों को उचित वसूली दाम देने के लिये भी आश्वासन दिया गया है। बोकारो परियोजना के लिये 110 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और इस परियोजना के पूर्ण होने पर हमारी इस्पात सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी।

यह भी कहा गया है कि यह बजट जनता के लिये नहीं है। मेरा यह कनहा है कि इस बजट में जनसाधारण का समुचित ध्यान रखा गया है। ऐसा प्रयास किया गया है, जिससे बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाई जा सके। अनाज का उत्पादन बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं इसे बुरा मानता हूँ कि हमारा देश अन्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे। अतः हमें अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिये। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो भूमि बेकार पड़ी है उसे कृषि योग्य बनाया जाये। अधिक उपज वाले बीजों को बोया जाये। बिचौलिया की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये जिससे किसान अपनी आवश्यकता की चीजें सीधे सरकारी दुकानों या स्टोरों से प्राप्त करें।

राजस्व संसाधान बढ़ाने के सम्बन्ध में भी मैं कुछ सुझाव देना चहता हूँ। सर्वप्रथम हमें भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त करना चाहिये। प्रशासनिक खर्च में कमी की जानी चाहिये। किसी भी अधिकारी को 500 रुपये से अधिक वेतन न मिले और किसी भी विभाग में आवश्यकता से अधिक अधिकारी न हों। छँटनी अधिकारियों की होनी चाहिये,

चौथी या तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की नहीं । इस प्रकार हम पर्याप्त धन बचा सकते हैं । हमारे देश में पर्याप्त खनिज सम्पत्ति हैं जिसको उचित ढंग से उपयोग में लाया जाना चाहिये । पर्याप्त का विकास करके भी काफी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है । अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान दें ।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : It is a matter of pleasure that our Finance Minister has paid due attention towards the defence requirements and the security of the country, while formulating the budget. It is the need of the hour that regular efforts should be made to ensure that our borders are strongly safeguarded. I request that more attention should be paid to the Rajathan border, because Rajasthan is a border State. Road and rail facilities are lacking in the desert areas of Rajasthan and particularly in those areas bordering with West Pakistan. No doubt, some roads are being constructed there but I think they are not sufficient. Central Government should help the Rajasthan Government to complete the construction of the roads under construction. In view of the security arrangements of that area a new railway line should be laid from Jaiselmer to Barmer. The Government should pay more attention towards providing the facilities of rail, road and drinking water as well as irrigation water in desert areas of Rajasthan. Efforts should be made to develop that area fully.

[श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

It is said that we want to be self-sufficient in foodgrains as soon as possible. In this connection I would like to suggest that the Rajasthan Canal Project should be taken over by the Central Government, because it is beyond the means of Rajasthan Government to complete it. I want to emphasize it that this canal should be completed as soon as possible. It will irrigate about 70 lakh areas of land and will help in making up deficiency of food. It is necessary to construct Rajasthan canal from security point of view also, because it will go along the border of Rajasthan with West Pakistan. If it is completed, the forces of enemy will not be able to cross it easily. This canal will be beneficial in both ways. Physically it will defend our country and secondly the production of foodgrains will go up in that area on account of its water being utilized for irrigation. Moreover, I want to draw the attention of the Central Government to the problem of drinking water in Rajasthan. This problem is very acute and it should be solved soon so that pople of Rajathan may get the drinking water. I request the Central Government that more funds should be given to Rajasthan Government so that the problem of drinking water may be solved by providing taps, tanks or tubewells. We have 70,000 engineers who are fully unemployed or under-employed. This number may go upto 1 lakh and it has become a great problem for us. While pondering over these problems one question which comes to our mind is that of mobilisation of resources.

Bird and Co was fined Rs.1.65 lakh for indulging in corrupt practices but later on it was reduced to Rs.65 lakhs only. Since that Company has not paid even the reduced fine, may I know why the Government is not issuing them with a notice to the effect that the fine would be enhanced ?

We are wasting much money on family planning. Wrong signatures are obtained in lieu of receipt of money. I know these things from personal experience as I am running three family planning clinics at Jodhpur.

We are spending much money on the import of luxury items. A sum of Rs. 541 corrs on account of income-tax is yet to be realised and Government should take strong measures to realise the same.

We should nationalise banks and import and export trade. Similarly we should nationalise tea estate and coal mines. Then we have to eliminate conspicuous consumption and put ceiling on such spending. But nationalisation does not mean bureaucritisation. We are sending the retired I.C.S. people to public sector units who have no faith in the nationalisation. We should take workers into confidence in the public sector units.

We have left many of our industries in the private sector and this is a distorted way of revival of our economy. We have to strengthen the public sector and mobilise the resources for that.

श्री राणे (बुलडाना) : मैं बजट में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री महोदय ने मनी आर्डर कमीशन की दर 15 पैसे से बढ़ा कर 20 पैसे कर दी है। इसके कारण जनता को कठिनाई होगी। हमारा श्रमिक वर्ग ग्रामीण है और उनके परिवार गाँवों में रहते है जिन्हें वे मनीआर्डर द्वारा धन भेजते हैं। इसलिये मनीआर्डर कमीशन की दर बढ़ाने का अर्थ यह होगा कि उन्हें धन भेजने में अधिक पैसे देने होगें अतः मेरी प्रार्थना यह है कि मनीआर्डर कमीशन की दर नहीं बढ़ानी चाहिये।

उसके पश्चात अन्तर्देशीय पत्रों का मामला आता है। उसका मूल्य आप 15 पैसे कर रहे हैं जोकि उचित नहीं है। यह मूल्य यदि लागत खर्च पर आधारित होता तो इसका मूल्य 12 पैसे होना चाहिये था। इसी प्रकार पोस्टकार्ड के मूल्य में भी 66 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होनी चाहिये। अधिक से अधिक पोस्टकार्ड का मूल्य 8 पैसे प्रति पोस्टकार्ड हो सकता था।

बेकारी इस्पात परियोजना को दो वर्ष तक स्थगित कर देना चाहिये। ऐसा करने से घाटे की अर्थ व्यवस्था में कमी होगी। ऐसे कार्य में इतना धन व्यय करना बुद्धिमता नहीं है क्योंकि इस्पात के करखानों में आजकल लाभ नहीं हैं।

मेरी तीसरी प्रार्थना यह है कि किसानों को पारिश्रमिक मूल्य देना चाहिये। परन्तु मूझे दुःख से कहना पड़ता है कि वे इसे कार्यान्वित नहीं करेंगे। पहले भी कई समितियां नियुक्त की थी जिन्होंने यह सिफारिश की थी कि किसानों को पारिश्रमिक मूल्य मिलें परन्तु जब समय आया तो कुछ न किया गया। और तो और, कृषि मूल्य आयोग ने भी कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य नहीं दिया। यह दुःख की बात है कि कृषि के उत्पादों के मूल्य बढ़ते हैं तो किसानों पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है तथा वे उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिये यह आवश्यक था कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करने का प्रयत्न किया जाता।

पटसन के मूल्य में भी बहुत कमी हुई है। 1966 में इसका मूल्य 65 रु० प्रति मन था परन्तु अब यह 25 से 30 रु० रह गया है। ऐसी ही स्थिति कपास के मूल्यों की है। योजना में बैठे कुछ लोगों ने सोचा कि किसान धनी हो गये हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है क्योंकि किसानों की स्थिति में फसल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जो ऐसा सोचते हैं वे कृषकों की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि गत 20 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया है। स्वयं श्री जे० आर० डी० टाटा ने कहा था कि वह उनमें से नहीं हैं जो यह कहें कि यहाँ कोई भी कार्य

स्वतंत्रता के पश्चात से नहीं हुआ हैं। यदि हम यह कहते है कि सरकार कुछ मामलों में असफल रही है तो यह भी कहना होगा कि इन्होंने कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, विज्ञान, तकनीकी मामले और भारी उद्योग। यह बात टाटा ने कही जिनका सरकार की बहुत सी नीतियों से मतभेद है। कुछ इसी प्रकार का मत श्री राय० वी० आर० आयंगर ने व्यक्त किया है। अन्त में मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि कृषकों को लाभप्रद मूल्य देने की समस्या पर विचार करें।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Sir, the Finance Minister could not have done better. I must rather congratulate him for this Budget.

I want to know what effect it will have on the shares? The prices have not only been established but it had a wholesome effect on them.

The amount put forward for defence expenditure is justfied. Without the security of country, this country will go to dogs.

We should alway keep our objectives in view while framing our plans. These objectives we framed and followed during all the plan periods in the past. We should given full eucouragement to the public sector but we should also encourge the co-operative and the private sector too, otherwise the balance will be tilted.

Many fiends advocate nationalisation but it is good only as a slogan. Have we reached a stage where we can implement it ?

We cannot go forward without planned development. I appreciate the speech of the hon. friend who spoke on the question of family planning. But do we have the resources for it ?

Some friends would be angry with me but I must say that we have spent too much on the Khadi and village industries without any appreciable return from it. Although it is long since Rafi Sahib passed away yet we have yet to depend on imported food. Stress should be laid on community development.

There is a major dispute between Rajasthan and Madhya Pradesh over the river waters. It is all unnecessary as we should think in terms of the country and not in terms of Sates.

We have become slave of slogans. We should ponder as to how Germany regained its power. It asked all its people to put in their efforts for the betterment of the country. We can emulate them.

We should follow Gandhiji and treat all our people in a dignified manner.

I hope this budget would bring stability but we should still be realistic.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, first of all I congratulate the hon. Deputy Prime Minister for riasing the salaries of army personel. He has thereby boosted the morale of the brave people who guard our frontiers.

I would request the hon. minister to pay more attention now to the villages where poeple still live in unhygienic conditions.

"Own your own house Scheme" should be introduced in the rural area too.

We should at least provide houses for them to reside. It is a very serious matter and the Government should look into it.

In India we are not short of resources. Provision should be made to give Rs.500 to a person who has not got the house. A scheme for well be far useful for our country.

In case our peasant are happy, the recession will be no more. There are not sufficient credit facilities for the villagers in the villages. I am grateful to the Finance Minister for the

better attention given to them this year. A commission should be appointed for estimating the land and providing water for them. We should make a plan to provide water to these lands within five to seven years.

The farmers are getting essential commodities like fertilizers at very high prices. Fertilizers are very useful for increasing production, but they are not able to purchase them due to high prices. If fertilizers are provided at the subsidised rate it will be in the great interest of the farmers and the country.

Government should provide a tractor for a group of 20 or 25 farmers. Today the farmers have to pay Rs.2,0000 for a tractor. The production of tractor at cheap rates should be increased in our country. It will add in increasing the production.

All the wealth of the country should be utilised to make the country strong and the banks should be nationalized. There should not be any discrimination regarding keeping property worth two to three lakhs. Equal ceiling should be fixed for the landlords and the formers. This year's budget is praiseworthy.

There should be a programme for providing mechine and education to the villagers in the villages. I fully support the budget presented by the Finance Minister.

Shri Y. S. Kushwah (Bhind) : Our's is a backward State and we want to make progress with the help of Narvada.The Government is taking keen interest for the development of Adivasis and backward classes. Therefore Central Government should not put pressure on the Madhya Pradesh Government in this matter.

The last five year plans have not been successful. Although enough of money has been spent on them, yet no attention has been paid for the development of villages. Unemployment is increasing. Extravagancy should be stopped and greater attention should be paid for the development of villages.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

The area of cultivated land has been increased from 1.50 lakh acres to 2.10 lakh acres. It is a good thing and I am thankful to him for that. Madhya Pradesh Government has been requesting for providing sources, but the sources have not been provided so far. If the sources may be provided it can meet its own reqirement for food.

Small and useful irrigation scheme have been neglected. Those schemes should be implemented.

Hon. Miniter has given great assurances regarding food production but it is very strange that the farmers have been provided fertilizers of very poor quality. How can the food production be increased with this poor quality of fertilizer. ? Government should pay great attention in this matter.

The Finance Minister has requested the big capitalist to invest for the fourth Five Year Plan. It is a good proposal. But the Government has not adopted means to attract the Capital.

More money should be allotted to backward States. Backward areas of Madhya Pradesh should be given special assistance.

From the budget it appears that the economic condition of the country is deteriorating day by day. Even the devaluation of money could not control the prices. We are not able to make economic progress. New resources should be found to increase the production.

We should not press for nationalization of industries because the experience shows that most of the industries in the public sectors are going in loss or they are earning very nominal profit.It we want to avoid unemployment we should give full facilities to the private as well as public sectors.

Administration requires power. We have not yet manufactured atomic weapons. The strength of our army has not been increased. Some attention has been paid in this regard this year's budget.

We should try to capture those parts of the country which we have lost. It is but natural that we will not be able to achieve this end unless we increase our strength.

There has been a decline in the discipline in the country. It is even true in the case of I.C.S. Officers. I hope the Government will look into this matter.

The price of postcard should not be increased. I hope he will reconsider this matter.

तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 111

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : सर्वश्री काशीनाथ पाण्डे, रबि राय, कंवर लाल गुप्त, रा० स्व० विद्यार्थी, रामगोपाल शालवाले, प्र० स्व० शर्मा, जुगल मंडल, चपलाकान्त भट्टाचार्य, मोहसिन, देवराव पाटिल द्वारा 16 फरवरी, 1968 के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में मेरे सहयोगी श्री भगवत झा आजाद ने यह उल्लेख किया था कि मद्रास विधान सभा द्वारा पारित त्रिभाषा सूत्र के संकल्प के सम्बन्ध में भारत सरकार को औपाचारिक रूप से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । बाद में यह ज्ञात हुआ था कि उस संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई थी। मामला सरकार द्वारा विचाराधीन है । इसके कारण सभा को हुई कठिनाई के लिये मुझे खेद है ।

प्रश्न का पहले गलत उत्तर दिये के जाने के लिये मैं माफी चाहता हूँ ।

मद्रास के स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन

*STUDY OF HINDI IN SCHOOLS IN MADRAS

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : The reply given to unstarred question regarding study of Hindi in schools in Madras on 16th February, 1968 was very unsatisfactory. It has been clarified now. But it distrubs the whole country.

The language issue was almost settled at the time of independence movement. When the question of official language was raised in the Constitutent Assembly, it was unanimously decided that Hindi will be the official language of the country. But it was opposed later. The main cause of this opposition was that leaders of our country unfortunately reorganised the States. on language basis. It resulted in differences.

---

*आधे घन्टे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

From the very beginning the Government has been neglegent towards the development of Hindi. It is the same even now. The main cause behind this opposition is not to make provision for non-Hindi people in Central Services. The opposition was so violent that the Official Language Bill has to bring before the house and Shri Nehru gave the assurance to the people of South in this regard. Shri Nehru assured the people of the South that Hindi cannot be imposed on the unless the people of the South become familiar with it. These assurances never meant that they were free not to study Hindi.

This Bill was brought with the intention to satisfy the people of the South. But, in fact it does not serve the purpose. The main persons responsible for the disturbance in South are Shri Kamraj, and Shri Subramanian. This Resolution was passed on 23rd January whereas on 25th January, it was decided to discontinue Hindi in the South. The Centre was not consulted in this regard. The three language formula brought by the Education Minister is praiseworthy. It has also received support from the Central Advisory Committee. It has been said that anybody can read any language except Hindi.

Law and order should be maintained in all the parts of the country.

श्री कृष्ण मूर्ति (कड्डलूर): क्या यह सच नहीं है कि यह सब विवाद राजभाषा विधेयक संकल्प में संशोधन किये जाने के बाद उत्पन्न हुए। मद्रास सरकार ने अपने राज्य में त्रिभाषा सूत्र हटा कर इसके स्थान पर तामिल और अंग्रेजी की पढ़ाई आरम्भ कर दी है और वहाँ पर स्कूलों में हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती। मद्रास सरकार का यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 146 के निहित है। इन परिस्थितियों में मद्रास सरकार ने संविधान के अनुसार कार्य कर क्या बुरा कार्य किया?

Shri Rabi Ray (Puri) : During the lst few years the Hindi Prachar Sabha of South has taught Hindi to a large number of people. Hindi has also been taught to the people of Tamilnad. Tamilnad Legislative Assembly has resolved that Tamil should be the language of the State.

Is it proper to make English as a compulsory subject and not to make Hindi even an optional subject ? May I know whether the Education Minister had consulted Shri Annudari after the passing of the Bill in the Assembly ? Whether the Education Minister will give him the advice to make Tamil as the comulsory subject in the University and the medium of the South and should start Hindi or some other provincial languages in the State instead of English ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) क्या यह सच है कि देश की चौदह भाषाओं को समान समझना चाहिये। हिन्दी की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसके परिणामस्वरूप दूसरी 13 भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। संसद् में संशोधित संकल्प पास किये जाने के बाद दक्षिण के लोगों को यह भय हो गया था कि पता नहीं सरकार उनकी स्थिति के बारे तथा अहिन्दी भाषी लोगों के सुरक्षा की भावना पैदा करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि उन्हे अपनी भाषा का विकास करने का अवसर मिल सके और अन्त में हम एक भाषा निश्चित करने पर राजी हो जायें।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : लोक-सभा द्वारा संकल्प के पास किये जाने के बाद तामिलनाड में जो घटनाएँ हुई हैं क्या सरकार उनके सम्बन्ध में विचार करेगी और तामिलनाड के छात्रों को उचित इच्छाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : As a result of the new policy adopted by the Madras State many Hindi teachers have become unemployed. May I know whether some enquiry has been made regarding the students studying Hindi and the teachers who are teaching Hindi and whether some facilities have also been given to them?

श्री गौडलिंगन गौड (कुरनूल): यह विवाद भाषायी राज्यों के बनाये जाने के बाद खड़ा हुआ है। क्या सरकार भाषायी राज्यों के बारे में जो सूत्र है उसको रद्द करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I agree that proportional representation should be given in Government Service to the people from South. If it is not done it will endanger the national unity. As a result of passing the resolution by the Madras State Assembly, five thousand teachers have become unemployed.

श्री सेझियान : (कुम्बकोणम) : हिन्दी राज्यों में त्रिभाषी सूत्र कहां तक क्रियान्वित किया गया है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास विधान-सभा में संकल्प पास करते समय राज्य के मुख्य मंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई हिन्दी अध्यापक नौकरी से नहीं हटाया जायेगा ?

डा० मेलकोटे : (हैदराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा केवल मद्रास राज्य की ही नहीं अपितु केरल, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की भी है। इस बात को ध्यान में रख कर क्या मंत्री महोदय इसे हैदराबाद में ले जाने पर विचार करेंगे क्यों कि हैदराबाद इसके लिये अधिक उपयुक्त है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : मद्रास सरकार द्वारा हाल ही में हिन्दी की पढ़ाई को समाप्त करने और त्रिभाषा को समाप्त करने के जो निर्णय किये गये हैं वे कोई अलग निर्णय नहीं हैं। वे निर्णय सरकार द्वारा राजभाषा के आधारभूत प्रश्न पर अपनाये गये रवैये के ही परिणाम हैं।

मद्रास विधान-सभा के संकल्प में केन्द्रीय सरकार से मांग की गई है कि वह राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 तथा भाषा नीति सम्बन्धी संकल्प को निलम्बित कर दे क्योंकि इनके कारण गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। भाषायी बोझ की असमानता दूर करने के बारे में सरकार कई प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

जहां तक त्रिभाषा सूत्र का सम्बन्ध है यह समझ लिया जाना चाहिये कि शिक्षा राज्य का विषय है और विभिन्न राज्यों में इस सूत्र को केन्द्रीय सरकार के निदेशनुसार कार्यान्वित नहीं किया जाता। यह अन्य व्यक्तियों के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच मतैक्य के आधार पर तैयार किया गया था। केन्द्रीय सरकार का विश्वास है कि इस सूत्र को स्कूलों में प्रभावशाली ढंग से लागू कर देने से भाषा समस्या का संन्तोषजनक हल निकल सकेगा। मुझे इस बात में कोई संन्देह नहीं है कि एक बार भाषा समस्या का राष्ट्रीय हल निकल जाने पर मद्रास राज्य को अपने को इसके अनुकूल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

चूंकि मद्रास राज्य ने त्रिभाषा सूत्र पहले ही लागू कर दिया गया है अतः मद्रास विधान-सभा के संकल्प में जिस उच्च स्तरीय सम्मेलन की कल्पना की गई है उसकी

सिफारिशें जब तक प्राप्त नहीं होतीं तब तक इस सूत्र को जारी करना चाहिये । मुझे फिर भी विश्वास है कि समस्या का संतोषजनक हल निकल आने पर मद्रास सरकार को तदानुसार कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

मद्रास राज्य के बहुत से हिन्दी अध्यापकों के भविष्य की समस्या एक गम्भीर मानवीय समस्या है। लेकिन स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी बतायी जा रही है । मद्रास राज्य के शिक्षा विभाग के 24 जनवरी, 1968 के आदेश में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि वर्तमान हिन्दी अध्यापकों को उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने की हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। इस आदेश में निहित भावना को देखते हुए सम्पूर्ण प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और राज्य के हिन्दी अध्यापकों की कठिनाई दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 12 मार्च, 1968/22 फाल्गुन, 1889 (शक) । के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday March, 12 1968/22 Phalguna, 1889 (Saka).

Printed by Job Printer, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.